खण्ड-331, अंक-8
सोमवार, 27 चैत्र, शक संवत् 1900
(17 अप्रैल, 1978 ई0)

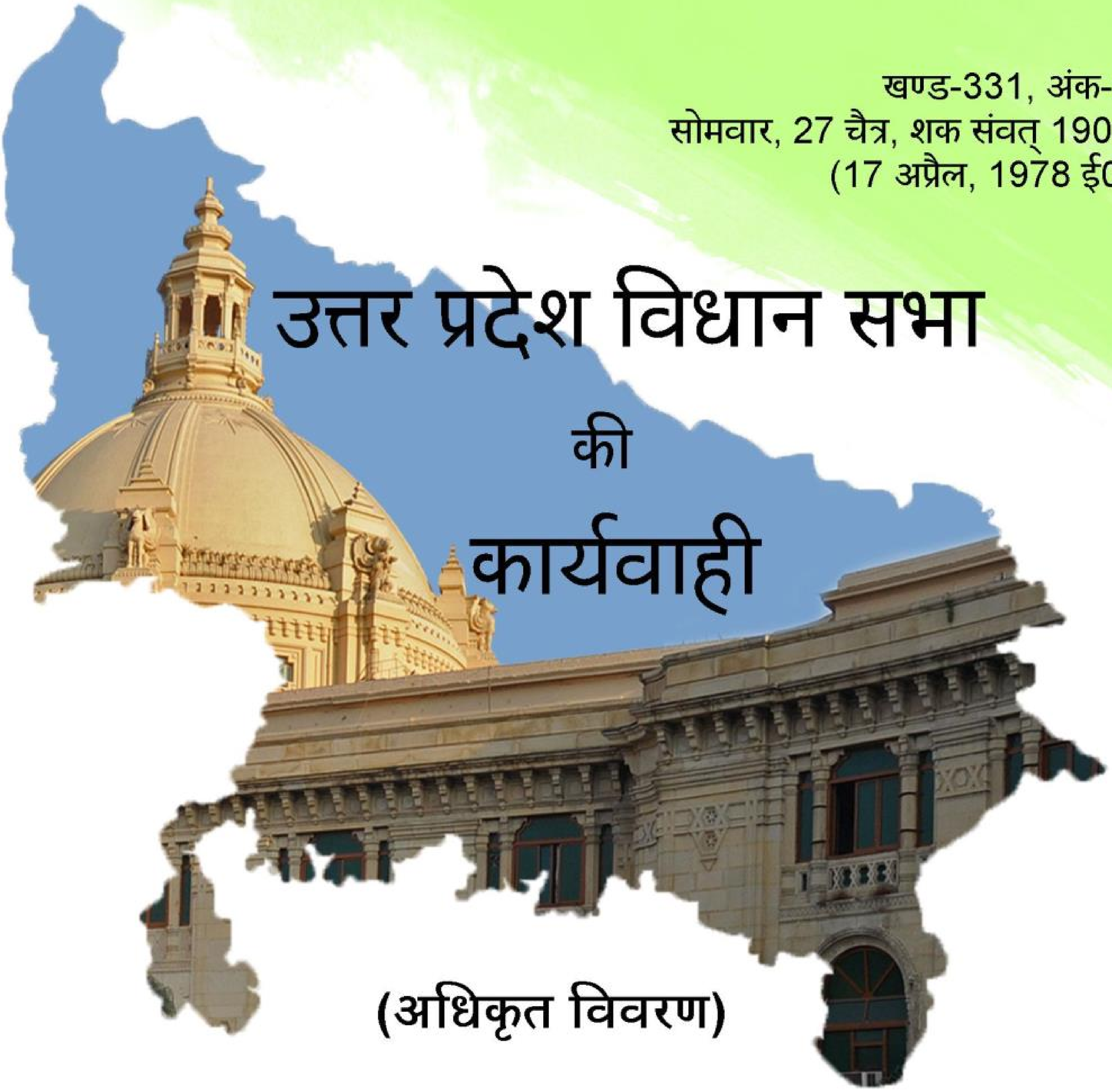

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय—सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1017–1020
प्रश्नोत्तर	1021–1062
उपाध्यक्ष के चुनाव सूची मे उम्मीदवारों के समर्थकों व प्रस्तावकों के ठीक न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1062–1063
आज प्रश्नोत्तर काल में गन्ना विकास मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री व उनके बीच विरोध की कही गयी बात पर व्यवस्था का प्रश्न ..	1063–1064
फैजाबाद में जनता पार्टी के कार्यालय के सामने श्री श्रीराम द्विवेदी पर युवा जनता कार्यकर्त्ता तथा असामाजिक तत्वों द्वारा हमले के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1064–1066
अर्नेक संघ, गोरखपुर द्वारा रामायण जलाने के परिणामस्वरूप छात्रों द्वारा श्री जगजीवन राम का पुतला जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1066
एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री, बरेली के मालिकों द्वारा मजदूरों के वेतन में भविष्य निधि का लगभग 13 लाख रुपया गोल माल किये जाने की विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1066–1067
परीक्षा केन्द्र, श्री गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर, कानपुर के प्रधानाचार्य द्वारा ड्यूटी पर लगे अध्यापक, श्री वैजनाथ विश्वकर्मा को पीटे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1067–1068
मनोहर कहानियों के दिसम्बर अंक में छपे खटिक जाति के चरित्र हनन से खटिक जाति में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1068–1069
आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी थाने के ग्राम मई बुजुर्ग के हरिजनों द्वारा बेगार न करने पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा हरिजनों का उत्पीड़न करने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1069
ग्राम परसौनी, थाना मेहुआ, देवरिया में भीषण डकैती एवं हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1070
गोविन्द वल्लभ पन्त, कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर में गोली काण्ड की घटना के सम्बन्ध में दो घंटे की चर्चा की मांग ..	1070–1072
उत्तर प्रदेश कृषि उधार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1072–1073

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (सक्षम अधिकारी) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी) .. 1073

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी) 1073

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 1073

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 1073

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 1073

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 1073

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में वक्तव्य 1074

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों तथा परिवहन विभाग के कर्मचारियों के मध्य झगड़े के सम्बन्ध में वक्तव्य 1074–1083

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 73—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (जारी) 1083

बजट साहित्य विलम्ब से मिलने पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था .. 1083–1084

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 31—चिकित्सा, अनुदान संख्या 32—परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 73—चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 1084–1112

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (पारित) 1112–1115

राजस्व संहिता विधेयक, 1977 को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 1115–1116

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978 (पारित) 1117–1119

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 1119

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर में श्रमिक आन्दोलन में हुए गोली काण्ड के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा 1119–1138

नत्थियां 1139–1146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 17 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 294

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण बीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ना बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसबीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरनचन्द्र, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंस, डाक्टर
बदनसिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज' श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री

मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
बीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
बीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री

शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सलाबत हुसैन, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यबीर सिंह, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट :—ग्राम विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 17 अप्रैल, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

शाहजहांपुर गन्ना सहकारी समिति के गन्ना क्रय केन्द्र अरेली, निगोही तथा जिन्दपुरा के संचालन की मांग

**1—श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में शाहजहांपुर गन्ना सहकारी समिति के तीन गन्ना क्रय केन्द्र (अरेली, निगोही, जिन्दपुर) किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर (पीलीभीत) को गन्ना क्रय करने हेतु स्थानान्तरित कर दिये हैं ? यदि हां, तो गन्ना अब तक उपरोक्त मिल क्यों नहीं खरीद रही है ? क्या सरकार उपरोक्त तीनों क्रय केन्द्रों के गन्ना खरीद की शीघ्र समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

जी हां। शाहजहांपुर गन्ना समिति के तीन क्रय केन्द्र (अरेली, निगोही, जिन्दपुरा) दि किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर (जिला पीलीभीत) का सीजन 1977–78 के शेष भाग में गन्ना पूर्ति हेतु व्यावर्तित किये गये हैं। बीसलपुर चीनी मिल द्वारा उपर्युक्त गन्ने की ढुलाई की व्यवस्था के अभाव में अभी यह केन्द्र नहीं चलाये जा सके। उल्लिखित क्रय केन्द्रों के इच्छुक कृषकों को 400 कुंटल प्रतिदिन की गेट पर पूर्ति की व्यवस्था कर दी गयी है। शीघ्र ही तीनों क्रय केन्द्र संचालित हो जाने की आशा है।

देवरिया जिले की प्रतापपुर चीनी मिल में गन्ने का अभाव तथा देवरिया चीनी मिल को भटनी चीनी मिल का दिया गया गन्ना

**2—श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया), श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया) श्री बांके लाल (जिला देवरिया), श्री राम नरेश पान्डेय (जिला देवरिया) तथा श्री बसन्त (जिला देवरिया)

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद की चीनी मिल, प्रतापपुर गन्ने के अभाव में बन्द हो गई है और गन्ने के अभाव में भटनी चीनी मिल भी बन्द होने जा रही है ? क्या यह सही है कि जिले की अन्य चीनी मिलें, देवरिया, सेवरही, आदि के पास इतना अधिक गन्ना है कि वे पूरे सीजन की अवधि में पेराई करने में सक्षम नहीं है जिससे किसानों में भय एवं चिन्ता व्याप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी नहीं। प्रतापपुर चीनी मिल अपने क्षेत्र का समस्त गन्ना पेरकर ही दिनांक 1 अप्रैल, 1978 को वर्तमान सीजन के लिये अन्तिम रूप से बन्द हुई है। जिले की

[श्रीमती चन्द्रावती]--

जिन अन्य चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ना अभी है वे सब अपने क्षेत्र का आफर्ड गन्ना पेर कर कर ही बन्द हों, इसका प्रयास किया जायेगा ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रतापपुर चीनी मिल, जिसके रिजवेशन के समय जितने गन्ने की पिराई के लिये वह सक्षम थी, उसको भी काटकर दूसरी मिल को दे दिया गया और भटनी की जो चीनी निगम की मिल थी, जिसका एरिया था पूर्वी बलिया, आजमगढ़ तथा बिहार का कुछ हिस्सा, उसका अलग-अलग हो गया और देवरिया के एरिया को गन्ना प्रतिनिधियों के सुझाव पर भटनी चीनी मिल के लिये सुरक्षित कर दिया गया था, तो उसे अब किन कारणों से हटा दिया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, यह प्रश्न कुछ ऐसा है, जिसको स्पष्ट करना ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गन्ना विकास मंत्री जी यह उत्तर देना ठीक नहीं है । जनहित में उत्तर देना ठीक नहीं है, यह समझ में आ सकता था, लेकिन यह कहना कि स्पष्टीकरण देना ठीक नहीं है, उचित नहीं है । यह सदस्यों का अधिकार है ।

श्रीमती चन्द्रावती--

मेरा मतलब यही है कि उत्तर देना जनहित में ठीक नहीं है ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के सिलसिले में व्यवस्था चाहता हूं । मेरा सवाल स्पष्ट है कि भटनी चीनी निगम की मिल है और उसका जो पहले एरिया बंधा हुआ था, उसको काट दिया गया और जिसका गन्ना मंत्री जी ने रिजर्वेशन कर दिया था कि भटनी की मिल अपनी सीमा तक का गन्ना पेरेगी । मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में उसको काट दिया गया जिससे कि वह बन्द होने जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

जनहित में वही प्रश्न हो सकते हैं जिनमें राज्य की सुरक्षा का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो । इसमें राज्य की सुरक्षा का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, गन्ना क्यों दिया गया, इसका उत्तर आपको देना चाहिये ।

श्रीमती चन्द्रावती--

कुछ केन्द्रों का झगड़ा था और उनमें आपस में कुछ ऐसी बातें हो गयी थीं, जिसके द्वारा गन्ना, देवरिया मिल को गया और जैसा कि माननीय सदस्य का यह कहना कि भटनी मिल बन्द होने जा रही है, अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि जो केन्द्र उधर से पेराई सरप्लस में हों, गन्ना इधर हो जाय । इसलिये भटनी मिल बन्द नहीं होगी ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

माननीय मंत्री जी जवाब को दूसरी दिशा में ले जाना चाहती हैं । मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि वहां के जन प्रतिनिधि एवं जनप्रतिनधियों और पूरे क्षेत्र के लोगों ने सर्व सम्मति से पास करके जिस प्रस्ताव को भेजा था और जिसको माननीय मंत्री जी ने

स्वीकार कर लिया था, मैं जानना चाहता हूं कि जो चीनी निगम की भटनी मिल है वह बन्द होने जा रही है, तो क्या माननीय गन्ना विकास-मंत्री जी बताने की कृपा करेंगीं कि क्या उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भटनी चीनी मिल का रिजर्व्ड गन्ना, देवरिया चीनी मिल को दे दिया ?

श्री अध्यक्ष--

आप यह बतादें कि क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव गन्ने की सप्लाई के बारेमें आपके पास आया था, जिसको अस्वीकार कर दिया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह स्थिति सही है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

भटनी का जो क्षेत्रफल काटा गया और देवरिया को दिया गया, तो क्या उसके पास पेराई का कम क्षेत्र था, इसलिये दिया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती --

मान्यवर, यह चीज मैंने बतला दी है कि जो स्थिति मननीय सदस्य कह रहे हैं, वह सही है। देवरिया मिल के पास काफी गन्ना था, लेकिन कुछ केन्द्रों से, मैं इसके विरोध में थी। जो देवरिया मिल की क्षमता है और जो गन्ने का सरप्लस है वह भटनी में जा रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि रिजर्वेशन कमेटी की मीटिंग में गन्ना प्रतिनिधियों और जन-प्रतिनिधियों के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् के किसी माननीय सदस्य के कहने पर निरस्त किया गया था ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी मैं अनुमति नहीं देता। आप सीधा प्रश्न कीजिए ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगी कि रिजर्वेशन कमेटी में जन-प्रतिनिधयों एवं गन्ना प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को किन परिस्थितियों में निरस्त किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

आप यह बता दें कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

माननीय मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप द्वारा।

श्री बांके लाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो गन्ना भटनी चीनी मिल का काट कर देवरिया चीनी मिल को दिया गया, उसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है कि इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था।

श्री बांके लाल—

जब हम सब लोगों ने प्रस्ताव दिया कि वहां पर गन्ना कम है, तो फिर देवरिया को दे दिया गया और सारे लोगों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर वे दे चुकी हैं कि वह निर्णय हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के सुझाव पर किया था।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगीं कि मुख्य मंत्री जी ने इसका कोई कारण उन्हें बताया ? यदि हां, तो वे कौन से कारण थे ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उन्होंने कारण बताये थे लेकिन मैं सहमत नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष—

कारण बताने के लिये उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि शासन की क्या पालिसी है कि जिन रिजर्व्ड एरियाज में ज्यादा गन्ना है वह दूसरे मिलों को डाइवर्ट करेगी, जहां पर गन्ना कम है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो दीपनारायण जी, उत्तर दिया ही जा चुका है कि जहां गन्ना ज्यादा है, वहां से जहां कम है, वहां डाइवर्ट कर दिया गया।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

यह जो भटनी मिल का गन्ना, देवरिया मिल को दिया गया, यह देवरिया के मिल–मालिकों की अप्रोच पर, जो वहां पर आकर दौड़-धूप किये, तब उनको गन्ना काट करके दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका अनुमान है। उसका उत्तर दे चुकी हैं .. अगर आप संतुष्ट न हों, तो लिख कर पूछ सकते हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि देवरिया मिल में गन्ना था और दूसरे सेन्टरों को काट कर दिया गया और देवरिया मिल में ज्यादा है, इसलिये उसको फिर दूसरे सेन्टरों को दिया जा रहा है। तो अगर राजनीतिक दबाव है, तो क्यों उन्होंने विरोध नहीं किया और अगर उनकी बात नहीं मानी गयी, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि आपने जब देवरिया फैक्टरी का गन्ना ट्रान्सफर किया तब क्या आप उस आदेश को उचित समझती थीं ? यदि अनुचित समझती थीं, तो आदेश का प्रतिरोध क्यों नहीं किया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह स्थिति जो सामने है, उस वक्त भी मुझे महसूस हुई थी और उसी वक्त मैं उसका विरोध कर रही थी । मैं पहले ही कह चुकी हूं कि ऐसा हस्तक्षेप हुआ ।

श्री बांकेलाल—

उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहस हो गई ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका मुख्य मंत्री से मतभेद था, इस मसले पर । तो यह प्रशासनिक दृष्टि से मतभेद था या नीति-गत मतभेद था ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रशासनिक है, नीति का तो सवाल नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

उत्तर आपही दे दिया करते हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रशासनिक था ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)

मान्यवर, देवरिया जनपद के केन रिजर्वेशन के सम्बन्ध में जो धांधली हुई, उस सम्बन्ध में क्या अधिकारियों की रिपोर्ट थी । दूसरे रिजर्वेशन में जो गड़बड़ी हुई है, उसकी किसी उचित अधिकारी द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि यह रिपोर्ट जो थी यह अधिकारियों द्वारा दी गई थी और उसकी पूरी तरह से जांच हो चुकी हैं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

उत्तर से सम्बन्धित। जब उनको मालुम हुआ कि उनका पक्ष सही है, मिल में गन्ना ज्यादा है और मिलों को गन्ना काट करके दिया गया खपत से ज्यादा होते हुए भी तो यह किसी राजनैतिक दवाव से, चाहे मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप से किया, तो अगर मंत्री जी न्यायोचित रास्ते पर थी, तो क्या उस हस्तक्षेप के बाद उनका कर्तव्य नहीं था कि इस्तीफा दे देती, तो क्या उन्होने इस्तीफा देना मुनासिव समझा ?

श्री अध्यक्ष—

राजमंगल जी, यह कोई आपका प्रश्न सूचना का नहीं है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

यह नीति का प्रश्न है मान्यवर, प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, उस समय मंत्री अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के द्वारा नीति सम्बन्धी घोषणा नहीं की जा सकती। इस प्रश्न से जो उत्तर निकलता है आप जानते हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, किसी मंत्री के लिए कोई विशेष उत्तर देने के लिए बाध्य नही कर सकते ।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मंत्री जी ने खुद कहा है कि जो आदेश हुए, वह मेरी समझ में ठीक नहीं थे । तो जब उन्होंने यह महसूस किया कि जो हस्तक्षेप किया वह मुनासिब नहीं था, तो उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिये था और मंत्री जी ने अपने विवेक को भी इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह पूछिए कि जब आप समझती थीं कि यह प्रशासकीय आदेश ठीक नहीं है तो आपने अपना क्या कर्तव्य समझा ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, एक चीज को ही सही न समझने के बावजूद भी मंत्री अपने मंत्रिमंडल में बना रहे, यह कहां तक उचित है, जब कि उसकी बात न मानी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्रि परिषद् में रहना या न रहना, यह प्रश्नों से सम्बन्धित नहीं है, यह तर्क है मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

पश्चिमी प्रदेश की चीनी मिलों के अतिरिक्त गन्ने की अन्य चीनी मिलों को दिये जाने की मांग

**3—श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद) —

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में गन्ने की अधिकता को देखते हुए, अन्य क्षेत्रों की गन्ना फैक्टरियों के द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के गन्ने को पेरने की व्यवस्था करने का निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी नहीं। चूंकि गन्ना एक शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है अतएव उसको दूर स्थित चीनी मिलों को व्यावर्तित करना आर्थिक एवं में व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है । पश्चिमी प्रदेश की चीनी मिलों के क्षेत्र के अधिक गन्ने को समाप्त करने हेतु अपेक्षाकृत कम गन्ने के क्षेत्र की निकटवर्ती चीनी मिलों को व्यावर्तित किया गया है ।

जी नहीं, के उत्तर से माननीय सदस्यों की जानकारी में भ्रान्ति हो सकती है । माननीय सदस्यों के इस उत्तर को व्यवस्थित रूप से जानने की इच्छा है । जी नहीं, का उत्तर भ्रामक अवश्य प्रतीत होता है । इसलिए मैं इसको संशोधित रूप से पढ़ना चाहती हुं ।

श्री अध्यक्ष—

तो आप यह उत्तर किसलिए दे रहीं हैं। उत्तर अधिकारी नहीं दे रहें हैं, उत्तर आप दे रही हैं। तो आप इस उत्तर को क्यों दे रहीं हैं? इसको मैं स्थगित करता हूं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह प्रश्न कल ले लिया जाय। यह तात्कालिक प्रश्न है। यह तात्कालिक आवश्यकता का प्रश्न है। अगर इसे स्थगित कर रहे हैं, तो कृपा करके कल ही इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं कल ही ले लूंगा या मंत्री जी अपना उत्तर संशोधित कर सकती हैं।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर मंत्री जी कोई पूछे गए प्रश्न के उत्तर को न दे सकें, तो उसको आप टाल देगें या उसके उत्तर के लिए मंत्री जी को मजबूर करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं जानते हैं कि यदि मंत्री कहे कि प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं तो उसके लिए कोई नियम नहीं है अध्यक्ष के लिए कि मंत्री को मजबूर करें। उत्तर में जी नहीं है और वह कहती हैं कि अधिकारियों ने जो उत्तर दिया, वह ठीक नहीं है, इसलिए मैंने यह कहा कि उत्तर देना आपको है न कि अधिकारियों को, अगर आप 'जी नहीं' उत्तर देना ठीक नहीं समझती हैं, तो उत्तर में संशोधन कर सकती हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, परस्पर विरोधी उत्तर को संशोधित करने के लिए क्या उनको आप अवसर देगें?

श्री अध्यक्ष—

राज मंगल जी, अगर कोई उत्तर गलत भी होता है, तो मन्त्रियों को अधिकार है कि वह उसको संशोधित कर सकते हैं। प्रश्नों के मौखिक उत्तर होते हैं और लिखित उत्तर भी होते हैं। रोज कार्यवाही में आता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, यह तो परस्पर विरोधी वक्तव्य हो जायगा जब तक कि स्वतः कोई फैक्ट सामने न आ जाए।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो उनका कहना यह था कि 'जी नहीं' लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए मैंने कहा कि आप जो ठीक उत्तर है, दे दीजिएगा। माननीया मन्त्री जी, सही उत्तर आप दे दीजिएगा।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, जबसे गन्ना विकास मन्त्री बनी हैं, हम लोगों के कितने सवाल आए लेकिन किसी सवाल का सही जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो इनको क्या हक है मन्त्री पद पर बने रहने का?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, एक भावना थी, माननीय सदस्य जानना चाह रहे थे कि जो गन्ना पेरने की व्यवस्था है, जिस क्षेत्र में गन्ना ज्यादा है, वहां से दूसरे क्षेत्रों को भेजा जाय। तो

इसका उत्तर मैंने दिया 'जी नहीं'। लेकिन इस पर दूसरा प्रश्न वह करते इसलिए मैंने संशोधित कर दिया था। अब मैं संशोधित कर रही हूं। चूंकि गन्ना एक शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, अतएव, उसको दूर स्थित चीनी मिलों को व्यावर्तित करना आर्थिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। पश्चिमी प्रदेश की चीनी मिलों के क्षेत्र के अधिक गन्ने को समाप्त करने हेतु अपेक्षाकृत कम गन्ने के क्षेत्र की निकटवर्ती चीनी मिलों को व्यावर्तित किया गया है।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मन्त्री जी ने कहा 'जी नहीं'। मान्यवर, उसके बाद मन्त्री जी ने जो लाइनें जोड़ी हैं, उधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि गन्ना एक शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है अतएव उसको दूर स्थित चीनी मिलों को व्यावर्तित करना आर्थिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। एक पक्ष मान्यवर, यह है। जो इसका दूसरा भाग है, वह मान्यवर, विरोधाभास प्रकट करता है। दूसरा भाग यह है 'पश्चिमी प्रदेश की चीनी मिलों के क्षेत्र के अधिक गन्ने को समाप्त करने हेतु अपेक्षाकृत कम गन्ने के क्षेत्र की निकटवर्ती चीनी मिलों को व्यावर्तित किया गया है।' तो यह दूसरा पक्ष है। मान्यवर, यह दोनों पक्ष एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब वह हम लोगों की भावना को समझ रही हैं और उन्होंने व्यवस्था भी की है, तो क्या मन्त्री जी अपने उत्तर की जो पहली तीन लाइनें हैं उनको संशोधित करने की कृपा करेंगीं और अपना उत्तर नीचे की लाइनों के अनुसार देंगी?

श्री अध्यक्ष—

उनका उत्तर स्पष्ट है कि पश्चिमी जिलों में गन्ना ज्यादा है और गन्ना नष्ट होने वाली वस्तु है। इसलिए दूर फैक्टरियों में नहीं भेजा जा सकता।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मेरा यह प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा है कि जो फैक्टरियां नजदीक हैं, वहां पर उनको तबादला करने की व्यवस्था कर रही हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने स्वीकार किया है कि जिन क्षेत्रों में अधिक गन्ना है उसको दूसरे क्षेत्र की मिलों में भेजने की व्यवस्था वह कर रही हैं। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग ने कोई ऐसी सूची बनाई है कि किन-किन फैक्टरियों में कितने-कितने गन्ने पेरने की क्षमता है और कितने ऐसे क्षेत्र हैं, जहां गन्ने की अधिकता है?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, यह सूची तैयार है और काफी लम्बी है कि जहां गन्ना ज्यादा है, उसको निकटवर्ती क्षेत्रों की मिलों में किस प्रकार से पेरा जाय। इसकी व्यवस्था है और आर्डर भी पहुंच गए हैं। इसके लिए सरकार का निश्चित मत है कि जब तक गन्ना पेरा न जाय, तो जुलाई तक हम वह मिलें चलायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मन्त्री जी ने कहा कि दूर की मिलों को नहीं भेजा जा सकता। चूंकि गन्ना शीघ्र ही नष्ट होने वाला पदार्थ है। इसलिए दूर से मन्त्री जी का क्या मतलब है?

श्रीमती चन्द्रावती--

मेरा मतलब पश्चिमी जोन, सेन्टर जोन, ईस्ट जोन से है। तो पश्चिमी जिले का ईस्ट जोन में जायगा, तो दूर हो जायगा और गन्ना सूख जायगा। इसलिए पश्चिमी क्षेत्र में जो चीनी मिलें हैं, निकट वहां पेराई की व्यवस्था की गई है।

जिला परिषदों के एक्जीक्यूटिव आफिसर की प्रतीक्षा सूची एवं नियुक्ति

**4--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के एक्जीक्यूटिव आफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए कितने पी0 सी0 एस0 अधिकारी प्रतीक्षा सूची में हैं और उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या मन्त्री इस प्रतीक्षा--सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति शीघ्र करने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री जमुना प्रसाद (ग्राम्य विकास मन्त्री)--

जिला परिषदों में कार्य अधिकारी पद के लिए तीन अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं।

इनकी नियुक्ति के लिए नियुक्ति से पूर्व पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं--जैसे चरित्र सत्यापन, सी0 आई0 डी0 जांच तथा शारीरिक व मानसिक स्वस्थता का प्रमाण--पत्र आदि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही यह औपचारिकताएं पूरी हो जायेंगी इनकी नियुक्तियां तुरन्त कर दी जायेंगी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी इन अभ्यर्थियों के नाम तथा किस सन् में पी0 सी0 एस0 परीक्षा पास की, बताने की कृपा करेंगे?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, इनके नाम हैं श्री रत्नाकर शुक्ल, श्री रवीन्द्र नाथ और श्री बलिराम यह नाम पब्लिक सर्विस कमीशन के अनुमोदन के बाद कार्मिक अनुभाग--1 से 11 जुलाई, 1977 को आए थे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितनी ऐसी जिला परिषदें हैं, जिनमें कार्य अधिकारी नहीं हैं?

श्री जमुना प्रसाद--

इसकी सूचना बाद में दे दूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

सहायक निबन्धक सहकारिता, गोरखपुर के विरुद्ध साधन सहकारी समितियों के चुनाव सम्बन्धी शिकायती–पत्र

*1—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें सहायक निबन्धक सहकारिता, गोरखपुर के विरुद्ध मार्च, 1978 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके विरुद्ध सा0 स0 समितियों में चुनाव के तरीके में गड़बड़ी करने का आरोप था और क्या यह भी सही है कि श्री नागेश्वर शाही, संसद सदस्य ने दिनांक 28 मार्च, 1978 के आस–पास किसी तारीख में उक्त सहायक निबन्धक के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि इन्होंने कई सहकारी संघों का चुनाव समय पर नहीं होने दिया है और रोक रखा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मन्त्री ने क्या कार्यवाही की है तथा उनके बारे में मन्त्री ने क्या कार्यवाही की जो पत्र में मांग की गई थी?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

प्रश्नकर्ता का सहायक निबन्धक गोरखपुर के विरुद्ध एक शिकायती पत्र साधन सहकारी समिति के संचालक मण्डल के चुनाव के तरीके में गड़बड़ी करने से सम्बन्धित विभाग को प्राप्त हुआ था। उपरोक्त पत्र के आधार पर मामले की जांच उप निबन्धक द्वारा कराई गई। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में त्रुटि हुई है वह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के स्तर से हुई है। प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति, परसिया मिश्र विकास खण्ड, गोला के मामले में उप निबन्धक, गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 1978 द्वारा उक्त सहायक विकास अधिकारी (सह0) श्री राम दुलारे सिंह को निलम्बित कर दिया है। नरहरपुर खड़ेसरी विकास क्षेत्र बड़हलगंज की प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन हेतु क्षेत्रों के निर्धारण में अनियमि तायें पायी जाने पर श्री इब्राहीम खां समिति सचिव को जिला प्रशासनिक कमेटी/जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के सचिव ने अपने आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 1978 द्वारा निलम्बित कर दिया है। इसी आरोप में विकास क्षेत्र बड़हलगंज के सहायक विकास अधिकारी (सह0) श्री उदय नरायन राय का स्थानान्तरण क्षेत्रीय उप निबन्धक ने गोरखपुर से देवरिया जनपद को कर दिया है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही के पत्र दिनांक 28 मार्च, 1978 के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

जिन सहकारी संघों का चुनाव पहले दौर में नहीं हो पाया था उनमें चुनाव के लिये निबन्धक, सहकारी समितियां, लखनऊ द्वारा दूसरी तिथियां निर्धारित की गईं। 12 मार्च, 1978 को शेष सहकारी संघों के सदस्यों की सूचियां पुन: मांगी गई पर केवल सात सहकारी संघों के सदस्यों की ही सूचियां उपलब्ध हो पाई और इन सात सहकारी संघों, जिनमें बेलघाट सहकारी संघ सम्मिलित है, का चुनाव 10 एवं 12 अप्रैल, 1978 के लिये निर्धारित किया गया। अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार बेलघाट सहकारी संघ का चुनाव हो गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा था कि दो साधन सहकारी समितियों में गड़बड़ी कराया है और यह भी उसमें मैंने लिखा था कि एक जगह ऐसी गांव सभा का निर्धारण किया गया

जिस नाम की न कोई गांव सभा है और न कोई राजस्व ग्राम या रेवेन्यू विलेज है । कुल चार सदस्य । किन्तु एक व्यक्ति को जिताने के लिये उसने यह कार्यवाही की और दूसरे व्यक्ति को हराने के लिये यह सारी कार्यवाही की । 154 सदस्य पर 1 स्थान और वह भी हरिजन क्षेत्र से अर्थात् रिजर्व और 32 सदस्य पर दो स्थान और दोनों जनरल । इस प्रकार का प्रकाशन ए0 आर0 ने किया । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर सहकारी सुपरवाइजर और ए0 डी0 ओ0 दोषी पाये गये किन्तु ए0 आर0 दोषी नहीं हैं जब कि इसका प्रकाशन ए0 आर0 ने ही अखबारों में कराया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया कि एक जगह स्थान ज्यादा थे और संचालक कम निर्धारित किये गये और जहां संख्या कम थी वहां ज्यादा निर्धारित किये गये । यह निर्वाचन क्षेत्र ए0 डी0 ओ0 ने निर्धारित किये थे । उसी सम्बन्ध में, उसे निलम्बित कर दिया गया । दूसरा उन्होंने कहा कि दिबोली ग्राम सभा नहीं थी, तो सचिव ने यह रिपोर्ट दी थी, जो गलत थी और जानबूझ कर गलत रिपोर्ट दी थी । इस सम्बन्ध में, उसको भी निलम्बित कर दिया गया । ए0 डी0 ओ0 को सचिव से जो रिपोर्ट मिली. उसी को मान लिया और यह लापरवाही की, तो उसको भी चेतावनी दे दी है ।

श्री अध्यक्ष—

कल्पनाथ सिंह जी का प्रश्न है कि सहायक निबन्धक के बारे में क्या किया ? ए0 डी0 ओ0 की जिम्मेदारी हो गयी, सचिव की जिम्मेदारी हो गयी । उसका क्या उत्तर है जो कल्पनाथ सिंह जी ने पूछा ए0 आर0 के बारे में ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जो जांच से तथ्य सामने आये हैं, उनमें ए0 आर0 की गड़बड़ी कराने की नीयत नहीं थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

ए0 आर0 के बारे में इन गड़बड़ियो के संदर्भ में मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक आवेदन पत्र इस प्रश्न के पूर्व दिया और माननीय मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा कि आप विभाग से राय ले लें । उसने जानबूझकर गड़बड़ी की है । इस चुनाव को रुकवायें और यदि मेरी राय से सहमत नहीं, तो एल0 आर0 से राय ले लें । क्या माननीय मंत्री जी एल0 आर0 की राय को सदन की टेबिल पर इस समय रखेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में एल0 आर0 की राय ली थी, माननीय सदस्य को भी पता है क्योंकि मेरी इनकी बात हुई थी । उसके साथ साथ जो संशोधन हुआ है, वह यह कि अब जब चुनाव घोषित हो जायगा, तब बाद में वह स्थगित नहीं किया जा सकता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

एल0 आर0 की क्या राय है, वह बतला दें ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उन्होंने राय दी थी कि रोका नहीं जा सकता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण में गल्तियां पायी गयीं । पावर जिलाधिकारी के पास डेलीगेटेड थे । जिलाधिकारी ने ए0 आर0 से रिपोर्ट मांगी, तो उसने गलत रिपोर्ट जिलाधिकारी को दे दी क्योंकि उसकी रिपोर्ट नीचे की रिपोर्ट के तथ्यों पर आधारित थे, जो गलत थे । विभाग तब भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा, तो क्या होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जो भी अनुसूचित या हरिजनों का चुनाव क्षेत्र निर्धारित होता है, वह ए0 आर0 नहीं निश्चित करता । उसके सम्बन्ध में चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी होती है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह गलत कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया उनको पूरा उत्तर दे लेने दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, चुनाव अधिकारी जो था, उसने मौके पर ही निश्चित किया था कि हरिजन क्षेत्र कौन रहेगा, निर्बल क्षेत्र कौन रहेगा । यह ए0 आर0 ने नहीं किया । इसको चुनाव अधिकारी ने किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

लेकिन मान्यवर, मेरा कहना है कि जो नीचे की रिपोर्ट थी, उसी के हिसाब से तय किया गया था ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मेरे पास तथ्य इसके नहीं हैं । अगर माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो जांच करा लेंगे ।

श्री उदित नरायन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें दायित्व ए0 आर0 का होता है । उस पर इतनी जिम्मेदारी होते हुये भी उस पर कार्यवाही नहीं की जायेगी, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इससे माननीय विधायकों के दिलों में यह बात नहीं पैदा होगी कि किसी एक अधिकारी की तरफदारी की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रश्न नहीं है, आपका मत है ।

श्री उदित नरायन—

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह ए0 आर0 का दायित्व नहीं था ?

श्री अध्यक्ष—

उसको तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह जिला चुनाव अधिकारी का दायित्व था ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर सहकारी जिला बैंक में चन्द लोगों का अधिपत्य रहा है ? चन्द लोग ए0 आर0 पर राजनैतिक दबाव डालकर काम कराना चाहते थे। चूंकि उसनें काम नहीं किया, इसलिए यह साजिश हो रही है। क्या इसकी माननीय मन्त्री जी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

पहला जो प्रश्न है, उसकी अनुमति नहीं देता। यह तो आक्षेप है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, आखिर वह बात आ गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य इस बात का प्रमाण देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर विवाद की अनुमति नहीं देता।

मैंने पहले ही कहा है कि प्रश्न का पहला भाग आक्षेप है, जिसकी अनुमति नहीं देता। दूसरे भाग के सम्बन्ध में--अनियमितताओं के सम्बन्ध में आरोप-प्रत्यारोप क्या हैं, क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैंने जांच करा लिया है और गड़बड़ी के सम्बन्ध में जो ज्यादा से ज्यादा ऐक्शन लिया जा सकता है, वह लिया गया है-- सस्पेन्ड कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर अनियमिततायें रही गई हैं, तो माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष--

इससे ज्यादा नहीं--अनुपूरक प्रश्न पर एक से अधिक की इजाजत नहीं देंगे।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

माननीय सहकारिता मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या निर्वाचन नियमावली जो प्रकाशित हुई है, उसमें निर्बल वर्ग के क्षेत्र निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम हैं। यदि ऐसा है, तो जिन नियमों को पालन करने की जिम्मेदारी सहायक निबन्धक की है और निर्बल वर्ग के क्षेत्र का निर्धारण निश्चित नियमावली के अन्तर्गत होता है, इसके बावजूद यदि निर्बल वर्ग का क्षेत्र निर्धारण सही नहीं हुआ है तो वह किस की जिम्मेदारी मन्त्री जी मानते हैं और उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

निर्बल वर्ग के सम्बन्ध में और अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में, मैंने पहले बता दिया कि यह निश्चित चुनाव अधिकारी ने किया और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कोआपरेटिव के चुनाव हुए हैं, वे विभागीय अधिकारियों के द्वारा नहीं हुए हैं। केवल

[श्री मुलायम सिंह यादव—]

सूची तक विभागीय अधिकारियों का कार्य था। उसके बाद तो पूरी चुनाव की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की थी और उस ए0 आर0 ने जो कुछ किया था, उसी सम्बन्ध में उसको दण्ड दिया गया।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी मेरे सवाल का उत्तर.....

श्री अध्यक्ष—

उत्तर दे दिया कि ए0 आर0 का उत्तरदायित्व नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

फैजाबाद जिले के विकास खण्ड भीटी तथा कटेहरी की जीपें

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के भीटी तथा कटेहरी विकास खण्डों में विभागीय जीपें कितने दिनों से नहीं हैं? सरकार द्वारा इन दुर्गम परिवहन विहीन एवं पिछड़े हुए विकास खण्डों को कब तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी?

श्री जमुना प्रसाद—

फैजाबाद जनपद के विकास खण्ड भीटी में विभागीय जीप उपलब्ध है जो अधिक खराब होने के कारण परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा पिछले माह में निष्प्रयोज्य घोषित कर दी गई है। अब इसके बदले में गाड़ी उपलब्ध होने पर इस विकास खण्ड को गाड़ी दिए जाने की व्यवस्था की जायगी। विकास खण्ड कटेहरी में विभागीय जीप उपलब्ध है परन्तु खराब होने के कारण उसकी मरम्मत के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

इन दोनों विकास खण्डों को प्रत्येक मास में एक पक्ष के लिए अन्य निकटतम विकास खण्ड, जहां जीपें उपलब्ध हैं, से जीपें उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि सरकारी कार्य के सम्पादन में बाधा न पड़े।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि इन दोनों ब्लाकों में कितने समय से जीप नहीं है। इस का स्पष्ट उत्तर नहीं आया, लेकिन उत्तर के दूसरे भाग में माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हर महीने एक पखवाड़े के लिए बगल के ब्लाकों से दोनों ब्लाकों को जीपें दे दी जाती हैं। मैं मान्यवर, मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने सालों से जीपें वहां पर नहीं हैं क्योंकि कल ही माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जी स्वयं थे, फैजाबाद में। एक ब्लाक के बी0 डी0 ओ0 ने मन्त्री जी को बताया कि पिछले सात वर्षों से वहां की जीप गेराज में हैं और उसका किराया नहीं दिया गया। उसका झगड़ा चल रहा है। उसी तरह कटेहरी ब्लाक के बारे में मेरी निश्चित सूचना है कि वहां पिछले 12 साल से कोई जीप नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सारी सूचनायें एकत्र करके सही स्थिति सदन के सामने रखेंगे, क्योंकि यह मान्यवर बिल्कुल गलत है, स्वयं मन्त्री जी जान कर आए हैं?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना कि जीप 10-11 साल से खराब है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि एक जीप जो भीटी ब्लाक की है वह 30 अगस्त, 1968 से खराब है और विभाग की ओर से नियम यह है कि विभाग, परिवहन विभाग को लिखता है कि यह जीप खराब है। जब वे रिजेक्ट कर देते हैं तब जा कर के नई जीप खरीदने का प्राविधान होता है। तो यहां से रिमाइंडर दिया गया। मैंने परिवहन मन्त्री जी को लिखा कि 9 साल तक पत्र-व्यवहार एक विभाग से दूसरे विभाग को चलता रहा और कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो इसके लिए जो दोषी हैं, उनको दण्डित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपका उत्तर सीधा नहीं है। उत्तर ठीक होता, तो अनुपूरक प्रश्न की आवश्यकता ही न होती। यह उत्तर देना चाहिए था, कब से जीप नहीं है। आपने जो उत्तर दिया है वह तो पृथक् उत्तर दिया है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

उत्तर दिया गया कि भीटी तथा कटेहरी विकास खण्ड में जीपें खराब पड़ी हैं तो यह कब से खराब हैं और क्या यह भी सही है कि जीप खराब होने पर भी ड्राइवर की तनख्वाह वहां दी जा रही है?

श्री जमुना प्रसाद--

इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

दस वर्षों से जीप खराब पड़ी है और ड्राइवर की तनख्वाह दी जा रही है और गैरेज का भी किराया दिया जा रहा है, तो क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जीप की बुक वैल्यू क्या है अगर और जीप की बुक वैल्यू ड्राइवर की 10 वर्ष की तनख्वाह और गैरेज के किराए से कम हुई, तो ऐसा न हो कि सरकार के खिलाफ इस सम्बन्ध में भी एक नोटिस आ जाय?

श्री जमुना प्रसाद--

मैंने यह नहीं कहा कि जीप के ड्राइवर की तनख्वाह दी जा रही है। मैंने कहा कि सूचना उपलब्ध नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत

*2--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण, फैजाबाद के विरुद्ध मंत्री जी को दी गयी विभागीय सहायक विकास अधिकारियों की शिकायत दिनांक 22 अगस्त, 1977 पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद--

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, फैजाबाद के विरुद्ध ग्राम्य विकास मंत्री जी को दी गयी विभागीय सहायक विकास अधिकारियों की शिकायत की जांच इसी विभाग के टेक्निकल आडिट सेल की जांच आख्या के अनुसार सहायक विकास अधिकारियों की शिकायत सही नहीं पाई गई।

श्री मित्रसेन--

क्या जांच कर्त्ता अधिकारी ने शिकायत करने वालों से पूछताछ की ? दूसरे जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत थी, उसके खिलाफ कितनी विपरीत प्रविष्टियां मिलीं, जिनके कारण उनको फैजाबाद स्थानान्तरित किया गया था ?

श्री जमुना प्रसाद--

जिन लोगों ने शिकायत की उन सभी से उत्तर लिये गये हैं और सबने उत्तर दिये हैं। जहां तक एडवर्स एन्टरीज का संबंध है, मेरे पास उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री मित्र सेन--

क्या माननीय मंत्री जी ने स्वयं उनके स्थानान्तरण के आदेश दिये थे, लेकिन आज तक उनका पालन नहीं हुआ है ? क्या माननीय मंत्री उनकी चरित्र पंजिका तथा पत्रावली को देख कर अपने आदेशों का पालन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कि उनका ट्रांसफर हुआ और उसका पालन नहीं हुआ।

श्री अखिलानन्द शर्मा क्षेत्र विकास अधिकारी, नवाबगंज, जिला बहराइच का प्राविडेन्ट फण्ड व पेंशन

*3--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास आबकारी, पंचायत नवाबगंज, जिला बहराइच (श्री अखिलानन्द शर्मा) जो मई, 1974 में रिटायर्ड हुए, को अब तक प्राविडेन्ट फंड लगभग दो माह का वेतन तथा पेंशन, ग्रेच्युटी एवं दिनांक 1 अगस्त, 1972 से सरकार द्वारा दिया गया नए स्केल के वेतन का अन्तर टी0 ए0 बिल, हाउस रेंट आदि की अदायगी न दिये जाने के लिये कौन उत्तरदायी है अब इस रुपये की अदायगी कब तक हो जाएगी ?

श्री जमुना प्रसाद--

कुछ सीमा तक तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच तथा तत्कालीन क्षेत्र विकास अधिकारी, नवाबगंज विकास खंड, बहराइच एवं श्री अखिलानन्द शर्मा अधिकांश रूप से स्वयं जिम्मेदार प्रतीत होते हैं।

कतिपय आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् भुगतान संभव होगा।

श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री अखिलानन्द शर्मा की क्या खता थी कि जो अब तक उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी आदि नहीं मिल पायी ? क्या इस सिलसिले में उन्होंने कोई रिश्वत नहीं दी, इसलिये उन्हें उनका यह रुपया नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

आपके प्रश्न के दूसरे भाग की इजाजत नहीं देता। पहला भाग आपने यह पूछा है कि उनको प्राविडेन्ट फंड और ग्रेच्युटी आदि देने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

श्री मुहम्मद रफी खां--

मान्यवर, अभी तक पेंशन नहीं मिली और फिर भी सरकार बहाना कर रही है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, जो व्यक्ति रिटायरड हुए हैं, उनके संबंध में आपने कहा है कि वे भी जिम्मेदार हैं, तो आखिर उनकी क्या गलती थी, जिसकी वजह से सन् 1974 से उन्हें अभी तक रुपया नहीं मिला ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से बताया कि इसमें पंचायत राज अधिकारी का दोष तो है ही लेकिन जिनको वेतन नहीं मिल और पेंशन ग्रेच्युटी आदि नहीं मिली,. उसके संबंध में मैंने यह कहा कि आंशिक रूप से वे भी दोषी हैं क्योंकि उनके संबंध में जो पूरी सूचना उनको देनी चाहिये थी, वह उन्होंने नहीं दी। जो कागजात महालेखाकार के यहां विभाग से जाते हैं, उनपर प्रश्नोत्तर चलते रहे और जो उत्तर उनको देना चाहिये था, वह उन्होंने नहीं दिया। इसलिये उनका भी दोष है।

श्री मुहम्मद रफी खां--

मान्यवर, अब इसमें सवाल करना बेकार है। माननीय मंत्री जी उनसे कह दें कि इसे जल्दी करवा दें ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, अब तो आपकी नोटिस में आ गया है। इसलिये इसका जल्दी प्रबन्ध करवा दें।

श्री जमुना प्रसाद --

जो सही उत्तर है, वह दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि इसकी व्यवस्था शीघ्र करा दीजिए।

श्री जमुना प्रसाद--

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसमें अन्यन्त शीघ्रता की जायेगी।

राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र में कोषाध्यक्ष एवं सहायक कोषाध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षण

*4--श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, निगम, लखनऊ क्षेत्र में कोषाध्यक्ष तथा सहायक कोषाध्यक्ष के कितने पद हैं और क्या प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

लखनऊ क्षेत्र में कोषाध्यक्ष के दो पद हैं। इनमें एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है।

सहायक कोषाध्यक्ष के 44 पद हैं। इनमें केवल एक अनुसूचित जाति का है।

श्री सन्त बक्श रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह अधूरा है और आंशिक है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने मूल प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें मैंने जानना चाहा है कि क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र में कोषाध्यक्ष तथा सहायक कोषाध्यक्ष के कितने पद हैं और क्या प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

जैसा मैंने बताया कोषाध्यक्ष के दो पद हैं और सहायक कोषाध्यक्ष के 44 पद हैं। इनमें से कोषाध्यक्ष के पद पर कोई अनुसूचित जाति का नहीं है और सहायक कोषाध्यक्ष के पदों में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित क्यों नहीं है ?

श्री आबिद अली—

कैशियर के जो दो पद हैं, उनमें एक श्री डी0 एन0 मेहरोत्रा हैं, जो 28 जनवरी, 1949 में सहायक कोषाध्यक्ष थे, 15 जनवरी, 1962 को उनको प्रमोशन हो गया इसके अलावा एक श्री एस0 पी0 राठौर ह, जो 15 जुलाई, 1958 को सहायक कोषाध्यक्ष थे, उनका प्रमोशन 11 मार्च, 1964 को हुआ।

श्री आबिद अली—

यह सन् 1962 और सन् 1964 के दोनों हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न है कि सहायक कोषाध्यक्ष के 44 पद हैं। इनमें से केवल एक अनुसूचित जाति का है। ऐसा क्यों ह ?

श्री आबिद अली—

यह जो 44 हैं, इनकी पोजीशन यह है कि इनमें से दीनानाथ दीक्षित सन् 50 के हैं और इसी तरह से 51 और सन् 52 के हैं और रहते-रहते जो आखिरी है, वह सन् 1972 का है। इसमें इनको रखने के लिये जो सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, वह 27 मार्च, 1963 19 अक्तूबर, 1965 और 10 मार्च, 1973 को हुई। जब मैंने जांच की तो मुझे मालूम हुआ कि उस वक्त के रीजनल मैनेजर रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने उस वक्त दो आदमियों को लिया था। एक तो श्री हनुमान प्रसाद और दूसरा श्री एल0 सी0 सोनिकर कंडक्टर हो गये है अब आइन्दा जगह खाली हो, तो हम उन लोगों को कहेंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे जैसा कि उन्होंने बताया कि कोषाध्यक्ष और सहायक कोषाध्यक्ष के पद भर गये हैं और यह प्रमोशन के द्वारा भरे गये हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि परिवहन विभाग में प्रमोशन के लिये भी आरक्षण है या नहीं ?

श्री आबिद अली—

जो गवर्नमेंट की पालिसी है वह परिवहन विभाग में भी है ।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आरक्षण प्रमोशन में भी है या नहीं ?

श्री आबिद अली—

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि जो गवर्नमेंट की पालिसी है उसमें प्रमोशन भी शामिल हैं और परिवहन विभाग में भी वही है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन स्थानों पर भर्ती पहले से हो चुकी है, उनके लिये क्या ऐसे नियम बने हुये हैं कि उनको बरखास्त कर रिजरवेशन का कोटा पूरा किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री विजय राज सिंह—

मान्यवर, पिछली सरकार हरिजनों के नाम पर आंसू बहाती रही लेकिन आरक्षण दिया नहीं । क्या मंत्री जी पिछली सरकार की गलतियों को दुरुस्त करके हरिजनों का कोटा पूरा करने का आश्वासन देंगे ?

श्री आबिद अली—

जैसा मैंने निवेदन किया जब जगह खाली होगी जैसा कि मैंने निवेदन किया, जरूर उनका हक उनको मिलेगा ।

हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा आगरा ताज के निकट शाप–कम–रेस्ट्रा का निर्माण

*1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि हरियाणा पर्यटन विभाग, आगरा में ताजमहल के पास शाप-कम-रेस्टरां (दूकान, मय जलपान गृह) का निर्माण करा रहा है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति उन्हें दे दी गयी है ? यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं ?

श्री आबिद अली—

आगरा में ताजमहल के पास आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा, शाप-कम-रेस्ट्रां का निर्माण हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा करा रहा है जिसके लिये शासन की सहमति थी । शर्तें जो शासन द्वारा स्वीकार की गयी थीं वे संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :—

(1) हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा केवल सलाहकार के कार्य किये जाने पर योजना की कुल लागत का तीन प्रतिशत कन्सल्टेन्सी शुल्क के रूप में दिया जाना ।

(2) हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा बनाये गये डिजाइन्स के अनुसार कार्य किये जाने का सुपरविजन करने पर पूरी योजना की लागत का अतिरिक्त 3 प्रतिशत कन्सल्टेन्सी शुल्क दिया जाना ।

[श्री आबिद अली—]

(3) हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा अन्दरूनी साज-सज्जा किये जाने पर साज-सज्जा की लागत का 4 प्रतिशत शुल्क के रूप में दिया जाना ।

(4) इसके अतिरिक्त हरियाणा पर्यटन निगम के जो अधिकारी/कर्मचारी उत्तर प्रदेश में सम्बन्धित कार्य हेतु आवें तो उनको हरियाणा पर्यटन निगम की दर से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाना ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी, अपने उत्तर के सन्दर्भ में क्या बताने की कृपा करेंगे कि यह जो विकास कार्य है, आगरा नगर निगम के अन्तर्गत, इसको हरियाणा पर्यटन निगम को क्यों दिया गया ? किसके आदेश से दिया गया, और क्या इसमें उस समय के राजनैतिक लोगों का भी हाथ था ?

श्री आबिद अली—

यह पुरानी गवर्नमेंट के वक्त का है, उस वक्त यह तय किया गया था कि यह कार्य हरियाणा पर्यटन निगम को दिया जाये ? किन्तु अब इस गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि अब उनको आगे कोई काम नही दिया जायगा, बल्कि यहां की गवर्नमेंट के द्वारा किया जायगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री के सुपुत्र श्री संजय गांधी के कहने पर हरियाणा को इस तरह से व्यापक धन जानबूझ कर हरियाणा के बंशीलाल को खुश करने के लिये दिया गया था ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली—

यह सही है कि 2 मई, 1976 को आगरा में जो मीटिंग हुई थी, उस वक्त के मुख्य मंत्री के सामने, उसमें संजय गांधी भी मौजूद थे और उसके समय यह निर्णय लिया गया । उस समय की गवर्नमेंट ने यह काम दिया है, लेकिन इस समय की गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि आगे कोई काम न दिया जाय ।

वाराणसी के विकास खण्ड भदोही के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जीप का दुरुपयोग तथा स्थानान्तरण

*2—श्री रमा शंकर कौशिक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड भदोही के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध सरकारी जीप के दुरुपयोग करने की जांच चल रही है ? यदि हाँ, तो उक्त जांच में अब तक क्या कार्यवाही हुई ।

श्री जमुना प्रसाद—

जी हाँ । मामले की जांच अभी जारी है ।

*3—श्री रमा शंकर कौशिक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड भदोही के खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया था परन्तु पुनः स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया था । स्थानान्तरण आदेश कुछ कारणों से निरस्त किया गया था, किन्तु स्थानान्तरण पुनः कर दिया गया है ।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

रायबरेली में कांग्रेस सम्मेलन में प्रयोग की गयी परिवहन निगम की बसें और किराये का भुगतान

*4—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें राज्य पविहन निगम से यह शिकायती पत्र मिला है कि मार्च, 1976 में रायबरेली में होने वाले कांग्रेस सम्मेलन में 9 राज्य परिवहन निगम की बसें भेजी गई थीं किन्तु उनके किराए का भुगतान अनेक बार मांगने पर भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो शासन ने किराया वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री आबिद अली—

जी हां। उक्त पत्र परिवहन निगम से प्राप्त हुआ है। रायबरेली में मार्च, 1976 में कांग्रेस सम्मेलन में परिवहन निगम की 66 बसें भेजी गई थीं जिसमें रु0 11,993.73 पै0 का बिल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया था। चूंकि कांग्रेस पार्टी का उस समय रु0 27.254 निगम के पास अवशेष था, अतः उक्त धनराशि उससे समायोजित कर ली गई।

श्री मन्तू सिंह, ग्राम अल्लापुर व श्री वेद राम, ग्राम सादोसराय, जिला फर्रुखाबाद के नाम से लिया गया सहकारी समिति से फर्जी ऋण

*5—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री मन्तू ग्राम अल्लापुर, विकास क्षेत्र शमशाबाद तथा बेहराम निवासी ग्राम सादोसराय, जिला फर्रुखाबाद से यह शिकायतें दिनांक 12 अगस्त, 1977 को भेजी हुई मिली है कि उनके नाम से जाली ढंग से किसी दूसरे के अंगूठा लगाकर रुपया लिया गया है जिसका उन्हें कई वर्षों बाद तब पता चला जब अमीन उनसे मांगने आया ? यदि हां, तो क्या उसमें जांच करवाई गई और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी के पत्र दिनांक 12–8–77 के साथ श्री मन्तू सिंह उर्फ फकीरे लाल, ग्राम अल्लापुर, विकास क्षेत्र कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद तथा श्री वेद राम पुत्र लल्लू, ग्राम सादोसराय, विकास क्षेत्र शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद के शिकायती प्रार्थना–पत्र दिनांक 5–7–77 तथा 30–7–77 के क्रमशः प्राप्त हुए। शिकायती पत्रों की जांच कराई गई।

दिनांक 27–9–77 को जांच अधिकारी द्वारा जांच के समय यह पाया गया कि श्री श्री मन्तू सिंह पुत्र खुमान सिंह, ग्राम अल्लापुर पर समिति का कोई ऋण बकाया नहीं है।

श्री वेदराम, ग्राम सादोसराय के शिकायती पत्र की जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आये कि उनके मामले की जांच पहले ही की जा चुकी थी। श्री वेदराम पर फर्जी ऋण भूमि विकास बैंक की शाखा कायमगंज द्वारा दर्शाया गया था। अतः जांच अधिकारी द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध थाना शमशासबाद में दिनांक 3–10–74 को प्रथम अभियोग सूचना दर्ज कराई गई जिसकी जांच पुलिस विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारी समितियां,, कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत हो रही है।

फैजाबाद मण्डल के सहकारी निरीक्षकों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन अभियोग

*6—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मन्डल में इस समय कुल कितने सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध न्यायालयों में अभियोग विचाराधीन है और उन्हें

रिइन्स्टेट करके उनसे कार्य लिया जा रहा है ? क्या सरकार इस बारे में समूचा विवरण सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

फैजाबाद मन्डल में निम्न 3 सहकारी निरीक्षक वर्ग–2 ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग विचाराधीन हैं और इन्हें इस शर्त के साथ अनन्तिम रूप से सेवा में बहाल कर दिया गया है कि इनके मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय होने पर इनके विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जायगा ।

नाम		निलम्बन तिथि	अनन्तिम रुप से बहाली की तिथि
1—श्री हरिपाल सिंह	..	17–1–72	1–5–75
2—श्री परशु राम सिंह	..	3–2–72	11–6–75
3—श्री श्याम बहादुर लाल	..	24–10–72	2–8–75

महबूबगंज बाजार में औषधालय की स्थापना हेतु जिला परिषद्, फैजाबाद द्वारा पारित प्रस्ताव

*7—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30 जुलाई, 1977 को जिला परिषद, फैजाबाद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके महबूबगंज बाजार में एक औषधालय संचालित करने का निश्चय किया है और वहां की गांव सभा ने औषधालय के भवन निर्माण हेतु ढाई बिस्वा भूमि सुरक्षित कर रखी है और भवन बनाने में हर प्रकार की सहायता देने तथा फिलहाल निःशुल्क इमारत देने की पहल की है ? यदि हाँ, तो अब उक्त औषधालय को चालू करने में क्या कठिनाई है और यह औषधालय कब तक चालू हो जायगा ।

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड द्वारा ट्रैक्टरों की खरीद और किराये से प्राप्त धनराशि

*8—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा क्षेत्रीय विकास एरिया डेवलपमेन्ट में सन् 1975–76 में 56 ट्रैक्टर किसानों को किराए पर देने हेतु खरीदे गए हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ट्रैक्टर सब बेकार खड़े हैं और किराये पर नहीं चले हैं ? यदि चले, तो कितना किराया वसूल हुआ और कितने रुपये में किस फर्म से ट्रैक्टर खरीदे गए ?

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

वर्ष 1975–76 में रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास निगम लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम से रु0 81,584.62 के मूल्य से 2 जीटर ट्रैक्टरों का क्रय किया गया था । वर्ष 1976–77 में 20 फोर्ड ट्रैक्टरों का क्रय एस्कोर्ट लिमिटेड, फरीदाबाद से रु0 11,88,030.00 की लागत से किया गया ।

उक्त सभी 22 ट्रैक्टर किस किराये पर चलाये गये हैं । दिनांक 28 फरवरी, 1978 तक किराये पर चलने के फलस्वरूप रु0 6,42,435.00 की आय हुई ।

गंडक समादेश क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान

*9—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्डक क्षेत्रीय विकास एरिया डेवलपमेन्ट के लिये भारत सरकार ने 70 लाख रुपया पिछले वर्षों में दिया था ? यदि हां, तो उक्त रुपए से सड़क का निर्माण हुआ या नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वर्ष 1972–73 से 1975–76 की अवधि में गंडक समादेश क्षेत्र में लिंक मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार से कुल रु0 119.76 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी। इस धनराशि में से 77.66 कि0 मी0 लम्बी लिंक मार्गों का निर्माण होना था।

दिनांक 28 फरवरी, 1978 तक 72.91 कि0 मी0 मार्गों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त कार्य पर इस अवधि तक 110.296 लाख रुपये की धनराशि का व्यय हो चुका है।

*10—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[27 मार्च 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 20–21 द्वारा उत्तरित]

*11--12—श्री श्रीनारायण—

[दिनांक 27 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 20–21 द्वारा उत्तरित]

जिला परिषद् कर्मचारियों की हड़ताल एवं उनके वेतन का भुगतान

*13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् कर्मचारियों की जो हड़ताल 2 दिसम्बर, 1977 से 12 दिसम्बर, 1977 तक हुई तथा बाद में शासन के अनुरोध पर वापस हो गई उस अवधि (2 से 12 दिसम्बर, 1977) का वेतन कर्मचारियों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी मात्र यही मांग लेकर पुनः आन्दोलन एवं हड़ताल की योजना बना रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

शासन ने दिनांक 7 जनवरी, 1978 को समस्त जिला परिषदों को पूरा वेतन भुगतान करने के आदेश दे दिये थे। तीन जिला परिषदों को छोड़कर इसकी परिपालन रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है।

शासन ने कोई अनुरोध नहीं किया था।

ट्रैक्टर व डीजल पम्प सेट की कीमत सम्बन्धी कथित निर्णय

*14—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ट्रैक्टर व डीजल पम्प सेट की कीमत 33 प्रतिशत कम करने का निर्णय अभी हाल में शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसकी सूचना समस्त विक्रेताओं व सम्बद्ध बैंकों को दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

ट्रैक्टर व डीजल पम्प सेट की कीमत के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् देवरिया द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधि का अभाव

*15—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में जिला परिषद् द्वारा संचालित उन्नीस आयुर्वेदीय औषधालयों में औषधि का घोर अभाव है ? यदि हां, तो औषधि तथा अन्य उपचार उपकरणों के अभाव में आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

वर्ष 1976–77 में जिला परिषद्, देवरिया द्वारा 16 आयुर्वेदिक एवं 3 यूनानी चिकित्सालयों में 645.00 रुपये की औषधि प्रति चिकित्सालय की दर से दी गयी है ।

जिला परिषदों द्वारा संचालित चिकित्सालयों का सम्पूर्ण व्यय जिला परिषदें ही वहन करती हैं, शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ।

परिषद् की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब है, जिसके कारण परिषद् औषधि तथा अन्य उपचार उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था करने में असमर्थ है ।

छितौनी चीनी मिल के सुरक्षित गन्ने को पडरौना चीनी मिल को दिये जाने की मांग

*16—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला गन्ना अधिकारी, पडरौना के क्षेत्र में सर्किल नं0 6 तथा सर्किल नं0 7 के ग्राम बलकुडिया, मठिया, प्रसिद्ध, तिवारी, घरछपरा, माधोपुर, गम्भीर छपरा, पुरनहां बुजरुग, सिसवा, नरहरिया के गन्ना किसानों को गन्ने की आपूर्ति लक्ष्मी देवी शुगर मिल, छितौनी गेट पर करनी पड़ती है जो इन गांवों से 22 किलोमीटर की दूरी है ? यदि हां, तो इस गन्ना बहुल क्षेत्र के गन्ना किसानों को 9 किलोमीटर दूर पडरौना मिल पर गन्ना आपूर्ति की सुविधा दी जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रश्न में अंकित लगभग सभी ग्रामों के कृषक छितौनी चीनी मिल गेट के बजाय क्रय केन्द्र खुटही एवं कटाई भटपुरवा पर गन्ना पूर्ति करते हैं । खुटही एवं कटाई भटपुरवा क्रय केन्द्रों से इन ग्रामों की दूरी लगभग 3 से 6 कि0 मी0 है । चूंकि ये ग्राम छितौनी चीनी मिल को सुरक्षित हैं और गन्ना पूर्ति के लिये संस्थापित क्रय केन्द्रों की दूरी केवल 3 और 6 किलोमीटर के बीच है, अतएव प्रश्नाधीन ग्रामों के गन्ने की आपूर्ति पडरौना मिल पर किये जाने के आदेश देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

*17—श्री रवीन्द्र सिंह—

[पुनरावत्ति के आधार पर निरस्त ।]

राज्य सड़क परिवहन निगम की बैलेंस शीट का महालेखाकार द्वारा आडिट

*18—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश की बैलेंस शीट सन् 1972 से अब तक महालेखाकार द्वारा जाँच की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 1972–73 (जून, 1972 से मार्च, 1973 तक) की बैलेंश शीट का आडिट महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया जा चुका है । वर्ष 1973–74 तथा इसके पश्चात् के वार्षिक लेखों की आडिट अभी महालेखाकार द्वारा किया जाना शेष है जिसे महालेखाकार ने 13 अप्रैल, 1978 से शुरू कर दिया है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के संयुक्त प्रधान प्रबन्धक का विशेष वेतन

*19—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम के संयुक्त प्रधान प्रबन्धक का मासिक वेतन बिना शासन की अनुमति से बढ़ा दिया गया है ? क्या महालेखाकार ने भी वेतन बढ़ोत्तरी पर अपनी असहमति भी व्यक्ति की है ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री आबिद अली—

जी नहीं। संयुक्त प्रधान प्रबन्धक को मासिक वेतन 1,600–1,800 रु0 में शासन के आदेश के अन्तर्गत दिया गया है। इनको पहले 150 रु0 प्रतिमाह विशेष वेतन भी निगम के प्रस्ताव के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिया गया था परन्तु बाद में स्वीकृति न प्राप्त होने पर तथा महालेखाकार द्वारा आपत्ति करने पर वापस करा लिया गया।

जिला परिषद् के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की पेंशन

*20—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के अध्यापकों की सेवायें बेसिक शिक्षा परिषद् में निहित किए जाने के पूर्व जो अध्यापक जिला परिषदीय विद्यालयों की सेवा में थे तथा अभी भी जीवित हैं उन्हें पेंशन की सुविधा दी गई है, तो उसी प्रकार जिला परिषदीय अन्य कर्मचारियों को जो कि जीवित हैं उन्हें पेंशन की वही सुविधा न देने का कारण क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित किए जाने के पूर्व जिला परिषदों के अध्यापकों पर राज सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वालों के लिए पेंशन आदि की लाभ त्रयी योजना लागू की गई थी। लेकिन यह योजना स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अन्य वर्गीय कर्मचारियों पर लागू नहीं थी।

जिला परिषदीय अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था जिला परिषद् सेवा निवृत्त लाभ नियमावली, 1972 के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1971 से लागू की गई। इससे पूर्व जो कर्मचारी सेवा निवृत्त हो चुके थे और अभी भी जीवित हैं, उन्हें नियमानुसार पेंशन देय नहीं है।

शासन इस पर भी विचार करेगा कि इन कर्मचारियों को भी उसी प्रकार सुविधा पेंशन की मिल सके।

*21—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*22—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी बैंक, सीतापुर के भूतपूर्व मैनेजिंग डाइरेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

*23—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंक, सीतापुर के भूतपूर्व मैनेजिंग डाइरेक्टर के विरुद्ध 1974 में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुलायम सिंह यादव—

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच से भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप सिद्ध नहीं हुए।

*24—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आपातकाल में परिवहन निगम के कथित चालकों व परिचालकों की सेवा समाप्ति

*25—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आपात्-कालीन स्थिति में अकारण निकाले गए चालकों एवं परिचालकों की पुनः बहाली के सिलसिले में सरकार ने अभी हाल में कोई निर्णय लिया है? क्या यह भी सही है कि जिन चालकों एवं परिचालकों को वर्ष 1977-78 में बहाल किया गया, उसका आधार "पहली गल्ती" का होना बताया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार शब्द "पहली गल्ती" का स्पष्टीकरण करने की कृपा करेगी?

श्री आबिद अली—

आपात्-कालीन स्थिति में परिवहन निगम का कोई भी चालक/परिचालक अकारण सेवा से नहीं निकाला गया। अतः सेवा से ऐसे तथाकथित अकारण निकाले गए चालकों/परिचालकों के पुनः बहाली के विषय में निर्णय लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। सेवा से निकाले गए जिन चालकों एवं परिचालकों, जिन्हें वर्ष 1977-78 में सेवा का अवसर प्रदान किया गया है, वह इनके प्रत्यावेदनों पर गुणावगुण के आधार पर उनके सेवाकाल की अवधि तथा उनके द्वारा किए गए अपराधों/अनियमितताओं की गम्भीरता को देखते हुए ही किया गया है न कि सेवाकाल में हुए केवल मात्र पहली गलती को आधार मानते हुए।

राज्य विकास सेवा के राजपत्रित अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची

*26—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विकास सेवा (राजपत्रित) के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची यदि प्रकाशित नहीं की गई तो यह सूची कब तक प्रकाशित करके प्रसारित की जाएगी? इसके प्रकाशन में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री जमुना प्रसाद—

अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। श्रेणी 2 के अधिकारियों की अन्तरिम रूप से ज्येष्ठता सूची प्रसारित की जा चुकी है। श्रेणी 2 के अधिकारियों की अन्तिम रूप से ज्येष्ठता सूची प्रसारित होने के उपरान्त ही श्रेणी 1 के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची प्रसारित की जायगी।

अन्तिम रूप से ज्येष्ठता सूची प्रसारित होने के दिनांक से ही वह लागू मानी जायगी।

*27—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*28—श्री उदय नारायण सिंह—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित]

*29—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित]

*30—श्री बलदेव—

[6ठें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (टेक्निकल) के पद एवं मोटर गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण-पत्र संबंधी सतर्कता आयोग की संस्तुति

*31—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि क्या परिवहन विभाग में गाड़ियों को प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिये सतर्कता आयोग ने वर्ष 1972–73 में रीजनल इंस्पेक्टर्स के स्थान पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (टेक्नीकल) की नियुक्ति करने तथा एक फिटनेस प्रमाण-पत्र टेक्नीकल बोर्ड का गठन करने की संस्तुति की थी जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया था तथा इस संबंध में आवश्यक आदेश भी जारी कर दिये थे ? क्या यह सही है कि फिर इन आदेशों को रद्द करके सतर्कता आयोग की संस्तुतियों के विरुद्ध फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने की पूर्वविधि अपनायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

जी हां। सतर्कता आयोग द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (टेक्नीकल) के पदों को सृजित किये जाने की संस्तुति उस समय सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गयी थी, परन्तु वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त संस्तुति कार्यान्वित न की जा सकी थी। सतर्कता आयोग की उपरोक्त संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1977 में विभाग का पुनर्गठन करते समय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (टेक्नीकल) के चार पद सृजित कर दिये गये हैं।

जहां तक मोटर गाड़ियों के लिये फिटनेस प्रमाण-पत्र देने के लिये एक टेक्नीकल बोर्ड के गठन का प्रश्न है, सतर्कता आयोग की संस्तुति के अनुसार शासनादेश संख्या 3378–(ए) प/तीस—3, दिनांक 29 नवम्बर, 1973 में प्रत्येक संभाग के प्रत्येक जिले के लिये एक-एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें निम्नलिखित सदस्य के रूप में रखे गये थे:—

(1) संबंधित मंडल के आयुक्त द्वारा मनोनीत एक स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट।

(2) संबंधित मंडल के आयुक्त द्वारा मनोनीत एक राजपत्रित अधिकारी जिसके लिये वरीयता तकनीकी ज्ञान रखने वाले अधिकारी को दी जाय।

(3) उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी नियमावली, 1940 के अन्तर्गत पंजीयन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अन्य अधिकारी।

परन्तु उक्त कमेटी के सदस्यों की अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण उनके द्वारा गाड़ियों को फिटनेस प्रमाण-पत्र दिये जाने का कार्य सुचारुरूप से नहीं हो पा रहा था तथा जनता एवं मोटर आपरेटर्स को असुविधा हो रही थी, अतएव शासनादेश सं0 3968–प/तीस–3–8 जे0आर0/72, दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मोटर गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण-पत्र सम्भागीय निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के उपरान्त तैयार किया जाय तथा प्रमाण-पत्र सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा जारी किया जाय और तब से उपरोक्त प्रक्रिया जारी है।

इलाहाबाद जिले के कथित खंड विकास अधिकारी का निलम्बन

*32—श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में इस समय कितने विकास क्षेत्र अधिकारी हैं जिनके ऊपर घोर भ्रष्टाचार का आरोप था, और वे आठ-दस वर्ष से निलम्बित थे? क्या उन्हें पुनः नियुक्त किया गया? यदि हां, तो क्यों? उनके क्या नाम हैं और अब वे कहां नियुक्त हैं?

श्री जमुना प्रसाद—

इलाहाबाद जनपद में इस समय ऐसे कोई भी खंड विकास अधिकारी नहीं हैं।

फर्रुखाबाद जिले के सहकारी बैंक, कन्नौज के कोषाध्यक्ष, श्री रजनीकान्त जैन का निलम्बन

*33—श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की सहकारी बैंक की शाखा कन्नौज के कोषाध्यक्ष (कैशियर) (श्री रजनीकान्त जैन) को दिनांक 2 मार्च, 1974 को निलम्बित किया गया है? यदि हां, तो क्या उन्हें कोई आरोप-पत्र अब तक दिया गया है? क्या उन्हें निलम्बन काल में कोई जीवन–निर्वाह–भत्ता दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद के अध्यक्ष, श्री छोटे सिंह यादव द्वारा श्री रजनीकान्त जैन को 2 मार्च, 1974 को निलम्बित किया गया। श्री जैन को 28 मई, 1974 को आरोप-पत्र दिया गया। सचिव, जिला सहकारी बैंक, फतेहगढ़ ने सूचित किया है कि दिनांक 2 मार्च, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक का जीवन–निर्वाह–भत्ता श्री जैन को दिया गया। तदोपरान्त श्री जैन के निरन्तर मुख्यावास से अनुपस्थित रहने के कारण तथा उनके द्वारा कोई ऐसा प्रमाण पत्र न दिये जाने के कारण कि वह निलम्बित अवधि में किसी अन्य प्रकार का कारोबार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं और उससे उन्होंने कोई पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है, श्री जैन का जीवन–निर्वाह–भत्ता रोक दिया गया।

श्री जन ने अपने पूरे मामले में रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर कर दी है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

*34—श्री सियाराम सागर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सठियांव, आजमगढ़ में हैण्डलिंग आफ शुगर बैग्स सम्बन्धी निविदा

*35—श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सठियांव, आजमगढ़ में हैन्डलिंग आफ शुगर बैग्स सम्बन्धी जो निविदा दिया गया (अनुबन्ध संख्या 2414/14, दिनांक 23 दिसम्बर, 1977) क्या निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो वह अनुबन्ध किन मजबूरियों में किया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्राप्त सूचनानुसार दी किसान सरकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सठियांव, आजमगढ़ में हैण्डलिंग आफ शुगर बैग्स सम्बन्धी निविदा, निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया । इस कार्य में समय की कमी एवं उपयुक्त प्रतियोगियों का अभाव अवश्य अनुभव किया गया परन्तु मिल को समय से चलाने के लिये अन्य कोई विकल्प संभव नहीं बताया गया ।

दुग्धशाला विकास विभाग के दुग्ध पर्यवेक्षकों का कथित सेलेक्शन ग्रेड एवं स्थायीकरण

*36—श्री मन्नूराम (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतयेगी कि दुग्ध शाला विकास, उत्तर प्रदेश विभाग में कितने राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड अब तक दिया गया है ? अगर नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

किसी को नहीं दिया गया क्योंकि इनके लिये सेलेक्शन ग्रेड अभी स्वीकृत नहीं है ।

*37—श्री मन्नू राम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अस्थायी रूप में सेवा नियुक्त राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को स्थायी करने हेतु सरकार से दिनांक 1 जनवरी, 1974 को आदेश मिल चुके थे ? यदि हां, तो उनको स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। शासनादेश संख्या 5395-सी-3/12 सी—140(42)-73, दिनांक 4 मार्च, 1974 के अनुसार 160 दुग्ध पर्यवेक्षकों के पदों को दिनांक 1 जनवरी, 1974 से स्थायी घोषित किया गया था । इन पदों पर दुग्ध पर्यवेक्षकों के स्थायीकरण की कार्यवाही में विलम्ब, उनकी वरिष्ठता सूची व अन्य सेवा सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण होने के कारण हुआ है । इन्हें शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

देवरिया जिले में कुटीर उद्योग और फैक्ट्री की स्थापना सम्बन्धी पत्र

*38—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री प्रश्नकर्ता विधायक एवं कई अन्य विधायकों का पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1977, जिसमें देवरिया जनपद में कुछ कुटीर उद्योग एवं फैक्ट्रियां खोले जाने का सुझाव दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

माननीय सदस्य एवं अन्य विधायकों का एक पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1977 नहीं बल्कि दिनांक 20 सितम्बर, 1977 प्राप्त हुआ था । जिसकी प्रति आयुक्त एवं सचिव, कृषि—गन्ना विकास/खाद्य एवं रसद/उद्योग विभाग तथा विशेष सचिव, पशुधन विभाग को अपने-अपने विभाग से सबन्धित विषयों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये भेजी गई है ।

आगरा, मथुरा व फतेहपुर में पर्यटन स्थल के विकास संबंधी दिल्ली में हुई बैठक

*39—श्री कन्हैयालाल गुप्त (जिला मथुरा)—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सितम्बर, 1974 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने दिल्ली में एक बैठक का आयोजन पर्यटन की दृष्टि से आगरा मथुरा क्षेत्र की विकास योजनाओं पर विचार करने के उद्देश्य से बुलाई थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बैठक के निर्णयों से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री आबिद अली —

जी हां । इस बैठक में आगरा, मथुरा, फतेहपुर के अतिरिक्त प्रदेश के अनेकों स्थानों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा हुयी थी । आगरा, मथुरा, फतेहपुर क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में केवल यह निर्णय लिया गया था कि इन स्थानों के लिये केन्द्रीय सरकार वर्ष 1974—75 में धनराशि आवंटित करें ।

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र इटवा व खुनियांव के अन्तर्गत पुलिया का निर्माण

*40—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र, इटवा तथा विकास क्षेत्र खुनियांव में ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत किन—किन ग्रामों में पुलिया निर्माण का कार्य वर्ष 1977—78 के अन्दर किया गया है और उसपर अलग—अलग कितना—कितना धन सरकार की ओर से लगाया गया है ?

श्री जमुना प्रसाद—

बस्ती जनपद में विकास क्षेत्र इटवा तथा खुनियांव में ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत क्रमशः 30 तथा 18 पुलिया निर्माण हेतु वर्ष 1977—78 में रुपया 61,122.00 तथा रु0 27,240.00 व्यय किया गया है । गांव का नाम तथा पुलियों पर व्यय किये गये धन का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1139 पर)

*41—श्री कल्पनाथ सिंह—

[छठें सोमवार के लिए स्थगित ।]

सीतापुर जिले के महमूदाबाद में विचाराधीन किसान सहकारी चीनी मिल की स्थापना

*42—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद जनपद सीतापुर को स्थापित किए जाने की योजना क्या निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो जिन काश्तकारों ने हिस्से के रूप में धनराशि जमा की थी उन काश्तकारों को उनका पैसा वापस करने के लिये सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

प्रस्तावित चीनी मिल के निर्माण कार्य की समीक्षा हेतु गठित "उच्च स्तरीय तकनीकी समिति" की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि महमूदाबाद सहकारी चीनी मिल, सीतापुर का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया जाय, परन्तु संदर्भित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव के आधार पर इस सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में काश्तकारों को उनके द्वारा क्रय किये गये हिस्सों की धनराशि के वापस करने का इस वक्त प्रश्न नहीं उठता है।

*43--श्री मित्रसेन--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*44--श्री नरेन्द्र सिंह--

[छठें सोमवार के लिए स्थगित।]

*45--श्री नरेन्द्र सिंह--

[छठें सोमवार के लिए स्थगित।]

मुजफ्फरपुर-देवरिया मार्ग पर बस सर्विस चालू किये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री, बिहार का पत्र

*46-श्री कृष्णा राय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह जुलाई, 1977 में बिहार सरकार के मुख्य मंत्री का पत्र आया है जिसमें देवरिया (उत्तर प्रदेश) से मुजफ्फरपुर (बिहार) तक रोडवेज की बस चलाने का अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आबिद अली--

जी हां, माननीय मुख्य मंत्री बिहार का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से किया गया था कि मुजफ्फरपुर से देवरिया तक सीधी बस सर्विस चालू करवाने की व्यवस्था करें। इसको कार्यान्वित करने के लिये 6-12-77 को एक संयुक्त बैठक उत्तर प्रदेश एवं बिहार के परिवहन आयुक्तों की हुई, जिसमें दोनों प्रदेश के निगमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इसमें यह निर्णय लिया गया कि आपसी समझौते के आधार पर बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम एक सीधी बस सेवा मुजफ्फरपुर--देवरिया के बीच चलायेगा और इसके लिये बिहार सरकार इस मार्ग के अराष्ट्रीयकृत मार्ग को, जो बिहार राज्य में पड़ता है, राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही करेगा। बिहार सरकार द्वारा इस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

टैंकरों एवं ट्रकों से दूध ले जाने पर कथित गुड्स टैक्स

*47--श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि टैंकरों में दूध लाये जाने पर गुड्स टैक्स नहीं लगता है परन्तु जब दूध ट्रक में कैन रखकर लाया जाता है तब उस दूध पर गुड्स टैक्स लगता है? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है?

श्री आबिद अली--

टैंकरों में लाये जाने पर या ट्रकों में कैन में रखकर लाये जाने पर नियमानुसार दूध पर गुड्स टैक्स देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1-2--श्री श्रीनारायण--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

प्रदेश में बकाया सहकारी ऋण की वसूली

3--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या सहकारिता मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1977 के 5वें सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ में बतलायेंगे कि अल्पकालीन ऋण के 63 करोड़ 93 लाख 94 हजार तथा दीर्घ कालीन ऋण के 11 करोड़ 27 लाख 26 हजार रुपए के बकाया में से कितना रुपया अब तक वसूल हो चुका है तथा इस रुपये की वसूली के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ? क्या मंत्री यह बतायेंगे कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि बकाया न रहे इसके लिये सरकार क्या निश्चित कदम उठाने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दिनांक 1 जुलाई, 1977 को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण के लगभग 6393.94 लाख रुपये के बकाये में से दिनांक 28 फरवरी, 1978 तक 1,015.37 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है । दीर्घकालीन ऋण के 1127.26 लाख रुपये के बकाये में से 28 फरवरी, 1978 तक 212.29 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है ।

सहकारी बकाये की वसूली हेतु विभाग ने बकाया वसूली का 1 फरवरी, 1978 से विशेष अभियान चलाया है । समस्त जिला धिकारियों/मण्डलायुक्तों को निदेश दिया गया है कि वे सहकारी बकाये की वसूली नियमानुसार शीघ्रता से करायें । पुराने बकायों का सत्यापन इस उद्देश्य से कराया गया है कि जो बकाया नाकाबिले वसूल हो उसे राइट आफ किया जा सके । बकायादार सदस्यों को अपना बकाया 31 मार्च, 1978 तक अदा करने पर कलेक्शन चार्जेज 5 प्रतिशत छूट देकर प्रोत्साहित किया गया और नियंत्रित ऋण वसूली के माध्यम से 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट की भी सुविधा दी गयी ।

सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन दल की रिपोर्ट

4--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को प्रदेश में सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन तथा उन्हें प्रभावी बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ? सरकार अध्ययन दल की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां । प्रदेश में सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन तथा उन्हें प्रभावी बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । अध्ययन दल की रिपोर्ट की

प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का अभी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि रिपोर्ट की संस्तुतियों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

राजकीय वसूली कृषि फार्म, गोरखपुर की आय

5—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय वसूली कृषि फार्म, जनपद गोरखपुर में वर्ष 1972–73, 1973–74, 1974–75 में क्या आय थी और 1975–76, 1976–77 में क्या आय रही है और भारी संख्या में आय बढ़ने-घटने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

उल्लिखित प्रक्षेत्र की सम्बन्धित वर्षों की आय की सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आय रु0
1972–73	1,13,482
1973–74	1,14,901
1974–75	1,17,138
1975–76	1,64,032
1976–77	1.66,039

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उक्त कृषि फार्म की आय में लगातार वृद्धि हुई है ।

आदर्श सहकारी खेती समिति लिमिटेड, बनकसिया, गोरखपुर की आय

6—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, तहसील महराजगंज के ग्राम सभा बढया टोला बन कसिया में करीब 20 एकड़ भूमि जो कोआपरेटिव खेती की है, उसमें क्या आय आज तक रही है ? यदि आय नहीं है, तो क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

आदर्श सहकारी खेती समिति लिमिटेड, बनकसिया, जिला गोरखपुर का क्षेत्रफल अ0 29.13 एकड़ है । वर्ष 1952–53, 54–55 एवं 57–58 में क्रमशः 707.00, 422.00 एवं 88.00 रुपये की आय हुई । समिति के परिसमापन का आदेश दिनांक 30 मई, 1964 को पारित किया गया और तत्पश्चात समिति ने कार्य करना बन्द कर दिया । समिति में जिन वर्षों में आय नहीं हुई उसका मुख्य कारण क्षेत्र में नारायणी गन्डक नदी के बाढ़ का प्रकोप रहा है ।

प्रादेशिक विकास दल के बी0 ओ0 का जी0 पी0 एफ0

7—श्री प्यारे लाल (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक विकास दल के कितने बी0 ओ0 सन् 1973 में रिटायर हुए तथा अभी तक कितने बी0 ओ0 को जी0 पी0 एफ0 मिल चुका है, कितने का बाकी है ? जी0 पी0 एफ0 न दिए जाने का कारण क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पंचायत राज अधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची

8—श्री जगदीश प्रसाद (जिला—गोरखपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 मार्च, 1972 के बाद जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा खन्ड विकास अधिकारियों की कोई सम्मिलित ज्येष्ठता सूची बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं बनायी गयी, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं ।

सम्मिलित ज्येष्ठता सूची न बनाने का कारण यह है कि जिला पंचायत राज अधिकारी और खन्ड विकास अधिकारी के विभाग सम्वर्ग तथा नियुक्ति प्राधिकारी पृथक—पृथक हैं और इन दोनों के वेतनमानों में भी भिन्नता है ।

विकास क्षेत्र, डुमरियागंज, बस्ती में पौष्टिक आहार एवं युवक मंगल दल हेतु आवंटित धनराशि

9—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला—बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र डुमरियागंज में पौष्टिक आहार योजना एवं युवक मंगल दल के लिये कितना कितना धन सन् 1974—75, 1975—76, 1976—77 में दिया गया है और उस धन से क्या क्या—कार्य किए गए ?

श्री जमुना प्रसाद—

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र डुमरियागंज, में पौष्टिक आहार योजना एवं युवक मंगल दल के लिये वर्ष 1974—75, 1975—76 और 1976—77 में प्रति वर्ष तीस—तीस हजार रुपये आवंटित किये गये। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु क्रमश: 2,900रु0, 4,480रु0 और 3,825 रुपये एवं पुरस्कार योजनान्तर्गत वर्ष 1975—76 में 10,700 रु0 तथा वर्ष 1976—77 में 3,000 रुपये आवंटित किये गये । आवंटित धनराशि से किये गये कार्यों का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ—1041 पर)

राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

10—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई और कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून, 1972 को हुई थी, इसमें 38,432 कर्मचारी सेवारत हैं। कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां, उनकी यूनियनों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार कर ली गई हैं जिन्हें अब अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन एवं मांगें

11--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने दिनांक 7 नवम्बर, 1977 को प्रदेश के कोने-कोने से आकर लखनऊ में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के यहां प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगें थीं ? जो मांग-पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें से कितनी मांगें स्वीकार की गयी थीं तथा कितनी मांगें शेष हैं ? जो मांगे शेष हैं उसे सरकार पूरा करने का कब तक विचार कर रही है ?

श्री आबिद अली--

जी हां। दिनांक 7 नवम्बर, 1977 को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् के आवाहन पर लगभग 4000 कर्मचारियों ने निगम के मुख्यालय पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। इन मांगों को स्वीकार कर लिया गया तथा दिनांक 7 दिसम्बर, 1977 को उनके प्रतिनिधियों से मांगों के सबंध में एक समझौता भी कर लिया गया है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

फैजाबाद, दर्शन नगर सहकारी संघ व रनीवा सहकारी संघ का स्पेशल आडिट

12--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की दर्शन नगर सहकारी संघ तथा रनीवा सहकारी संघ की वर्ष 1977 की स्पेशल आडिट रिपोर्टों की प्रतियां सरकार को मिल गई हैं ? यदि हां, तो इन रिपोर्टों में सबंधित संघों में अलग-अलग कुल कितनी अनियमितता और गबन की शिकायतें मिली हैं और इसके लिये दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद फैजाबाद के दर्शन नगर सहकारी संघ तथा रनीवा सहकारी संघ की वर्ष 1977 की स्पेशल आडिट की प्रतियां प्राप्त नहीं हुयी हैं। दर्शन नगर सहकारी संघ का वर्ष 1975-76 का जो स्पेशल आडिट वर्ष 1977 में हुआ था उसकी प्रतियां प्राप्त हुई हैं। इनमें 41,679.11 रु0 के अपहरण एवं दुर्विनियोग तथा 4745.04 रु0 की गंभीर अनियमितता दिखाई गई है। परिपालन प्रक्रिया में केवल 8230.49 रु0 के अपहरण दुर्विनियोग तथा अनियमितता पाई गयी है। इसकी वसूली में श्री लगन प्रसाद वर्मा, तत्कालीन सचिव की 2684.75 रु0 की जमानत समायोजित की जा रही है तथा सर्वश्री लगन प्रसाद वर्मा, दिवाकर मिश्र, भूतपूर्व सचिव एवं राम फूल तिवारी, कपड़ा विक्रेता के विरुद्ध सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत सरचार्ज की कार्यवाही हेतु जांच आदेश, दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 को दिये जा चुके हैं। श्री लगन प्रसाद वर्मा 9 जनवरी, 1978 को दिवंगत हो चुके हैं।

फतेहपुर जिले के ग्राम दुबेपुर के कृषकों से अनियमित खाद की तकावी की वसूली

13--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जिला फतेहपुर के ब्लाक देवमयी से ग्राम दुबेपुर के कृषकों को खाद तकावी में दी गयी धनराशि की वसूली में उक्त ब्लाक के अमीन ने रसीद बु0 नं0 36185--30550 तथा 19802 से धन लिए जाने में रसीदें दीं और कुछ को रसीदें

ही न होने का हीला देकर रसीद नहीं भी दी ? धन शासकीय कोष में जमा करने के बजाए अपहरण कर लिया इसकी पोस्टिंग खातों में भी नहीं की गई ? क्या यह सही है कि ब्लाक से दुबारा वसूली के लिये आर० सी० तहसील भेजी गयी है जिसमें कुर्की, वारन्ट की धमकी देकर पुनः रुपया दिये जाने को बाध्य किया जा रहा है ? कृषकों में भय व्याप्त हो गया है जिसकी शिकायत जिलाधीश को दिनांक 1 मई, 1975 में की गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार वसूली रोकने व वसूले गए धन के दायित्व तय करने के साथ-साथ कृषकों को मुक्त करने की कब तक आशा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जनपद फतेहपुर के विकास खंड देवमई से ग्राम दुबेपुर के कृषकों को तकावी पर वितरित उर्वरक की वसूली हेतु ब्लाक के अमीनों को रसीद बुक नं० 36185 व 30550 प्रयोग हेतु जारी की गई हैं।

बिना रसीद जारी किये ब्लाक अमीन द्वारा पैसा वसूल किये जाने के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था।

ग्राम दुबेपुर के कृषकों से उपरोक्त वसूली हेतु डिमान्ड तहसील में मई, 1977 में भेजी गई है।

ब्लाक अमीन द्वारा कृषकों से वसूल की गई शासकीय धनराशि के अपहरण की आशंका है। अतएव मामले को कृषि निदेशक के स्तर से विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) को जांच हेतु सौंप दिया गया था जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है।

14--श्री रवीन्द्र सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया जाना।]

सीतापुर की ग्राम सभा बसुरा के फर्नीचर उद्योग की बन्दी

15--श्री रामनरायन वर्मा तथा श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बसुरा, ब्लाक मथुरा, जिला सीतापुर में ग्राम सभा द्वारा कोई फर्नीचर बनाने का उद्योग चलाया जा रहा है? यदि हां, तो उस उद्योग से प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है तथा इस उद्योग में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां।

ग्राम सभा बासुरा, ब्लाक रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर में दिनांक 11 मार्च, 1977 को 7,200 रुपये की अंशपूंजी तथा दो कर्मचारी लगाकर फर्नीचर उद्योग स्थापित किया गया था। इसमें नवम्बर, 1977 तक उत्पादन कार्य हुआ, तत्पश्चात् यह उद्योग निष्क्रिय हो गया। इस समय इसमें कोई उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है। उद्योग को पुनः सक्रिय करने की कार्यवाही की जा रही है।

मेसर्स सेकसारिया शुगर मिल बभनान, जिला गोंडा के विरुद्ध शिकायती पत्र

16—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स सेकसरिया शुगर मिल, बभनान, जिला गोंडा के विरुद्ध दिनांक 20 सितम्बर, 1975 को शिकायती-पत्र कुडीला लरूबाट हिस्सेदार बभनान चीनी मिल जिला बस्ती ने दिया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और उस पत्र में किस-किस प्रकार की कौन-कौन सी शिकायत थी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां । शिकायती पत्र पर गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से आख्या प्राप्त कर के बभनान चीनी मिल के विरुद्ध कम्पनीज ऐक्ट की धारा 234 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु रजिस्ट्रार, ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज, उत्तर प्रदेश को दिनांक 3 सितम्बर, 1976 को लिखा गया जिसकी प्रति शिकायतकर्ता को भी पृष्ठांकित की गई । चूंकि मिल महाराष्ट्र राज्य में रजिस्टर्ड है, अतः उक्त प्राधिकारी ने उसे महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कागजात अपने पत्र दिनांक 14 अक्तूबर, 1976 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये हैं ।

उक्त पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि मिल पर कृषकों, श्रमिकों एवं शासन का रुपया बकाया होते हुये भी मिल का रुपया सूद रहित या कम सूद पर कतिपय फर्मों को दिया गया जबकि मिल को कृषकों के बकाये पर तथा गन्ना क्रय कर पर 12 प्रतिशत सूद तथा 100 प्रतिशत तक पेनाल्टी देनी पड़ती है ।

जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारी की सेवा समाप्ति

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक महोदय, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई इस आशय का परिपत्र प्रदेश की समस्त जिला सहकारी बैंकों के सचिवों को 30 नवम्बर, 1977 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन भेजा गया है कि जुलाई, 1972 के बाद प्रदेश की जिला सहकारी बैंकों में नियुक्त समस्त अस्थायी कर्मचारियों को 31 दिसम्बर, 1977 तक सेवामुक्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो परिपत्र क्या है तथा इस परिपत्र के कारण कितने कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । एक परिपत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 1977 को भेजा गया था ।

उक्त परिपत्र सहकारी समिति निबन्धक द्वारा प्रदेश की समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाओं, समस्त जिला सहकारी बैंकों, समस्त जिला सहकारी संघों, सहकारी सूती मिल लिमिटेड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ, यूपिका, कानपुर, ओ0 एण्ड आर0 रेलवे इम्पलाईज कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ और यू0पी0 पोस्टल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ के सचिवों को भेजा गया था । जिसका विषय, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के गठन के पश्चात् कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नतियों व अनुशासनिक मामलों का नियमानुसार सम्पन्न किया जाना था । †परिपत्र की प्रति संलग्न है । जहां तक कर्मचारियों को सेवा

† छापा नहीं गया ।

मुक्त किये जाने का प्रश्न है इस विषय में महोबा बैंक को छोड़कर शेष 54 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनके अनुसार 132 कर्मचारी सेवामुक्त किये गये हैं ।

कृषि निरीक्षकों का पदनाम ग्रामसेवक न रखने संबंधी पत्र

18--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 23 सितम्बर, 1977 के उस राजाज्ञा को निरस्त करने के सम्बन्ध में उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि कृषि निरीक्षकों का पदनाम ग्राम सेवक न रखा जाए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

19--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[भारत सरकार से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

बांदा जिले के ग्राम कालींजर अस्पताल के हेतु चिकित्सक की मांग

20--श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा के नरैनी तहसील में स्थित गांव कालिंजर के जिला परिषद् के अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं है ? यदि हां, तो कब से और क्या अविलम्ब वहां चिकित्सक भेजने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद--

कालिंजर को नरैनी का अस्पताल स्थानान्तरित किया गया था । नरैनी में हमेशा चिकित्साधिकारी शासन द्वारा उपलब्ध किया जाता रहा लेकिन कालिंजर जो एक छोटा स्थान है, में जिला परिषद् को स्वयं व्यवस्था करनी है । उन्होंने केवल अल्पकालिक व्यवस्था की है । उनसे कहा जा रहा है कि वे कालिंजर में पूर्ण कालिक चिकित्सक की व्यवस्था अविलम्ब करें ।

गोरखपुर के पशु चिकित्सालयों में नौसादर के स्थान पर नमक की आपूर्ति

21--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या पशुपालन मंत्री को जानकारी है कि उप निदेशक, पशुपालन गोरखपुर के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों में नौसादर के नाम पर जमाये गये साधारण नमक की आपूर्ति की गई है ? जिससे पशुओं के रोग नियंत्रण का कार्य प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इस घोटाले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराई जायगी ? । यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, ऐसी शिकायत मिली है जिसकी जांच की जा रही है ।

सहकारी समिति भुलभुलिया व कैथोला, गोंडा के सचिवों के विरुद्ध गबन के मुकदमें

22—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सहकारिता मन्त्री को यह जानकारी है कि सहकारी समिति कैथोला व भुलभुलिया, विकास खण्ड हलधर मऊ, जिला गोंडा के सचिवों के विरुद्ध वर्ष 1974 से अब तक कई गबन के मुकदमें थाना कोतवाली व कोतवाली देहात जिला गोंडा में कायम किए जा चुके हैं फिर भी अपने–अपने पदों पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो गबन का पूर्ण विवरण क्या है और उन्हें अब तक न हटाए जाने का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत सहकारी समिति भुलभुलिया के सचिव के विरुद्ध दिनांक 9 सितम्बर, 1974 व 21 अप्रैल, 1975 को क्रमशः अपराध संख्या 1070/74 व 6/75 पर थाना कोतवाली गोंडा व कोतवाली देहात गोंडा में 943.00 रु0 व 84.52 रु0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम मामले में विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा विवेचना पूर्ण करके सचिव एवं तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध 25 अगस्त, 1977 को मु0 600.00 रु0 का आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है, दूसरा मामला अभी विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता की विवेचना में है। सहकारी समिति कैथोला के सचिव के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। प्रथम मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण सचिव को अब तक नहीं हटाया गया है।

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[1ले मंगलवार (28 मार्च, 1978) के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत उत्तरित]

लखीमपुर–खीरी के ग्राम सरवा में जूट सड़ाने के टैंक का निर्माण एवं ठेकेदार का भुगतान

24—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या कृषि मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 13 जनवरी, 1970 ई0 को ग्राम सरवा, विकास क्षेत्र फूल बेहड़, जिला लखीमपुर खीरी में चार जूट मिलों ने ठेकों के बनाने का ठेका मु0 40,000 रुपए में एक ठेकेदार को दिया था? काम समय से पूरा हो गया किन्तु विभाग ने उक्त ठेकेदार को केवल 29,000 रुपए का भुगतान किया शेष रुपए को उस समय के क्षेत्रीय जूट विकास अधिकारी ने ठेकेदार को पेमेन्ट नहीं किया? यदि हां, तो क्या सरकार उस ठेकेदार की बकाया धन के भुगतान का प्रबन्ध करेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वर्ष 1969–70 में ग्राम सरवा, विकास क्षेत्र फूलबेहड़, जिला लखीमपुर–खीरी में जूट सड़ाने के लिए चार टैंकों के बनाने का ठेका 40,000 रुपया में एक ठेकेदार को दिया गया था। कार्य समय से पूरा हो गया था और तत्कालीन क्षेत्रीय जूट विकास अधिकारी, लखीमपुर–खीरी ने ठेकेदार को कुल देय 39,953·80 रु0 का भुगतान भी कर दिया था।

फर्रुखाबाद के ग्राम गौरखेड़ा के श्री शाहजादे का तकावी की वसूली सम्बन्धी आवेदन-पत्र

25—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ग्राम गौरखेड़ा, डाकखाना मिस्तिनी बहखलपुर, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के शाहजादे पुत्र रम्पू का यह आवेदन–पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुआ है कि उसने कभी कोई खाद ब्लाक या तहसील से तकावी में नहीं ली और न उसने कभी कोई खाद लेने

का प्रार्थना–पत्र ही दिया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा करवाई गई और क्या तथ्य सही पाए गए और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्री शैजादे पुत्र रम्पू का आवेदन–पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ सहकारिता मन्त्री के कार्यालय में दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुआ था। उसकी जांच खण्ड विकास अधिकारी, कायमगंज जिला फर्रुखाबाद द्वारा की गई।

जांच के फलस्वरूप यह पाया गया कि श्री शैजादे ने खाद की तकावी नहीं ली थी बल्कि 1964–65 में उपरोक्त श्री शहजादे ने वाहवाह कल्टीवेटर की तकावी 51.58 रुपए ली थी जिसकी वसूली व्याज सहित मई, 1966 तथा जून, 1968 में की जा चुकी है और उन पर कोई धनराशि बाकी नहीं है।

राजकीय कृषि फार्म की संख्या एवं व्यय की गई धनराशि एवं कार्यरत कर्मचारी और लाभ तथा हानि

26—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री सन्तबख्श रावत तथा श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताएगी कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन–कौन कृषि फार्म तथा कितने–कितने क्षेत्रफल के सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं ? वर्ष 1976–77 में सरकार को प्रत्येक ऐसे कृषि फार्म पर कितनी–कितनी धनराशि किस–किस मद में व्यय करनी पड़ी है और प्रत्येक पर कितने सरकारी कर्मचारी कार्यरत रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

राज्य में इस समय कृषि विभाग के 171 प्रक्षेत्र हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1—बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र	145
2—सम्भागीय परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र	13
3—भूमि संरक्षण प्रक्षेत्र	6
4—अनुदेशात्मक प्रक्षेत्र	6
5—जूट विकास प्रक्षेत्र	1
योग ..	171

इन प्रक्षेत्रों का क्षेत्रफल वर्ष 1976–77 में मदवार व्यय तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या संलग्न †प्रदर्श 1 में दी गई है।

27—श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री सन्तबख्श रावत तथा श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

क्या सरकार यह भी बताएगी कि वर्ष 1976–77 में उपरोक्त कृषि फार्मों में कितना–कितना लाभ–हानि हुआ है ? यदि हानि हुई है, तो क्यों ? सरकार इसको दूर करने के लिए क्या कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

राज्य के 35 कृषि प्रक्षेत्र हानि पर रहे जिन पर कुल हानि 14,79,250 रु0 हुई, तथा 136 कृषि प्रक्षेत्र लाभ पर रहे जिनका लाभ 33,44,929 रु0 रहा। इस प्रकार प्रदेश

† छापा नहीं गया।

स्तर पर शुद्ध लाभ 18,65,679 रु0 रहा । अभी 4 प्रक्षेत्रों (बखारी, कटियार, सिरौर तथा रहमान खेड़ा) के वर्ष 1976–77 के आंकड़े कुछ कारणवश प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः इन प्रक्षेत्रों के वर्ष 1975–76 के आंकड़े दिए गए हैं ।

प्रक्षेत्रों पर हानि मुख्यतः दैवी आपदाओं जैसे असामयिक वर्षा तथा सिंचाई आदि की सुविधा न होने के कारण हुई है । हानि के कारणों को तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा दूर करने हेतु उचित निर्देश दिये गये हैं ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

28—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत कितने अधिकारियों के विरुद्ध 20 नवम्बर, 1977 तक विजिलेंस विभाग द्वारा जांच हो रही थी, कितनों की जांच अक्तूबर तक पूरी हो गयी ? कितनों की जांच अब भी चल रही है ? विजिलेंस की जांच पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री आबिद अली—

दिनांक 20 नवम्बर, 1977 तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के विरुद्ध सात जांचें सतर्कता अधिष्ठान में लम्बित थीं जो अब भी लम्बित हैं । जांच पूरा न होने का कारण कुल प्राप्त जांचों की अधिकता एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित जांचों की सामान्य जटिलता है ।

विकास खण्ड, हरिहरपुर रानी व सिरसिया, जिला बहराइच के अन्तर्गत पेय जल कूपों का निर्माण

29—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि विकास खण्ड, हरिहरपुर, रानी व सिरसिया, जिला बहराइच में 1975–76 से लगा कर अब तक कितने पेय जल कूप का निर्माण विकास खण्ड की ओर से किया गया है ? उनमें से कितने पूर्ण हो गये और कितने अपूर्ण हैं ? उन अपूर्ण कूपों को पूर्ण न करने का क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

विकास खण्ड, हरिहरपुर रानी व सिरसिया, जनपद बहराइच में वर्ष 1975–76 से लगा कर 31 मार्च, 1978 तक पेय जल कूपों के निर्माण की स्थिति निम्नवत् है :—

विकास खण्ड, हरिहरपुर रानी—

वर्ष 1975–76 में किसी कूप का निर्माण नहीं किया गया था । वर्ष 1976–77 में क्षेत्र समिति द्वारा कुल 22 पेय जल कूपों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था जिनमें से 16 कूप पूर्ण हो गये हैं तथा शेष 6 कूप सीमेन्ट उपलब्ध न होने के कारण अपूर्ण रहे । अब सीमेन्ट उपलब्ध करा दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है ।

वर्ष 1977–78 में 9 पेय जल कूपों का निर्माण प्रारम्भ कराया गया जिनमें से 5 कूपों का निर्माण पूर्ण हो गया है तथा शेष 4 पर निर्माण कार्य जारी है ।

विकास खण्ड, सिरसिया—

वर्ष 1975–76 में किसी कूप का निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया था । वर्ष 1976–77 में केवल एक पेय जल कूप निर्मित कराया गया । वर्ष 1977–78 में कुल 20 स्वीकृत कूपों में से 16 कूप पूर्ण हो गये हैं तथा शेष 4 के लिये भी ईंट एवं सीमेन्ट आदि की व्यवस्था कर दी गई है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर हैं ।

कृषि विभाग के स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

30—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में 1 अप्रैल, 1965 से वर्गवार कुल कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त किये गये हैं ? उनमें से वर्गवार ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें स्थायी होने से पूर्व ही सेवा निवृत्त होना पड़ा ? अब विभाग सेवा निवृत्त से पूर्व ही कर्मचारी स्थायी हो जायं इस विषय में क्या ठोस कार्यवाही करने जा रही है ? उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, परन्तु अभी तक उन्हें पेन्शन नहीं मिलना प्रारम्भ हुआ है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

कृषि विभाग में दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से 1,317 कर्मचारी/अधिकारी सेवा निवृत्त हुये जिनमें से 35 कर्मचारी स्थायी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये । वर्गवार व्योरा निम्नवत् है :—

	सेवा निवृत्त हुये अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	स्थायी होने से पूर्व सेवा निवृत्त हुये अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी–1	72	..
श्रेणी–2	99	..
अधी0 कृषि सेवा वर्ग–1	71	..
अधी0 कृषि सेवा, वर्ग–2	191	5
अधी0 कृषि सेवा, वर्ग–3	58	10
लेखा अराजपत्रित कर्मचारी	36	2
लिपिक वर्ग	199	3
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	591	15
योग ..	1,317	35

बड़ी संख्या में अस्थायी पदों के स्थायी घोषित हो जाने से अब इस बात को सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि सेवा निवृत्त होने से पूर्व ही कर्मचारी स्थायी हो जायं । 235 कर्मचारी ऐसे हैं, जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं परन्तु अभी तक उन्हें पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

उपाध्यक्ष के चुनाव सूची में उम्मीदवारों के समर्थकों व प्रस्तावकों के ठीक न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, 12 तारीख को आपने सदन में एक व्यवस्था दी, जो उपाध्यक्ष का चुनाव होने को था और जो कार्यवाही में लिखा है कि—"माननीय सदस्यों के अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया है और पुनः इसकी तारीख तय की जायगी ।" अब 12

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तारीख तक जो उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव की प्रक्रिया मिली है, उसमें 12 नाम आये थे, उसमें ऐसे भी सदस्य हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा सदस्यों (प्रत्याशियों) के नामों का समर्थन किया है या प्रस्ताव किया है । जब कि लोक सभा की कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली के नियम 8 (2) में स्पष्ट लिखा है—"परन्तु कोई सदस्य अपना नाम पुरःस्थापित करेगा और न अपना नाम पुरःस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न एक से अधिक प्रस्तावों का अनुमोदन करेगा ।" आपने व्यवस्था दी थी कि चुनाव स्थगित कर दिया गया है और जो हम लोगों को सूची मिली है, उसमें श्रीमती कुदसिया बेगम का नाम प्रस्तावित किया है.....

श्री अध्यक्ष—

आपने जो आपत्ति की है, उस सम्बन्ध में मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं । यह नामों की केवल सूची है, जो प्रस्ताव आये हैं, लेकिन नियम आप जानते हैं कि यहां पर प्रस्ताव होता है, उसके बाद ही उस पर वैधता के बारे में मैं अपना निर्णय दूंगा। जब चुनाव की तारीख तय हो जाएगी, नियम यह है कि पहले लिखित आता है और फिर सदन में नाम प्रस्तावित होता है, तो जब यहां प्रस्ताव होगा, तब मैं उसकी वैधता और अवैधता के बारे में अपना निर्णय दूंगा । इसलिये अभी इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इन 12 की सूची में जितने नाम हैं, क्या सबके नाम वैध हैं ?....

श्री अध्यक्ष—

12 तारीख को यदि चुनाव होता, तो जिन्होंने प्रस्ताव दिया है, वह यहां प्रस्ताव करते, प्रस्ताव न करे तो स्वतः ही वह गिर जाता और उसके बाद तय करते कि यह प्रस्ताव उचित है या नहीं । अभी मैंने तारीख नहीं मुकर्रर की है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता है ।

आज प्रश्नोत्तर काल में गन्ना विकास मन्त्री द्वारा मुख्य मन्त्री व उनके बीच विरोध की कही गई बात पर व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज गन्ना विकास मंत्री, जब उत्तर दे रही थीं, उस समय उन्होंने स्पष्ट यह बात कही कि इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री और मेरे अन्दर विरोधाभास था । किन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि ज्वाइन्ट रिस्पांस्बेलिटी पूरे मंत्रिमण्डल की है और उस मंत्रिमण्डल का हेड मुख्य मंत्री होता है । अब यह सवाल पैदा होता है, जब माननीया मंत्री जी यह कहती हैं कि मेरे और उनके यानी हेड आफ दि कौंसिल आफ दि मिनिस्टर्स के अन्दर विरोध है तो फिर यह माननीय सदन माननीय मुख्य मंत्री का जो मत है, उसको मानने के लिये बाध्य होगा या मंत्री जी का जो काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स की केवल एक सदस्य हैं उनकी बात मानने के लिए बाध्य होगा ? इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह जो प्रश्न उपस्थित किया है, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है । लेकिन मंत्रि-परिषद् का शासकीय प्रश्न है । यह मैं अवश्य समझता हूं कि इस प्रकार का विरोधाभास सदन के अन्दर आना अवांछनीय है । माननीय गन्ना विकास मंत्री ने जो स्वयं उत्तर दिया, चाहे माननीय मुख्य मंत्री ने परामर्श दिया हो, उसका उत्तरदायित्व स्वयं माननीय गन्ना विकास मंत्री का है । माननीय गन्ना विकास मंत्री जी को, जो संसदीय प्रणाली है, उसके अनुसार माननीय मुख्य मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]—

का नाम नहीं लेना चाहिए था। यह उनका अंदरूनी मामला था। माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करूंगा, जो इस तरह के विरोधाभास सदन में आते हैं, मंत्रि–परिषद् का उत्तरदायित्व संयुक्त है। उसमें मैं माननीय मंत्री को भी कहता हूं कि यह गोपनीयता की नीति के विरुद्ध है। यह यहां पर नहीं आना चाहिए। यह माननीय मुख्य मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि इस तरह का कोई विरोधाभास न हो।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय मुख्य मंत्री को बदनाम करने के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए आप क्यों टिप्पणी करते हैं? अब आप बैठिये।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

इनको अलग हो जाना चाहिए।

गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम नहीं लिया। माननीय सदस्य ने नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि मेरा मत तो भिन्न थ। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझ को यह आदेश दिया, इस पर यह किया।

मैं कह रहा हूं कि यह गोपनीयता का विषय है। इसमें आपको भविष्य में ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न सदन में नहीं आने चाहिए जो मंत्रि–परिषद् की गोपनीयता से सम्बन्ध रखते हैं। यह अन्दरूनी मसला है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

यहां क्यों आया?

श्री अध्यक्ष—

अगर आया तो बुरा है।

फैजाबाद में जनता पार्टी के कार्यालय के सामने श्री श्रीराम द्विवेदी पर युवा जनता कार्यकर्ता तथा असामाजिक तत्वों द्वारा हमले के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, कल दिनांक 16 तारीख को दिन को दो बजे फैजाबाद के जनता पार्टी के कार्यालय के सामने माननीय सामुदायिक विकास मंत्री की उपस्थिति में लगभग एक दर्जन कथित युवा जनता के कार्यकर्ता और कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे अंग रक्षक को बुरी तरह से घायल कर दिया। उसका रिवाल्वर छीनने की कोशिश की और घसीटते हुए ले गये हैं। अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। मेरी जिन्दगी को गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं इस सदन के जरिये उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं, इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए, मेरे अंग रक्षक को गायब कर दिया गया है, उसके पता लगाने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, अभी जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है यह सूचना बड़ी ही हृदय विदारक है और इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में शान्ति–व्यवस्था और कानून की क्या स्थिति है। विधि का राज्य में विश्वास करने वाली सरकार माननीय सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती तो दूसरे की क्या कर सकती है ? अंग रक्षक को घायल कर दिया गया और रिवाल्वर छीन लिया गया है। इसलिए मैं आप से चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था आप करें। अगर आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकेगी।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या अपने ही घर में अपने ही जनों से हुए हमले को इस सदन में लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

शून्य प्रहर में जो सूचनायें मेरे संज्ञान में आती हैं, तो माननीय सदस्य ने लिखकर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ और शैडो गायब है। तो मैंने अनुमति दे दी।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

यह बहुत ही गम्भीर घटना है और इस घटना को बड़ी गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। मान्यवर, एक विधायक महोदय को आलरेडी एक अंग रक्षक दिया जा चुका है कि उनके जीवन की रक्षा की जा सके। उनके ऊपर उनकी पार्टी के दल के द्वारा हमला किया जाता है और हमला ही नहीं किया जाता है उनके अंग रक्षक से पिस्तौल छीन ली जाती है और उस अंग रक्षक का आज तक पता नहीं है अगर ऐसी इस प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था है तो मान्यवर, हमारी रक्षा कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर) रियासत साहब इस पर कोई अनुमति नहीं है।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, यह प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा मेरे सामने आया था और उसी आधार पर हमने अंग रक्षक की व्यवस्था कर दी थी। जिस तरह घटना हुई उसकी सारी जांच करायी जायेगी कि ऐसे लोग चाहे वह किसी दल से सम्बन्धित हों, अगर इस तरह का क्रिया–कलाप करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावेगी और सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री, ग्राम्य विकास वहां पर मौजूद थे, जब यह घटना हुई। वह इस सदन में मौजूद हैं उनसे जान लिया जाये कि घटना क्या है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने शिकायत की है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सुरक्षा की कार्यवाही की जावेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज बृज राज सिंह (जिला खीरी)—

माननीय मंत्री जी मौजूद हैं। उनका स्पष्टीकण लेना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

कोई आवश्यकता नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

इस मामले में ग्राम्य विकास मंत्री जी का हाथ हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर कोई जांच कमेटी नहीं है।

अर्जक संघ, गोरखपुर द्वारा रामायण जलाने के परिणामस्वरूप छात्रों द्वारा श्रीजगजीवन राम का पुतला जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्जक संघ द्वारा गोरखपुर में रामायण आदि जलाने तथा उसके बाद उसके विरोध में नगर के छात्रों द्वारा श्री जगजीवन राम का पुतला जलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में :

मान्यवर, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 14-4-78 को अर्जक संघ के लोगों ने जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया तथा कचहरी में जिलाधीश कमेटी के सामने रामायण आदि धार्मिक पुस्तकों को जलाया। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे दिन नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र विश्वविद्यालय में एकत्र हुए तथा एक बड़ा जुलूस बनाकर नगर की सड़कों पर तथा अन्त में जिला कचहरी में प्रदर्शन किए। छात्रों ने सभा भी किया तथा श्री जगजीवन राम का पुतला जलाया। पुनः विद्यालय खुलने पर हड़ताल, प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लेते हुए शीघ्र गोरखपुर-बन्द का आवाहन भी किया है। लगभग तीन दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्थिति तनावपूर्ण है। परीक्षायें चल रही हैं। यदि कहीं परीक्षाओं में भी व्यवधान पड़ गया तो गंभीर परिस्थिति पैदा हो जायेगी।

प्रभावी कार्यवाही हेतु सदन के संज्ञान में ला रहा हूं।

मान्यवर, कल के दिन तक मैं गोरखपुर में था वहां पर बड़ी ही गंभीर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष—

आपन अपनी सूचना दे दी।

एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री, बरेली के मालिकों द्वारा मजदूरों के वेतन से भविष्य निधि का लगभग 13 लाख रुपया गोल माल किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि एच0 आर0 शुगर फैक्टरी, बरेली के मालिकों द्वारा मजदूरों के वेतन से भविष्य निधि का लगभग 13 लाख रुपया काट लिया गया, परन्तु उनके खाते में जमा न करके कोई अन्यत्र गोलमाल किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह फैक्टरी इस समय शासकीय नियंत्रक के अधीन है और 13 लाख में से लगभग 9 लाख रुपया तो मालिकों के समय का है और शेष रिसीवर के काल का बकाया है। चिन्ता की बात है कि सरकार द्वारा मजदूरों की बकाया बांटने के लिए 11 लाख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया दिया गया। मालिकान वह भी हजम कर गये, परन्तु मजदूरों को एक पैसा भी नहीं मिला। आश्चर्य है कि न तो मजदूरों को रुपया दिलाया गया और न मालिकों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही ही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त अनिवार्य जमा योजना की दूसरी किस्त भी नहीं दी गयी। 1976 के वेतन देर से देने के फलस्वरूप हुआ जुर्माना भी बकाया है। ओवर–टाइम तथा देय धनराशि का कोई पुरसां हाल नहीं है। फैमिली पेंशन के मामले भविष्य निधि कार्यालय में पड़े हैं। अनेक श्रमिक, जो ड्यूटी पर मरे, उनके आश्रितों को कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया।

मान्यवर, कुल मिलाकर मजदूरों का भीषण शोषण होने के कारण उनमें घोर असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है। मजदूर श्रम विभाग से भी निराश हो गये, क्योंकि शासकीय रिसीवर काल में समस्यायें सुलझने के बजाय और अधिक गहन हुई हैं।

अब असन्तोष इतना व्यापक एवं बरदाश्त की सीमा के बाहर हो गया है कि श्रमिक नेता आन्दोलन के रास्ते पर उतर आये हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री एवं गन्ना विकास मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि श्रमिकों की मांगों के समाधान हेतु तत्काल सामयिक कदम उठाने की कृपा करें।

परीक्षा केन्द्र श्री गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर, कानपुर के प्रधानाचार्य द्वारा ड्यूटी पर लगे अध्यापक, श्री बैजनाथ विश्वकर्मा को पीटे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान दिनांक 11 अप्रैल, 1978 को परीक्षा केन्द्र श्री गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर, कानपुर के प्रधानाचार्य ने स्वतः ड्यूटी पर लगे अध्यापक श्री बैजनाथ विश्वकर्मा को मारा–पीटा तथा कुछ अराजक तत्वों द्वारा उसका रुपया भी छिनवा लिए। घाटमपुर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों में काफी आक्रोश है तथा जनता में भी बेचैनी फैली हुई है। सैकड़ों छात्र परीक्षा केन्द्र घाटमपुर में परीक्षा दे रहे हैं। सभी छात्र क्रोधित हैं।

इस संदर्भ में अध्यापक श्री बैजनाथ ने थाना घाटमपुर में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और धारा 392 आई0 पी0 सी0 की पुलिस ने डाक्टरी परीक्षा भी सम्बन्धित अध्यापक की कराई है। श्री गांधी विद्यापीठ के प्रधानाचार्य जी ने बहुत से अराजक तत्वों को इकट्ठा कर लिया है, जिनके द्वारा भय और आतंक फैलाये हुए हैं। मान्यवर, उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध शिक्षा विभाग के उच्चधिकारियों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे शांति का वातावरण बनता। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है।

विभाग के राजपत्रित अधिकारी श्री रमाकान्त अस्थाना (ए0 डी0 आई0) के द्वारा डी0 आई0 ओ0 एस0, कानपुर ने जो जांच कराई है और जो जांच आख्या दी है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जब कि उन्होंने उपरोक्त स्थिति का समर्थन करते हुए केन्द्र व्यवस्था के बदलने को लिखा है। फिर भी उस पत्रावली को डी0 आई0 ओ0 एस0 ने रोक रखा है। अब स्थिति यह है कि श्री गांधी विद्यापीठ के अन्दर कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध माननीय शिक्षा मंत्री जी अविलम्ब कदम उठाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे अग्निहोत्री]—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक पद से भी तुरन्त हटाया जाय और वहां की स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी आदेश दिए जायं, जिससे शांति व्यवस्था कायम हो सके। यदि वहां कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर पर होगी।

मनोहर कहानियों के दिसम्बर अंक में छपे खटिक जाति के चरित्र हनन से खटिक जाति में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जाति करीब 22 प्रतिशत हैं और उसमें खटिक समाज की जन-संख्या 56 लाख के करीब है। उक्त जाति अनुसूचित की उपजाति है। इस जाति के चरित्र पर दिसम्बर के "मनोहर कहानियां" अंक के पृष्ठ 22–24 में कीचड़ उछाली गयी। पत्रिका ने खटिक समाज की अत्यन्त गिरी हुई चरित्र की तस्वीर पाठकों के समक्ष रखी है। उसका निम्न उद्धरण है :—

"खटिक बड़े परिश्रमी, चालाक और तेज होते हैं। वे मद्धिम और गोरे रग के भी होते हैं। उनका नाक-नक्श अच्छा होता है। उनकी औरतें काफी खूबसूरत होती हैं और कुछ तो सचमुच बहुत खूबसूरत होती हैं। उनमें नैतिक ढिलाई पायी जाती है। उनकी शादी कम उम्र में ही हो जाती है, लेकिन बहुधा वे धनी लोगों की रखैलें बनकर रहती हैं। इनकी जानकारी उनके पतियों को होती है और कभी-कभी तो इस काम में उनकी मिली भगत भी होती है। खटिक पढ़े-लिखे नहीं होते। इस जाति की खूबसूरत औरतों की पहुंच बड़े लोगों तक कैसे हो जाती है।"

इसके विरोध स्वरूप अखिल भारतीय खटिक महासघ की संघर्ष समिति ने 15 फरवरी, 1978 ई0 को माया प्रेस, मनोहर कहानियां, कार्यालय के समक्ष विशाल मौन प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। लेकिन प्रकाशकों ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया।

इलाहाबाद से विधायक श्री कन्हैया लाल सोनकर ने भी शासन को ज्ञापन देकर प्रकाशकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की थी लेकिन शासन की ओर से कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है।

अखिल भारतीय खटिक महासंघ, प्रदेश स्तर पर खटिक जाति की मान-हानि को गम्भीरता से ले रहा है। प्रदेश में रहने वाली इस जाति में बड़ा आक्रोश व असंतोष व्याप्त है और किसी समय भी यह जन-आन्दोलन का रूप ग्रहण कर सकता है।

मेरा आपके माध्यम से शासन से आग्रह है कि भारतीय संविधान सभी जातियों और धर्मों और समुदायों को समान रूप से आदर करता है। एक प्रकाशक ने उक्त भावना का अपमान किया है और एक जाति विशेष की चरित्र हत्या की है। उस पर सरकार शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करके उक्त जाति की भावना का आदर करे।

आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी थाने के ग्राम मई बुजुर्ग के हरिजनों द्वारा बेगार न करने पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा हरिजनों का उत्पीड़न करने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी थाने के अन्तर्गत मई बुजुर्ग गांव के श्री गुलाब सिंह, राम सहाय, रतन सिंह, अमर सिंह, देवी सिंह, पदन, ज्योता, महेन्द्र बाबू, मैका, विजय सिंह आदि प्रभावशाली व्यक्ति दिनांक 12 अप्रैल, के 9 बजे रात्रि में हरिजनों के मुहल्ले में गये और हरिजनों को दूसरे दिन अपने क्षेत्रों में लामनी करने के लिए दबाव देने लगे। जब हरिजनों ने यह कहा कि आपने हमारी पिछली मजदूरी की लावनी भी नहीं दी है और जिन लोगों को दी वह केवल दो-दो किलो गेहूं की ही निकली है तो उपरोक्त लोगों ने हरिजनो से गाली-गलौज की, दाढ़ी-मूंछें उखाड़ने की बात कहीं और उन्हें लात घूसों से मारा-पीटा, पर जब हरिजनों ने किसी भी तरह से उनके यहां मजदूरी करने की हामी नहीं भरी तो चूंगों से उनके घरों में आग लगा दी। मान्यवर, हरिजनों के 5-6 घरों में बुरी तरह से अग्नि प्रविष्ट कर गई। उनकी खाट-पीढ़ी, कपड़े लत्ते और दो-दो चार-चार मन अनाज जिसको वे अब तक लामनी करके जमा कर पाये थे, सब जलकर स्वाहा हो गया। थाने में उनको रिपोर्ट करने के लिए निकलने नहीं दिया। बन्दूक, लाठी और फरसे लेकर खड़े रहे। जब हरिजनों ने मना कर दिया कि हम रिपोर्ट करने नहीं जायेंगे तो वे समस्त लोग अपने घरों को लौटे और रात्रि में जब वे सो गये तब हरिजन आगरे भाग कर आये। एस0 एस0 पी0 पुलिस से रोये तब सी0 ओ0 पुलिस को उनके साथ भेजा गया। सी0 ओ0 पुलिस ने मौके पर जाकर देखा और थाना फतेहपुर सीकरी में उनकी रिपोर्ट लिखवायी। थाने से लौटने पर गांव में उन हरिजनों को उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा फिर मारा-पीटा गया कि तुम लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने क्यों गये? हम तुमको अब गांव में नहीं रहने देंगे।

मान्यवर, हरिजन अब गांव छोड़ कर आगरा में रह रहे हैं। ये उन सशक्त आततायियों के डर से गांव नहीं जा रहे हैं। इन दिनों में गांव में लामनी करके वे अन्न पैदा करने से भी हाथ धो बैठे हैं। जगह-जगह अधिकारियों व नेताओं के पास वे परेशान होकर अपने संरक्षण की पुकार कर रहे हैं। पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

आततायी बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। गांव के प्रधान आदि पदों पर हैं और जिला परिषद् के सदस्य आदि पदों पर भी रहे हैं। स्थानीय पुलिस पर भी पूर्ण रूप से हावी हैं और अपने पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए स्थानीय पुलिस को दबा रहे हैं।

अतः, मैं शासन से मांग करता हूं कि मई बुजुर्ग के हरिजनों को उसी गांव में बसाया जाय, उनको पूर्ण संरक्षण दिलाया जाय। अग्निकांड से हुई क्षति पूरी कराई जाय और हरिजनों का दमन करने वाले आततायियों को दंडित किया जाय ताकि भविष्य में वे पुनः हरिजनों को न सतायें।

ग्राम परसौनी, जिला देवरिया में डकैती एवं हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम परसौनी, थाना नेवुआ, जिला देवरिया में भयंकर डकैती तथा तीन व्यक्तियों की निर्मम हत्या।

एक मार्च, सन् 1978 को ग्राम परसौनी, थाना नेवुआ में रात्रि के लगभग 11 बजे 25 डकैतों ने एक सम्पन्न अंसारी परिवार के घर में घुस कर परिवार के एक वृद्ध व्यक्ति को गोली से मार दिया एक बच्चा जब डर से चिल्लाया तो उसे भी गोली से मार दिया। आधा घंटा लूटमार करने के बाद लगभग 60 हजार रुपए का माल लेकर मकान के अगले हिस्से के दरवाजे के रास्ते से जाते हुए आगे खड़े उनके चौकीदार को भी जान से मार डाला। क्योंकि उसने उन्हें पहचान लिया था। इस हत्या के पीछे इस परिवार की एक दूसरे परिवार से राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता बताई जाती है। अभी तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। मैंने स्वयं इस संबंध में आई0 जी0 से बातचीत भी की है। सारे रामकोला क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है। मुलजिम जनता को आतंकित कर रहे हैं। यदि कोई गवाही देगा तो जान से मार डालेंगे।

अतः मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस लोक महत्व के प्रश्न पर मुख्य मंत्री को एक वक्तव्य देने को कहा जाय।

गोविन्द वल्लभ पन्त, कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर में गोली काण्ड की घटना के संबंध में 2 घंटे की चर्चा की मांग

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न यह ह कि आज के कार्य–सूची में विषय नं0 14 में यह दिया हुआ है कि पन्त नगर विश्वविद्यालय के बारे में आज मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य होगा नियम 51 के अन्तर्गत। मान्यवर, मैं और इस माननीय सदन के 7 सदस्य और जिनमें श्री उदित नारायण शर्मा, मोहम्मद आरिफ, श्री कल्पनाथ सिंह आदि सभी लोग पंत नगर गए थे और कल दिन भर हम लोग पंत नगर रहे। हम लोगों की यह राय है कि जो वहां पर 13 तारीख में गोली कान्ड हुआ है, जिस बरबर तरीके से हुआ है, उसमें आज माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य नाकाफी रहेगा। वहां पर जो लोगों ने देखा, जो हुआ है, आज की हालत जो है, इस सदन के अन्दर, इस विषय के अन्तर्गत दो घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह बात सही है कि जिस माननीय सदस्य ने कहा कि 6–7 इधर के भी लोग गए, देवबहादुर सिंह जी भी गये थे और लोग भी गये हैं। मेरा तो एक निवेदन था मैं सोचता था कि जब विषय आयेगा तब बोलेंगे, चूंकि विषय आया है इसलिये बोलना पड़ता है। इसके पहले कि मुख्य मंत्री इस पर वक्तव्य दें, मैं समझता हूं कि लोग जो देख कर आये हैं वह पहले बता दें, क्या–क्या देखकर आए हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी तब वक्तव्य दें, तो हमारी समझ में ज्यादा आयेगा।

पर्वतीय विकास उपमंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री श्यामधर मिश्र—

यह नियम आप स्पीकर से पूछें। मुझसे पूछेंगे तो मैं अध्यक्ष जी को सलाह दे दूंगा किस नियम के अन्तर्गत। तो हमारी सलाह यह है कि जो लोग गये थे 5–5 मिनट सुन लीजिये, उन लोगों को प्रश्न करने दिया जाय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह बहुत सही सुझाव है। इतनी बड़ी घटना को बहुत से लोग देख कर आये हैं, हो सकता है कि सरकार का एक वर्जन हो और जो और लोग देख कर आये हैं उनका वर्जन दूसरा हो, नियम 51 के अन्तर्गत प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जो तथ्यो को देखकर लोग आये हैं, वह नहीं पूछ सकते हैं ? नियम 52 के अन्तर्गत दो घंटे की चर्चा इसमें करवा दें। जिन्होंने आपको अपना ऐडजर्नमेन्ट मोशन दिया है, वह लोग भी अपना अपना वर्जन रखेंगे। आप सक्षम हैं मान्यवर, किसी नियम को निलंबित भी कर सकते हैं। कोई रास्ता निकाल लें जिससे इस विषय पर चर्चा हो सके।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मान्यवर, पंत नगर में जो नर संहार हुआ है जिसको देखने के लिए हाउस की एक कमेटी गयी.....

श्री अध्यक्ष—

यह गलत है कि सदन की कोई कमेटी गयी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

तो मेरा सुझाव है कि मुख्य मंत्री जी का पहले बयान हो जाय उसके बाद 2 घंटे की चर्चा को आप रख दें। क्योंकि सभी सदस्य जानना चाहते हैं और सारा वर्जन सामने आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जो यह सुझाव आया है कि उस पर इतना समय लेंगे, उसके संबंध में पहले मुख्य मंत्री जी नियम 51 में वक्तव्य देंगे उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो भी माननीय सदस्य वहां गए हैं उनको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। आप प्रश्न भी कर सकेंगे। तो कोई इसमें समयाभाव की वजह से ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं मिलेगा। पहले आज की कार्यवाही चलनी चाहिए और फिर जब मैं इस प्रश्न को लूंगा तो जो सदस्य वहां पर गए हैं उनको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, एक छोटा सा निवेदन है। मान्यवर, यह एजेन्डा जो है यह काफी लम्बा है। मेरा विचार था, अध्यक्ष जी अगर आप माने तो तीन बजे तक बजट पास कर लिया जाय। उसके बाद 4 बजे तक जो बिल हैं उनको पास कर लिया जाय। उसके बाद इस महत्वपूर्ण मामले पर सदस्य लोग अपने विचार रखें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जो माननीय गुलाब सेहरा का प्रस्ताव आया है उससे सभी सदस्य सहमत होंगे। 3 बजे तक बजट और एक घंटे में बिल ले लिये जायं और 4 बजे से इस पर विवाद हो।

(माननीय सदस्यों न सहमति प्रकट की।)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मेरा प्रश्न औचित्य का है। मैं आभारी हूं कि आपने मौका दिया। मान्यवर, जब मंत्रि मन्डल का गठन होता है उस समय मंत्रि मन्डल के माननीय सदस्यों को गोपनीयता की शपथ लेनी होती है और सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति संकल्प लेना

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

होता है। लेकिन आज अखबारों में जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि मंत्रि मन्डल के सदस्यों में खींचातानी मची हुई है। खुले आम एक दूसरे पर मनमानेपन के आरोप लगाये जा रहे हैं। मान्यवर, पन्त नगर के सवाल को लेकर मुख्य मंत्री ने न्यायिक जांच की बात घोषित की। लेकिन मंत्रि मन्डल के दूसरे सदस्य कहते हैं कि कम्यूनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी का षडयन्त्र है। क्या जरुरत रह गयी है न्यायिक जांच की। क्योंकि फैसला आपने पहले ही कर दिया। आपका ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं।

एक सदस्य--

किस नियम के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं पूछ रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पन्त नगर के सवाल को लेकर उपकुलपति द्वारा त्याग-पत्र देने या कार्य मुक्त करने के लिये मुख्य मंत्री जी दिमाग बनाते हैं पर दूसरे मंत्रियों की तरफ से नाराजगी जाहिर होती है। यही नहीं जो घटनाक्रम होता है उसके लिये अलग-अलग पक्ष माननीय मंत्रियों की ओर से आते हैं। एक पक्ष कहता है कि पन्तनगर के अन्दर जो अधिकारी हैं। वाइस चासलर हैं अगर उनके खिलाफ कार्यवाही हुई होती तो यह नौबत न आती और जो नर संहार हुआ है वह न होता। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है, कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमने मुख्य मंत्री जी को पहले सुझाव दिया था लेकिन नहीं माने। मुख्यमंत्री पंत नगर चले गये कृषि मंत्री से सलाह मशविरा नहीं किया इसलिये वह आग बबूला हैं। मैं कहता हूं कि मंत्रिमन्डल के जो सदस्य गोपनीयता को भंग करते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व से मुकरते हैं उनको निकाला जाना चाहिये।

अगर मुख्य मंत्री जी इन मंत्रियों को निकाल नहीं सकते तो आपको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिये। इस मंत्रिमन्डल को इस समय कुर्सी पर बने रहने का कोई औचित्य रह गया नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत उठाया जाना चाहिये। औचित्य का प्रश्न जब कोई भी विषय विचाराधीन हो उसके बारे में या कार्य विन्यास के बारे में या नियमों के पालन के बारे में होता है मंत्रि परिषद् की गोपनीयता के सम्बन्ध में कोई नियम से इसका कोई ताल्लुक नही है। इसलिये यह प्रश्न सदन में उपस्थित करना कि यह औचित्य का प्रश्न है उचित नहीं है और यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूंकि औचित्य का प्रश्न उठाने से पहले नियम 300 का अवश्य अध्ययन करें। नियम 300 में या तो संविधान के वह खंड जिससे यह कार्यवाही संचालित होती है या जो नियम जिनको सदन ने स्वीकार किया है, यदि उनका उल्लंघन होता है या कार्य विन्यास के बार में हो तभी उठाया जा सकता है। इसलिये जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वह अवैध है।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग की अधिसूचना संख्या आई0एफ0-196/एक्स-77, दिनांक 18 फरवरी, 1978 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश कृषि

†छापी नहीं गयी

उधार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 25 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (सक्षम अधिकारी) नियमावली, 1977†

(पर्वतीय विकास उपमंत्री) श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सतर्कता अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 5548/39 (2)-39(4-1)-77-उ0प्र0-अधिनियम, 42/1975-नियमावली-1-1977, दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (सक्षम अधिकारी) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977†

(पर्वतीय विकास उपमंत्री) श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं अपकी अनुमति से सतर्कता अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 5226/उन्तालीस (2)--39(4-4)-77 (उ0प्र0 अधिनियम, 42/1975-नियमावली-2-1977), दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (परिवाद) अधिनियम, 1975 की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (सशोधन) विधेयक, 1978, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 1978 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 अप्रैल, 1978 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 अप्रैल, 1978 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 अप्रैल, 1978 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 1978 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 अप्रैल, 1978 को वापस प्राप्त हो गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के स्थानान्तरण के संबंध में वक्तव्य

पर्वतीय विकास उप मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)--

मान्यवर, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के स्थानान्तरण का आदेश दिनांक 6अप्रैल, 1978 को जारी हो गया था । तदनुसार उन्होंने 10 अप्रैल, 1978 को चार्ज दे दिया है और इस समय वे ज्वाइनिंग टाइम पर हैं । दिनांक 7 अप्रैल, 1978 को जब स्थानीय पुलिस जनों को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की सूचना मिली तो उस दिन प्रारम्भ में पुलिस लाइन में प्रातः कालीन भोजन ग्रहण नहीं किया गया। परन्तु बाद में स्थानीय पुलिस अधिकारियों से स्थिति समझाने पर अधिकांश लोगों ने भोजन कर लिया । थानों में भी खाना बना था ? यह सत्य नहीं है कि पुलिस लाइन तथा थानों के मेसों में चूल्हे नहीं जलाये गये । इस बात में सत्यता नहीं पाई गई कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय पुलिस को सरकार के विरुद्ध अनुशासनहीनता तथा उत्तेजनात्मक कार्यवाही के लिये भड़काया । इस बात में भी सत्यता नहीं पाई गयी कि पुलिस जनों को सामूहिक उपवास के लिये बाध्य किया गया या स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय के विरुद्ध पुलिस जनों का विरोध संगठित करने का प्रयास किया गया । गोरखपुर एवं इस परिक्षेत्र के अन्य जनपदों के अधिकारी व कर्मचारी पूर्णतः अनुशासित ढंग से कार्य कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मैं एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैं कोई अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं कोई इजाजत नहीं दूंगा । आप बैठ जायं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों तथा परिवहन विभाग के कर्मचारियों के मध्य झगड़े के सम्बन्ध में वक्तव्य

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरी बात तो सुन लें । आइटम 9 से मेरा मतलब नहीं है । मैं आइटम 10 के बारे में कहना चाहता हूं । आपके एजेन्डा में लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों तथा परिवहन विभाग के कर्मचारियों में हुये झगड़े के विषय में मुख्य मंत्री का वक्तव्य । जो हमें लिखित मिला है उसमें लिखा है 14 अप्रैल, 1978 को लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के उपद्रव के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य । छात्रों तथा परिवहन विभाग के कर्मचारियों में हुये झगड़े के विषय में होना था और इसमें लिखा है छात्रों के उपद्रव के सम्बन्ध में वक्तव्य । तो सवाल दीगरे और जबाब दीगरे तो मत चलने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

शून्य प्रहर में जो सूचनायें आती हैं उनमें कुछ मैं निर्देश दे देता हूं कि वक्तव्य दिया जाय । 51 में केवल वक्तव्य के लिये देता हूं । अब आप इस तरह खड़े हों तो यह अधिकार का दुरुपयोग हो जायगा । मैं जब वक्तव्य के लिये कहता हूं और आप पुनः आपत्तियां करने लगें तो मुझे विवश होकर सोचना पड़ेगा कि मैं कोई वक्तव्य न दिलवाऊं । इसके बारे में आपको आपत्ति है तो पुनः लिखकर दीजियेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो सुन लीजिये . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

सुखपाल जी आप बैठ जायं । इस तरह नहीं ।

राजनैतिक पेंशन उपमन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

मान्यवर, 13 अप्रैल, 1978 को लखनऊ विश्वविद्यालय रोड पर परिवहन निगम की एक बस पर कुछ छात्रों द्वारा बिना टिकट लिये चढ़ जाने के संबंध में छात्रों और निगम कर्मचारियों में कहा सुनी हो गयी थी । दिनांक 14 अप्रैल, 1978 को नगर बस सेवा विश्वविद्यालय रोड पर नहीं चली । फैजाबाद से आती हुई एक बस पर कालविन कालेज के सामने लगभग साढ़े ग्यारह बजे दिन, छात्रों ने पथराव किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया । पुलिस के मौके पर पहुंच जाने से शान्ति स्थापित हो सकी ।

इस घटना के कुछ समय बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय के अन्दर एक मीटिंग की जिसमें आरक्षण विरोधी बातों के अतिरिक्त अन्य बातें भी कही गयीं । पुलिस वहां पहले से तैनात थी । कुछ छात्रों नें पुलिस पर विभिन्न दिशाओं से भारी पथराव आरम्भ कर दिया । पुलिस ने जब उन्हें तितर बितर करने का प्रयास किया तो छात्रों ने कला संकाय में घुस कर फर्नीचर तथा शीशों को तोड़ना आरम्भ कर दिया । इस पर पुलिस दल ने कला संकाय के भवन में प्रवेश किया और उपद्रवी छात्रों को खदेड़ा । कक्षाओं में भी तोड़फोड़ करने वाले छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को कक्षाओं में भी प्रवेश करना पड़ा, जिससे छात्रों में भगदड़ मच गयी । यह सही नहीं है कि किसी छात्र अथवा छात्रा को एनसिएन्ट हिस्ट्री के एम0 ए0 के क्लास रूम में घुस कर मारा गया ।

कुछ छात्र कामर्स संकाय की दूसरी मंजिल पर चढ़ गये और वहां से पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 पर पथराव करने लगे । यहां भी उन्होंने कमरों का फर्नीचर तथा शीशों को तोड़ना आरम्भ कर दिया । पुलिस के पास इस बिल्डिंग में भी घुस कर खदेड़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह गया । पुलिस की कार्यवाही से लड़कों में भगदड़ मच गयी और वह सब एक कमरे में घुस गए । डा0 आर0 के0 त्रिपाठी तथा एक अन्य चपरासी नें मौके पर उपस्थित मैजिस्ट्रेट से यह शिकायत की थी कि उन्हें चोट आई है । इसके अतिरिक्त किसी टीचर को चोट आने की कोई सूचना जिला प्रशासन के पास नहीं है । इसी प्रकार किसी छात्रा को चोट लगने की कोई सूचना किसी अस्पताल या अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं हुई है । किसी छात्रा को किसी कमरे में बन्द नहीं किया गया । प्रांगण में पथराव तथा विस्फोटक स्थिति देखकर छात्राएं स्वयं कक्षाओं में रुक गयी थीं और शान्ति कायम होने पर अपने-अपने घरों को चली गयीं ।

"पायनियर" के श्री एच0 के0 कपूर नें मौखिक रूप से जिला प्रशासन से यह शिकायत की थी कि जब वह विश्व विद्यालय में उपद्रव के समय फोटो ले रहे थे तो पी0 ए0 सी0 के कुछ लोगों ने उन्हें एक तरफा फोटो लेने के लिए मना किया तथा उनको मारा पीटा । उनके कैमरे को भी तोड़ दिया और फिल्म निकाल कर एक्सपोज कर दी । श्री कपूर की डाक्टरी जांच सिविल अस्पताल में हुई । जिला प्रशासन द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

सिविल अस्पताल, मेडिकल कालेज तथा बलरामपुर अस्पताल से प्राप्त सूचना के अनुसार 42 छात्रों तथा एक जर्नलिस्ट को चोटें आईं । पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से 32 को चोटें आई जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक भी सम्मिलित हैं ।

[श्री सत्यदेव त्रिपाठी—]

छात्रों नें प्रांगण के बाहर जाते समय नगर में कई स्थानों पर तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक कार्यवाही करने का प्रयास किया । उन्होंने निराला नगर स्थित एक पोस्ट आफिस में पेट्रोल से आग लगा दी जिससे कुछ रिकार्ड जल गए । एक कर्मचारी भी घायल है और वह अब भी अस्पताल में दाखिल है । डालीगंज के पुल के निकट सरकारी गाड़ी पर तथा कालविन कालेज के सामने एक बस पर छात्रों द्वारा पथराव करके उसे बुरी तरह से छतिग्रस्त किया गया और एक पुलिस कान्सटेबिल को अकेला पाकर चोट पहुंचाई गयी ।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, आपने उस दिन भी कहा था कि स्पष्टीकरण का मौका देगें ।

श्री अध्यक्ष—

जब यह प्रश्न यहां पर तीन बजे उठा और मुझको सूचना दी गई, तो मैंने स्वायत्त शासन मंत्री जी को निर्देश दिया कि वह स्थानीय स्रोतों से जो भी सूचना मिल सके, दे दें। वह सूचना उन्होंने एकत्रित करके दे दी । फिर 14 को प्रश्न उठा । फिर मैंने कहा कि जो सूचना और मिली हो, उसको भी दे दें क्योंकि 51 में तो स्वीकार नहीं किया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, रिकार्ड को आप खुद देखें । मान्यवर, जब प्रश्न उठा था, तो ठीक है कि वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता । लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर तो आप स्पष्टीकरण का अवसर दे ही देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, लेकिन ज्यादा समय कृपया न लें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

पहली चीज तो यह है कि मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रवैया है उसके विरुद्ध प्राटेस्ट करता हूं । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को मालूम था कि वह वक्तव्य आने वाला है और जिस वक्त वक्तव्य आया, मुख्य मंत्री खिसक लिए ।

दूसरी चीज मैं माननीय मुख्यमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब कला संकाय में पुलिस घुस गयी और कामर्स संकाय में पुलिस घुस गयी तो क्या कक्षाओं में घुसने के पहले किसी टीचर ने या वी0सी0 ने इसके लिए दरख्वास्त की थी कि पुलिस कक्षाओं के अन्दर घुसे । दूसरी चीज यह कि जैसा कि कहा गया है कि अध्यापकों को भी चोटें आयी है और क्या उसके बारे में भी वी0सी0 से मालुम किया गया है कि कितने अध्यापकों को चोटें आयी हैं और और वे चोटें कैसी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपका पहला सवाल तो ठीक है कि कैम्पस में आने के पहले क्या पुलिस को बुलाया गया । दूसरा सवाल बाद में आता है ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

जैसाकि, मान्यवर, मैंने निवेदन किया, वहां पी0 ए0 सी0 तो पहले से ही तैनात थी । मान्यवर, पुलिस और पी0 ए0 सी0 के बारे में जब जरुरत समझी जाती है और कुलपति द्वारा उसकी मांग की जाती है, और वैसे भी कानून व्यवस्था को बिगड़ती देख—पी0ए0सी0 और पुलिस लगा दी जाती है ।

श्री अध्यक्ष--

वह पूछ रहे हैं कि जब पुलिस वहां गयी तो क्या टीचर्स ने उसके लिये कहा या वी0 सी0 ने उसके लिये कहा ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, एक डा0 आर0 के0 त्रिपाठी ने------

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं, उनका कहना है कि कला एकेडेमी में पुलिस गयी और एक/दो जगह और गयी तो एकेडेमी के अन्दर जाने के लिये क्या वी0 सी0 ने या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी ने उसके लिये कहा ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, पुलिस तो प्रांगण में पहले से ही मौजूद थी। इसलिये आगे कोई अनुमति लेने का सवाल नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 13 तारीख से अनिश्चित काल के लिये विश्वविद्यालय बन्द हैं, तो उसको दुबारा खोलने के लिये इस किस्म की कोई बातचीत चल रही है कि नहीं और चल रही है तो कब तक दुबारा विश्वविद्यालय को खोल देंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, सरकार खुद भी इससे बहुत चिन्तित है और जैसे ही स्थिति सामान्य बनेगी, हम चाहते हैं कि विद्यार्थी पढ़ें और विश्वविद्यालय को खोलने का जल्द प्रयास किया जायेगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय सत्यदेव त्रिपाठी जी अपने समय के बहुत प्रसिद्ध छात्र रहे हैं..

श्री अध्यक्ष--

आप प्रस्तावना शुरू करते हैं। सीधे प्रश्न पर आइए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं उनसे पूछ रहा हूं कि सरकार की तरफ से बयान दे रहे हैं उस पर तो यकीन करने लायक मैं तो नहीं हूं। इसमें लिखा है कि डा0 आर0 के0 त्रिवेदी तथा एक अन्य चपरासी ने मौके पर उपस्थित मैजिस्ट्रेट से शिकायत की कि उनको चोट आयी है। तो मैं उपमंत्री जी से जो कि मुख्य मंत्री का कार्य कर रहे हैं उनसे जानना चाहता हूं कि:--

श्री अध्यक्ष--

माननीय जी, आप को राय दूंगा कि थोड़ा अवसर शतरुद्ध जी को भी दिलायें। त्रिपाठी जी द्वारा कार्य करने का अवसर शतरूद्ध जी को भी दिलायें।

(हंसी)।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूं और त्रिपाठी जी अपने कार्य को ठीक तरह से करें मैं यही चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डा0 आर0 के0 त्रिवेदी को जो चोट आयी और जिसकी शिकायत उन्होंने की भी है वह चोट किसके जरिये आई, और कैसे आयी, उस समय तो डा0 आर0 के0 त्रिपाठी पढ़ा रहे थे। पूरी जानकारी क्या मंत्री जी देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपने पढ़ा। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करा रहे हैं। दोनों मामलों में, एक तो फोटोग्राफर और दूसरे त्रिपाठी जी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

इसमें जांच क्या करनी है ? पी0 ए0सी0 ने मारा....

श्री अध्यक्ष--

आखिर क्या परिस्थिति थी, इसकी जांच होगी।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, जो यह वक्तव्य मुख्य मंत्री जी की ओर से दिया गया है पूर्णतया निराधार है और इसमें तथ्यों को छिपाया गया है। ऊपर आप कहते हैं इस प्रकार की किसी छात्र को चोट लगने की कोई सूचना नहीं मिली, नीचे आप कहते हैं कि सिविल अस्पताल, मेडिकल कालेज के मुताबिक 42 छात्रों को.....

श्री अध्यक्ष--

रवीन्द्र सिंह जी, आप सुनिए। यह कोर्ट नहीं है क्रास-एग्जामिनेशन के लिए। मन्त्री जी ने अपनी बात कह दी। आप यह जानते हैं ...

श्री रवीन्द्र सिंह--

मन्त्री जी ने 42 छात्रों का घायल होना तस्लीम किया है। हम लोगों की सूचना है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो घायल हैं और गिरफ्तारी के भय से.....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न पूछिए :

श्री रवीन्द्र सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जितने छात्रों को घायल होना तस्लीम किया है उन को किसने मारा, कैसे मारा ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उत्तर दिया है कि पी0 ए0 सी0 ने मारा.....

श्री रवीन्द्र सिंह--

आप उत्तर देने दीजिए। कभी-कभी सही बयान देने दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। यह अनुचित है इस प्रकार खड़ा होना। आप बैठिए।

श्री राजबृज राज सिंह (जिला खीरी)--

आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बयान दिया है कि परिसर में पुलिस मौजूद थी। विश्वविद्यालय के अन्दर बिना कुलपति की आज्ञा से पुलिस आ सकती है क्या कुलपति की अनुमति थी . . . .

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे दिया कि उप कुलपति की अनुमति से। आप बहस कर रहे हैं और अगर वहां पर शांति व्यवस्था खराब हो तो स्वयं भी जा सकती हैं। आप समझते हैं गोली चले, डकैती डालें तो कुलपति का इन्तजार करेंगे ?

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा है कि लड़कों ने फैजाबाद से आती हुई बस पर पथराव किया तो कितने यात्रियों पर चोटें आयीं। दूसरा प्रश्न यह है कि अखबार के श्री एच0 के0 कपूर को भी चोट आई जो फोटो ले रहे थे। तो वह तो छात्र नहीं थे उनको मारने का क्या कारण था ? उनको चोट आई क्या कारण था ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, पी0 ए0 सी0 जिस समय वहां लोगों को डिस्पर्स करने के लिए लाठी घुमा रही थी उस समय विश्वविद्यालय में कपूर साहब भी थे। डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार उनके लाठी के निशान हैं वह विद्यार्थी नहीं थे एक पत्र के सम्पादक थे। इसलिए रूरल एस0 पी0 जो वहां नहीं मौजूद थे, एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां डिप्यूट किया गया। पूरी जानकारी करके उस पर कर्यवाही की जायगी।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

जो छात्र विश्वविद्यालय में मीटिंग कर रहे थे उनको तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया, क्या यह सही है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

यह सत्य है कि आरक्षण के सवालों को लेकर एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में जो पुलिस मौजूद थी उस पर पथराव किया गया। पुलिस ने उनको तितर-बितर किया और खदेड़ा।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मन्त्री जी ने बयान में कहा है कि कक्षाओं में तोड़-फोड़ करने वाले छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को कक्षाओं में प्रवेश करना पड़ा जिससे उनमें भगदड़ मच गई और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

औपचारिक रूप से कोई आदेश नहीं दिए गए थे लाठी चार्ज करने के लिए, लेकिन उसने छात्रों को तितर-बितर करने के लिए डंडे भी चलाए, इसको हमने स्वीकार किया है।

श्री राम अवार (जिला आजमगढ़)--

14 अप्रैल से लगातार आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहा है और छात्रों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उसी सिलसिले में यह लाठी चार्ज भी हुआ और विश्वविद्यालय

[श्री राम अधार]

खुलने के बाद वहां शान्तिपूर्ण वातावरण रहे तथा पढ़ाई चल सके तो आरक्षण सम्बन्धी विधेयक जो सरकार ने पास किया है क्या सरकार पुनः अपनी उस आरक्षण सम्बन्धी नीति पर विचार करेगी ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

आरक्षण सम्बन्धी सरकार की नीति और इस पूरे आन्दोलन का कोई रिश्ता नहीं। सरकार अपनी नीति पर अडिग है।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर में मन्त्री महोदय ने यह कहा कि आरक्षण के प्रश्न को लेकर छात्रों ने आन्दोलन शुरू किया। उसमें दूसरे मसले भी जुड़ गए। अब विश्वविद्यालय बन्द हो गया। राम अधार राय जी का कहना है कि विश्वविद्यालय खुलेगा तो यह प्रश्न फिर उपस्थित होगा। आपका कहना है कि सामान्य स्थिति जैसे ही होगी विश्वविद्यालय खुलेगा तो सामान्य स्थिति को लाने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

जहां तक आरक्षण सम्बन्धी नीति का प्रश्न है सरकार उस पर अडिग है। कैसे कानून और व्यवस्था को इस लायक बनाया जाय ताकि शान्तिपूर्ण ढंग से विश्वविद्यालय चल सके इसका हम प्रयास कर रहे हैं जैसे ही आश्वस्त हो जायेंगे वैसे ही उसे खुलवा देंगे।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

आरक्षण सम्बन्धी नीति का क्या आधार है इस नीति की कोई घोषणा सदन में नहीं की गई। मन्त्री जी का उत्तर है कि अशान्त परिस्थितियों को देखकर ही विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र आपकी आरक्षण नीति के खिलाफ आन्दोलन तथा संघर्ष कर रहा है क्योंकि आरक्षण नीति घोषित नहीं है। यह आरक्षण नीति न तो सैद्धांतिक है, न काका कालेलकर कमीशन के मुताबिक है, न छेदी लाल साथी कमीशन के मुताबिक है तो जानना मैं यह चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा यह जो आन्दोलन और संघर्ष किया जा रहा है तो क्या सरकार आरक्षण सम्बन्धी अपनी नीति की घोषणा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

जहां तक आरक्षण का प्रश्न है इस सदन में माननीय समाज कल्याण मन्त्री ने विस्तार-पूर्वक उत्तर दिया कि जातीयता के आधार पर आरक्षण कहीं 15 प्रतिशत है, कहीं 10 प्रतिशत है और भी जातियां हैं इस प्रकार कुल 50 प्रतिशत है। जातियों के नाम भी उन्होंने दिए थे। उस पर लोगों ने प्रश्न भी किए थे कि कितनी जातियां हैं कौन-कौन जातियां हैं कौन-कौन नहीं हैं। तो यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने आरक्षण के सम्बन्ध में सदन में अपनी नीति नहीं बताई। यह नीति बतलाई जा चुकी है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता.....

(व्यवधान)

(श्री सुखपाल पांण्डेय के खड़े होने पर)

बहुत देर से सुखपाल जी का नम्बर आया।

श्री सुखपाल पांण्डेय--

माननीय अध्यक्ष जी, आरक्षण के ईश्यू को लेकर प्रदेश में अशान्ति फैल रही है। इसलिए क्या माननीय मन्त्री जी यह घोषणा करेंगे कि आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण नीति निर्धारित करके वे सदन में कोई प्रस्ताव लायेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, यह नीति विषयक प्रश्न है और मैंने कई बार निवेदन किया कि आरक्षण की नीति पर सरकार पूरी तरह से अडिग है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि आरक्षण के प्रश्न पर जो आन्दोलन हो रहे हैं--छात्रों के या मजदूरों के--उसके सम्बन्ध में सरकार की एक शब्दावली बन गई है कि कड़ाई के साथ निपटेंगे, अटल है और अडिग है । इससे स्थिति और खराब होती चली जा रही है । तो क्या सरकार अपनी शब्दावली को, जो खुद स्थिति को खराब करने की जिम्मेदार बन गई है, उसको परिवर्तित करने के लिए गौर करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप ने सुझाव दिया है ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

माननीय मन्त्री जी बार-बार यह कह रहे हैं कि सरकार अपने निर्णय पर अडिग है । अभी उनको पता होना चाहिए कि जो भारत सरकार के कानून मन्त्री, श्री शान्ति भूषण हैं उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति बनी है और जब तक उसका निर्णय लागू नहीं हो जाता तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे अपने मार्ग पर अडिग रहेगी ? इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह आपका सुझाव है ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा पूछना चाहूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ कक्षायें तो एक दिन भी प्रारम्भ नहीं हुई । पिछले साल बहुत देर से परीक्षायें हुई और रिजल्ट सितम्बर में आये । बहुत से विद्यार्थी तो एक दिन भी कक्षाओं में नहीं जा पाये । तो क्या सरकार शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुये गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करके इन शिक्षण संस्थाओं को खोलेगी ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति के लिये प्रयास करेंगे ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या प्रदेशीय सरकार प्रदेश में व्याप्त असन्तोष और आन्दोलन को कुचल देने के लिये अडिग है ? . . . (व्यवधान) ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो घटना हुई उसके सम्बन्ध में क्या कुलपति महोदय से भी रिपोर्ट ली गई ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, जिला प्रशासन लगातार कुलपति महोदय से सम्बन्ध रखे हुये है और जो फैसला होगा उसमें कुलपति महोदय का सबसे बड़ा सहयोग होगा ।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)--

मान्यवर, एक तरफ तो सरकार यह चाहती है कि जो हरिजन या पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं वे सवर्णों के साथ मिलकर रहें और दूसरी तरफ हमारे जनपद में सरकार ने हरिजन और भोटिया विद्यार्थियों के लिये अलग-अलग छात्रावास बनाये हैं. . .

श्री अध्यक्ष--

जब शिक्षा का बजट आये तब आप सुझाव दीजियेगा । अतः यह प्रश्न समाप्त होत है . . . (व्यवधान) ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि कब तक विश्वविद्यालय को खुलवा देंगे . . . (व्यवधान)
(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग जो एक साथ बात कह रहे हैं कोई समझ में आ रही है ? अब इस विवाद को यहां पर समाप्त किया जा रहा है । (व्यवधान) ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

एक प्रश्न यह है कि वहां पर कक्षायें खाली करा दी गई हैं, छात्रावास खाली करा दिये गये हैं । शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करने के लिये और विश्वविद्यालय को फिर से खुलवाने के लिये सरकार/कुलपति और छात्रों को बुला कर उनसे इसका समाधान हो जाय, क्य उनसे सम्पर्क किये हुये हैं । इस बात का क्या सरकार आश्वासन देगी कि छात्र नेताओं और छात्र संघ के लोगों से और अन्य विद्यार्थियों से मिल कर जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाय और विश्वविद्यालय खुल जाय ताकि शैक्षणिक वातावरण कायम हो सके इसका आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था शीघ्र वहां नार्मेलसी लाकर विश्वविद्यालय को खुलवाया जाय इसके लिये सरकार चिंतित है । साथ ही साथ सरकार कुलपति, जिला प्रशासन से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल आये और विश्वविद्यालय खोला जाय। वहां पर शैक्षणिक वातावरण पदा करन के लिये हम लोग लगे हुए हैं। (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब विवाद समाप्त होता है ।

श्री रामजनम (जिला आजमगढ़)--

मैं आजमगढ़ के सम्बन्ध में एक सूचना रखना चाहता हूं । 10 तारीख को 20 छात्रों को गिरफ्तार किया गया . . .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप अवज्ञा करते हैं । मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जरा शिष्टाचार सीखें । जब अध्यक्ष खड़े हों तो उनको बैठ जाना चाहिये । आजमगढ़ के बारे में इस सदन में प्रश्न आ चुका है । उसको पढ़ कर सुनाया जा चुका है । सरकार के पास मैंने भेज दिया है कि वह इस सम्बन्ध में सूचित कर दें । तो उस प्रश्न को यहां पर उठाना उचित नहीं और बिना अध्यक्ष की आज्ञा लिये खड़े होकर कहना भी उचित नहीं है । आजमगढ़ का प्रश्न आ चुका है ।

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 31 चिकित्सा, अनुदान संख्या 32–परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33–सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 73–चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष––

अब आय-व्ययक पर चर्चा शुरु करते हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,87,20,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,56,00,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,75,26,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,29,31,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

चूंकि इसे आज 3 बजे तक समाप्त होना है, इसलिये अब उचित होगा कि पहले आप सदस्यों के सुझाव सुन लीजिए, फिर उनका उत्तर दे दीजिए ।

बजट साहित्य विलम्ब से मिलने पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

***डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)––**

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज चिकित्सा विभाग का बजट प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन आज सुबह 11 बजे जब हम सदन में आये तो उस समय विभाग का लिट्रेचर मिला । नियम यह है कि दो दिन पहले सदस्यों को लिट्रेचर मिल जाना चाहिये । कटौती का प्रस्ताव भी पेश करना होगा। 11 बजे मिलने से मेरे लिये कैसे सम्भव होगा कि सदस्यों को उसकी पूरी जानकारी हो सके । आप कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन शासन और मंत्रियों पर इसका कोई असर नहीं होता है । अतः आप फिर इस पर अपनी स्पष्ट व्यवस्था दें, जिससे भविष्य में कम से कम यह स्थिति न आवे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

देखिए, इस विषय पर बहस को सार्थक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि पारसाल का विभाग का जो कार्य है, उसकी रिपोर्ट सदन में सदस्यों को समय पर मिले । यह तो देर से आपके विभाग से आया है, यह विभाग की लापरवाही है, जो गैर मुनासिब है । लेकिन इसकी वजह से इस अनुदान पर आज बहस तो रोकी नहीं जा सकती है. . . .

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

यह मेरा आशय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

इस ओर में दूसरे मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मालवीय जी, आप जान लें. . . (श्री ग्राइस के साथ मालवीय जी के वार्ता में व्यस्त होने से) ग्राईस साहब यह इस तरह यहां अनुचित है । अभी स्वास्थ्य विभाग का अनुदान पेश है, माननीय सदस्यों को शिकायत है कि इस विभाग की रिपोर्ट अभी उनको मिली है । तो अन्य जो अनुदान आने वाले हैं, मैं सभी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साहित्य कम से कम दो दिन पहले सभी सदस्यों को मिल जाना चाहिये । इस बात के लिये कृपया आप अपने सचिवों को आदेश दे दें, ताकि सदन को शिकायत न हो ।

1978-79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 31-चिकित्सा, अनुदान संख्या 32-परिवार कल्याण, अनुदान संख्या 33-सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 73-चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)

*डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31--चिकित्सा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32-परिवार कल्याण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, आज जो 11 बजे चिकित्सा विभाग के मंत्री द्वारा सामग्री वितरित की गई है, उसको देखने का समय मुझे बहुत कम मिला, लेकिन इस थोड़े समय में जो कुछ देखा, उससे मुझे बड़ी निराशा हुई । चिकित्सा और स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है और किसी भी राष्ट्र या प्रदेश का भविष्य उसके स्वस्थ नागरिकों पर निर्भर करता है । अतः उम्मीद थी कि मंत्री जी इस पर ज्यादा से ज्यादा प्राविधान करेंगे । मुझे आश्चर्य हुआ कि बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य जो विशेष एवम् पर्वतीय क्षेत्र के लिये आयोजनागत में पिछले बार 7.26 लाख का प्राविधान किया गया था. . . . .

(इस समय 1 बज कर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए ।)

उसको घटाकर 2.791 लाख कर दिया गया। इसके साथ परिवार कल्याण के लिये 1977-78 में 1 हजार 512.36 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था । बहुत अहम विषय है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसको एकदम 1 हजार 142.79 लाख कर दिया गया है । आज जो शोचनीय दशा है इस चिकित्सा क्षेत्र में वह किसी से छिपी नहीं है । हमारे भारतवर्ष में डाक्टरों की कमी है, दवाओं की कमी है, अस्पतालों की कमी है । इस प्रदेश में डाक्टर और मरीज का प्रति व्यक्ति जो औसत है 6 हजार मरीजों पर एक डाक्टर का अनुपात आता है, जब कि अन्य देशों में, ब्रिटेन के अन्दर 850 पर 1, रूस के अन्दर 430 पर 1 और भारतवर्ष में 4 हजार 5 सौ पर एक है । रोगी और शय्याओं का अनुपात जब कि पूरे भारतवर्ष में 1760 पर एक और उत्तर प्रदेश में 1920 पर 1 आता है, जबकि लंका जैसे छोटे और पिछड़े देश में रोगी और शय्या का अनुपात 332 पर 1 है । इन सब कमियों को देखते हुये जो, बजट प्राविधान कम किया गया उसकी वजह मेरी समझ मे नहीं आती है ।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य योजना के बारे में बहुत ही विस्तार से उस पर प्रकाश डाला है । सदन में चर्चा हुई । गत वर्ष भी चर्चा हुई । करोड़ों का व्यय किया जाना इस मद पर जिसके अन्तर्गत एक हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य रक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की जायगी, तीन महीने की ट्रेनिंग दी जायगी उसके बाद पचास रुपये दवाई के दिये जायेंगे, जिसमें, ऐलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक एक हजार आदमियों को दे सकेगा, पचास रुजये जेब खर्च के लिये दिये जायेंगे । अगर तीन महीने की ट्रेनिंग दे कर नौ-सिखिये लोगों द्वारा ही उनकी जान से खिलवाड़ करवाना था तो अच्छा होता कि प्रदेश के अन्दर 30 हजार बिना डिग्रीशुदा वयस्क प्रैक्टिस कर रहे हैं ? जो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिनर्स ऐसो-शिएशन द्वारा रजिस्टर्ड हैं, जो दस–दस साल से काम कर रहे हैं, जिनको अनुभव भी है, उनसे काम ले लिया जाता तो अच्छा होता । ताज्जुब है कि तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको चिकित्सा का लाइसेंस दे देंगे और उनको ऐस्पिरिन और सल्फा ड्रग्स, ये दवायें दी जायेंगी । लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी चाहे केन्द्र के हों या प्रदेश के, उनको इसका अनुमान नहीं है कि ऐस्पिरिन जैसे मामूली दवा भी बहुत भयंकर परिणाम पैदा कर सकती है, जिसमें मरीज की जिन्दगी का सवाल आ जाता है । ऐस्पिरिन पांच पैसे की टिकिया है । लेकिन जब माफिक नहीं आती तो खून की उल्टियां होती हैं । आप एक वयस्क को तीन महीने की ट्रेनिंग दे कर, एलोपैथी डाक्टर का किट देकर छोड़ देंगे । जब कि सरकार बार-बार दुहाई देती है कि गांवों की ओर बढ़ रही है, उनको नौसिखियों के सहारे छोड़ दिया गया है ।

मैंने गतवर्ष इसका विरोध किया था और आज भी करता हूं । यह बड़ी खतरनाक स्कीम है । यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है । इसमें एक संगठन विशेष के कार्यकर्ताओं को भरती करने का मौका मिला है और उनको भरती किया गया है । स्वास्थ्य केन्द्र जो हैं उनकी हालत बहुत ही शोचनीय है उनका उन्नयन किया जाता तो अधिक ठीक था । 10–10 मील की दूरी से मरीज इलाज के लिये इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर आते हैं, लेकिन इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा नहीं मिल पाती है और मरीजों का ठीक इलाज नहीं हो पाता है तो अगर इन स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन किया गया होता तो जनता के लिये एक लाभ की बात होती ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इन स्वास्थ्य केन्द्रों को दिया है जो पिछले वर्षों से चली आ रही है । लगभग 28 पैसा एक मरीज पर खर्च आता है इन 28 पैसों में मरीज की क्या दवा होगी यह आप ही बता सकते हैं । इस सम्बन्ध में मंत्री जी को जो धन-राशि बजट में इन केन्द्रों के लिये रखी गयी है उसको बढ़ाना चाहिये था । सामुदायिक स्वास्थ्य योजना में जो रुपया खर्च किया जायेगा उससे अच्छा होता कि प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाओं की मात्रा बढ़ाई जाती और दूसरी जो अन्य सुविधायें हैं उनको बढ़ाया जाता । अगर ऐसा प्राविधान कर दिया जाता तो अधिक लाभ होता । जिला अस्पताल को आप देख लें, बड़ी दुर्दशा हो रही है । गन्दगी का साम्राज्य है । पलंग खुले पड़े हैं, उन पर चादरें नहीं

[डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल]

हैं और नर्स भी नहीं हैं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । 25 शैय्याओं पर एक नर्स का प्राविधान किया गया है और रात्रि में तो 50 शैय्याओं का प्राविधान है । नर्सों को 5 शैय्याओं को देखने की व्यवस्था होनी चाहिये । बहुत से वार्ड इसलिये नही काम करते हैं क्योंकि वहां पर नर्स नहीं हैं । हमारे जिले में नर्सों की व्यवस्था नही है, आज 4 साल हो रहे हैं । मेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी है, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो या और कोई किस्म का व्यक्ति हो, बड़ी कमी है ।

अब मैं मान्यवर, बिजली की सप्लाई के बारे में कहता हूं । सर्जन आपरेशन कर रहा और बिजली चली जाती है । मान्यवर, मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि प्रत्येक अस्पताल में स्टैन्ड बाई जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिये । इससे अगर बिजली की कमी भी हो जावेगी तो अस्पताल के रोगियों को कष्ट नहीं होगा । यहां पर मरीज की जिन्दगी और मौत का सवाल रहता है । अगर इसकी व्यवस्था हो जाये तो उनकी जिन्दगी से जो खिलवाड़ हो जाता है वह नहीं हो सकेगा । मान्यवर, इन अस्पतालों में ब्लड प्रेसर के इस्ट्रूमेंट बहुत से बिगड़े हुये पड़े होते हैं, थर्मामीटर नही मिलता है । रोगियों को बाहर से पट्टी और लोशन मंगाना पड़ता है इमरजेन्सी जैसे वार्ड में भी इन चीजों की कमी रहती है । वहां टिन्चर तक नहीं मिल पाती है और मरीज को बाजार से मंगानी पड़ती है । टांके लगाने की सुई और मीटिरियल भी बाहर से मंगाना पड़ता है । अगर आप इमरजेन्सी में जावें और बदकिस्मती से आपके पास पैसा न हो तो आप बिना चिकित्सा के लौट आवेंगे ।

और आप देखें कि इमरजेन्सी में इतने बड़े-बड़े एक्सीडेन्ट के केसेज और हार्ट के केसेज रोजाना पंहुचते हैं और नवयुवकों को जो पास होकर निकलते हैं, नौसीखियों को वहां पर लगाया जाता है । जो बड़े-बड़े डाक्टर्स होते हैं वे वहां पर नहीं आते हैं । एक बार की बात है कि नौसीखिया एक मरीज की नस देख रहा था । वह नस अन्दर की तरफ होती है लेकिन वह उसे बाहर ढूंढ़ रहा था...

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है और सदन चल रहा है ?

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, कोरम पूरा है ।

श्री अधिष्ठाता—

न आपके कहने से हो जायगा और न उनकी आपत्ति से हो जायगा ? परम्परा यह रही है कि एक और दो बजे के बीच में यह प्रश्न नहीं उठाया जाता, लेकिन अगर कोई आपत्ति करे तो घंटी बजानी पड़ेगी ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा लेकिन मंत्रियों पर तो आपका नियंत्रण होना चाहिये ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैं अस्पतालों को दुर्व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था । भोजन की बात करता हूं । जो भोजन मरीजों को खाने के लिये मिलता है...

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया एक मिनट रुक जांय ?

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल––

तो मैं कह रहा था कि अगर आप भोजन को देखेंगे तो पायेंगे कि पानी मिली हुई दाल, जली हुई रोटी जैसा जेल में कैदियों को मिलता है, वैसा ही भोजन हमारे मरीजों को दिया जाता है । जो लोग इन्तजाम करने वाले होते हैं वे इस गोलमाल को करते हैं, वे ही इसके जिम्मेदार होते हैं ।

हमारे मंत्री जी ने बताया कि प्रत्येक टी0बी0 के मरीज के लिये प्रति दिन 2.75 रुपये की व्यवस्था बजट में की है । आज के इस मंहगाई के युग में दो वक्त के भोजन के लिये ऐसे मरीज के लिये मैं समझता हूं कि यह बहुत ही नाकाफी है, उसके साथ एक मजाक की बात है जबकि उसके लिये फल और गरिष्ट भोजन की व्यवस्था होनी चाहिये । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस धनराशि को बढ़ाया जाय ।

मान्यवर, कानपुर में अक्तूबर, 1976 में एक हृदय रोग संस्थान की स्थापना की गई थी और तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि इसमें प्रति सप्ताह ओपिन हार्ट सर्जरी के 3 केसेज होंगे । क्लोज हार्ट सर्जरी तो मामूली अस्पतालों में भी हो जाती है लेकिन उसके बाद 18 महीने तक एक भी ओपिन हार्ट सर्जरी का केस उस संस्थान में नहीं हुआ जबकि करीब एक करोड़ रुपया इस हृदय संस्थान के ऊपर सरकार का व्यय हो चुका है । इस 18 महीने की अवधि में करीब 200 क्लोज हार्ट सर्जरी के आपरेशन्स हो जाने चाहिए थे । लेकिन केवल 63 ही हुए । इस सदन में प्रश्नोत्तर काल में भी कई बार चर्चा हुई । यह सारी जिम्मेदारी वहां के जो डाइरेक्टर हैं, उनके ऊपर है । उनकी ताना शाही रवैये के कारण कोई भी डाक्टर, स्वाभिमानी, बड़े से बड़ा काबिल जो विदेशों से नौकरी छोड़ कर देश में सेवा करने आए, वे नौकरी छोड़ कर चले गए । श्रीमन्, उनके खिलाफ बड़े–बड़े आरोप, गबन के अनियमितता के, भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं और विदेशी मुद्रा के घोटाले का आरोप । हमारे मन्त्री जी ने कहा कि जांच करवा रहे हैं, लेकिन क्या जांच रिपोर्ट है वह आज तक प्रस्तुत नहीं हुई । अगर उस संस्थान को चलाना है तो उसके डायरेक्टर के पद पर किसी कार्डियेक सर्जन की नियुक्ति की जाय ताकि उसका ठीक से काम चल सके और जो आरोपों की जांच की गई उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय ।

इसके साथ–साथ मन्त्री जी ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की बात कही है एक मार्च से । उसके बाद वे स्टे आर्डर ले आए । मैं सिद्धान्ततः सरकार के इस कदम का समर्थन करता हूं लेकिन जिस प्रकार से जल्दबाजी उसको कार्यान्वित करने में की गई वह बड़ा गलत है, उसमें खामी है । अच्छा होता कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने से पहले जो इस समय हालात हैं उनमें सुधार किया जाता, सुविधाएं बढ़ाई जातीं । पलंग, डाक्टर, नर्सों को बढ़ाया जाता, दवाई की और ज्यादा चिकित्सा की व्यवस्था की जाती तो यह कदम लाभप्रद हो सकता था । लेकिन इससे न तो पहले ही गरीब आदमी को कोई चिकित्सा सुविधा मिलती थी और न प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द होने से सुविधा मिलेगी । वह तो वी0 आई0 पी0 लोगों को, बड़े–बड़े लोगों, ब्यूरोक्रैट्स को सुविधा मिलेगी, पैसे वालों को मिलेगी । तो आज उस गरीब आदमी, उस मध्यम वर्ग के आदमी को चिकित्सा की सुविधा मिल सके इसके लिए आवश्यक है कि वे सारी सुविधाएं अस्पतालों में बढ़ाई जायं और उसके साथ–साथ ऐसा वातावरण तैयार किया जाय कि जो कुंठा है स्टाफ में वह दूर की जाय । उनको थोड़ी सी सुविधा देनी होगी । डाक्टरों को वाहन की व्यवस्था, टेलीफोन की व्यवस्था देनी होगी और एक मेरा अहम सुझाव यह है कि आपको पे–क्लीनिक की भी व्यवस्था करनी होगी । जो समाज का नागरिक सक्षम है वह पैसा देकर क्लीनिक में बड़े–बड़े डाक्टरों से इलाज कराए

[डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल]

और उससे चिकित्सालय को भी लाभ होगा। पर उसमें आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं उस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो जाय। और जब तक ये सुविधाएं नहीं बढ़ायेंगे तब तक प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने से जो आम आदमी हैं उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है।

एक मेडिकल कालेज खोलने की बात हो रही थी। अभी कुछ वर्ष पहले मेडिकल कालेज के छात्रों में.... (लाल बत्ती जलने पर) 10 मिनट और दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

20 मिनट हो चुके, 5 मिनट और बोल लें

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

एक वर्मा आयोग का गठन किया गया था। कर्मचारियों, शिक्षकों आदि में बड़ा असन्तोष था, क्योंकि बड़ी दुर्व्यवस्था थी। तबसे कई वर्ष हो गए, वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन आज तक शासन ने सदन के सामने उसे नहीं रखा। मैं अनुरोध करूंगा कि वे उस आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखें और जो संशोधन किए गए हैं उनको अविलम्ब लागू किया जाय।

विगत दिनों में जो चिकित्सा अधिकारी तदर्थ रूप से सेवा में कार्य रत थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजन होने पर करीब 2 हजार डाक्टर्स प्रस्तुत हुए थे उनमें से करीब 60 प्रतिशत डाक्टर रिजेक्ट कर दिए गए और उनका भाग्य और भविष्य अन्धकारमय हो गया। 10-10 साल से तदर्थ रूप से वे कार्य कर रहे थे, अब उनकी वरीयता को भी नीचे कर दिया गया। जो एक साल से डाक्टर आया है उसको ऊपर कर दिया गया और 10 वर्ष से कार्यरत डाक्टर को नीचे कर दिया गया। 1973-74 में लोक सेवा आयोग में विज्ञापन निकलवाया था और इस पूरी चेन के दुरुपयोग में 4 साल लग गए। जब जाकर नतीजा सामने आया, जिसके कारण हमारे प्रदेश में हजारों डाक्टरों को बड़ा क्षोभ है, बड़ा असन्तोष है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सरकार सक्षम है, या तो पुनः लोक सेवा आयोग को दुबारा भेजा जाय या किसी प्रकार से जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जो उनकी तदर्थ सेवायें हैं, उनको रेगुलाराइज कर दिया जाय। जो उनमें असन्तोष है, जो एक हजार डाक्टरों का भाग्य अन्धकार में है, वह उज्जवल हो सके।

इसके अलावा मैं परिवार कल्याण के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे बजट में जो दिया गया है, उसमें बताया गया है जन्म दर को 1983-84 तक 30 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही गई है। लेकिन कैसे आप इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे? इसकी तरफ कोई निर्देश नहीं किए गए हैं। क्या अपने-आप हो जायगा? अगर आप उठाकर देखें, आंकड़े जो हमको दिए गए हैं, बजट भाषण में, उसमें परिवार कल्याण पृष्ठ 64 पर पुरुष नसबन्दी का कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं. लूप का कोई लक्ष्य नहीं. राम आसरे छोड़ दिया गया है इस सारे कार्यक्रम को। मैं समझता हूं कि इस सारे काम को छोड़ दिया गया है। श्रीमन् मैं समझता हूं इसकी जरूरत भी नहीं है परिवार कल्याण की यह सरकार तो 37 बार वैसे ही गोली काण्ड करवा चुकी है, तो जरूरत क्या है? बिला वजह मशीनरी लगवाए। वह तो वैसे ही आपका कार्यक्रम पूरा हो जायगा। इसलिए आपने उसमें लक्ष्य नहीं रखा है और अब श्रीमन्, गत वर्ष भी कह दिया था, आज फिर पुनः कहते हैं जो सेन्ट्रल परचेज कमेटी है, उसमें बड़ी धांधली है, स्थानीय क्रय उचित नहीं है। गत वर्ष या दो वर्ष पहले जो सचिव/आयुक्त थे, उन्होंने गल्ती स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच करा रहे हैं। उसकी जो रिपोर्ट है वह आज तक मान्यवर सदन में नहीं आई, यह बड़ी जटिल समस्या है और समय लेने

वाला वह तरीका है। मेरा अनुरोध है कि इसको विकेन्द्रित किया जाय। जिला लेविल पर यह जरूरी है। कार्य करने के सरल तरीके अख्तियार किए जायं ताकि उसमें घपला कम हो और जो ऐसी सब–स्टैन्डर्ड और जो दवायें काम में नहीं आने वाली खरीदी जाती हैं, उससे छुटकारा मिल सके।

अब एक बहुत अहम समस्या है नियन्त्रण की। बहुत पुराने जमाने से संगठन जो है वह चला आ रहा है। इसमें पूरे प्रदेश में एक ड्रग कन्ट्रोलर, असिस्टेन्ट डायरेक्टर (ड्रग्स) सीनियर ड्रग इन्स्पेक्टर 3 हैं। 36 रीजनल इन्स्पेक्टर हैं। यह तो प्रस्तावित है। 3 सीनियर ड्रग इन्स्पेक्टर की जगह एक काम कर रहा है। 36 इन्स्पेक्टर की जगह 22 काम कर रहा है। हाथी कमेटी की रिपोर्ट देखें। 14 असिस्टेन्ट डाइरेक्टर (ड्रग्स) उन्होंने कहा था। प्रदेश में 450 औषधि निर्माता केन्द्र हैं और 16,000 बिक्री केन्द्र हैं। उसमें मौजूदा स्टाफ बहुत कम है। हाथी कमेटी के अनुसार प्रति 200 बिक्री केन्द्र व प्रति 25 निर्माण केन्द्र पर एक इन्स्पेक्टर होना चाहिए। अगर आपने ड्रग इन्स्पेक्टर की तादाद नहीं बढ़ाई, तो पूरे प्रदेश में जो नकली दवाइयां, सब–स्टैन्डर्ड दवाइयां बिक रही हैं, उसमें आप कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे। आगरा नकली दवाइयों का बहुत बड़ा सेन्टर है। आपका स्टाफ असक्षम है, जब तक आप विजिलेन्ट स्टाफ नहीं भेजेंगे तब तक जो यह कोढ़ है वह दूर नहीं हो सकता है। औषधि विश्लेषण क्षमता 1,000 प्रति वर्ष की है। जब कि ढाई तीन हजार सैम्पिल्स प्रति वर्ष आते हैं। तो इनकी क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि सही रिपोर्ट मिल सके बहुत से टेस्ट करने के ये लायक नहीं है, इनके पास केमिकल्स नहीं है। पायरो जन प्रग टेस्ट भी प्रयोगशाला में नहीं हो पाता है जो कि बहुत अहम टेस्ट है।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप समाप्त करें।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल––

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं समझता हूं अगर थोड़े से आंकड़े आप देख ले तो पता लगेगा कि 1976 में जो सरकार थी उसने 42 परसेन्ट गावों के लिये खर्च किया था चिकित्सा पद्धति पर। इस सरकार ने 77–78 में 46 फीसदी खर्च किया है। 78–79 में 54 फीसदी का लक्ष्य रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि जो लक्ष्य रखा है वह 42 से 54 पर आ गया है। यह एक अच्छे स्वास्थ्य बजट की निशानी हो सकती है। मान्यवर, पारसाल जो स्वास्थ्य मंत्री ने एलान किया था कि एक रुपया या आठ आना जो पर्चे की फीस जो अस्पतालों में ली जाती थी, तो जो यह एक रुपये की फीस थी इससे बहुत से लोग दवाओं के बिना रह जाते थे। मैं अब देख रहा हूं कि बिना परचे के लोग दवाये ले जाते हैं और काफी संख्या में दवायें लोगों को मिलती हैं। इसमें कुछ शिकायतें भी आई है कि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और दवायें लेकर बाहर बेच देते हैं। सरकार ने करीब–करीब इस तरह से 23 लाख रुपया छोड़ भी दिया हैं। तो मंत्री जी जो इस तरह से दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है उसका इन्तजाम करें। जहां तक भारतीय एलोपैथी का संबंध है मैंने पारसाल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मेरा तो हिन्दुस्तान की किसी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास ह ही नहीं। मैं तो तीन चार साल बीमार रहा था। किसी भी एलोपैथी दवाई में क्षमता नहीं है कि वह रोग निदान

[श्री राधेश्याम शर्मा]

कर सके। ये दवायें रोग को बढाती हैं। तो जो स्थिति आज है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है लेकिन सुधार किया जा सकता है और सुधार करना चाहिये। आयुर्वेदिक की बात चली तो उसको सुधारने की बात सरकार के सामने विचाराधीन है। यह हमारी पुरानी पद्धति हैं इस तरफ हमे मजबूती के साथ सोचना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, होम्योपैथी वाले एक साल से हो हल्ला मचा रहे हैं। दारुल सफा में सोने नहीं देते हैं। सारे के सारे लड़के जबर्दस्त उधम करते हैं। इनकी समस्या हल होनी चाहिये। चारों तरफ दारुल शफा और विधान सभा की दीवारें रंगी हुई हैं। कोने कोने से होम्योपैथिक लड़कों के बारे में बातें आ रहीं हैं। यह लड़के आन्दोलन की स्थिति में नहीं हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। नसबंदी वाले लोग जो थे वह सबके सब गायब हो गये हैं राधे श्याम शर्मा जी के भाषण से तो कम से कम अपनी करनी को सुनने के लिये उनको यहां बैठा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूं। आप भी न रहें तो मैं आपको भी बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री राधे श्याम शर्मा—

मान्यवर, होम्योपैथिक छात्रों की समस्याओं का निपटारा करना चाहिये। बहुत दिनों की बात हो गयी है। मैं साफ कहना चाहता हूं, बहुत से लड़कों से मेरी बात भी हुई है। पारसाल तो यह गुस्से में थे, आन्दोलन की स्थिति में थे लेकिन आज वह आन्दोलन की स्थिति में नहीं हैं। आप सौहार्दपूर्ण ढंग से उनको बुलाकर उनकी समस्याओं को हल करें। और जिद्द की जरूरत नहीं है। आप उनकी समस्याओं को हल करें।

मान्यवर, ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना जो चली है उसको केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुछ ब्लाकों में लागू किया है। यह ग्रामीण अंचल में बड़ी कारगर योजना है। हमारे क्षेत्र में एक ब्लाक लिया गया है। लेकिन इसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि प्रत्येक लड़के या स्वास्थ्य रक्षक को 50 रुपये महीने मिलेगा, जो कि बहुत कम वेतन है और 200 रुपये महीने दवाइयों को खरीदने के लिये मिलेंगे। तो इस योजना में सारे प्रदेश से शिकायतें आ रही है कि वहां गड़बड़ी पैदा की जा रही है। मने अपने जिले की आज सुबह ही मंत्री जी को बात बताई थी। इसमें नियम है कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों से प्रस्ताव आयेंगे लेकिन उनको भी नहीं माना जा रहा है। जो आपके अधिकारी हैं उसमें गड़-बड़ी करके 50 रुपये देने में कम्पीटीशन कराकर एक बड़ी बात पैदा कर रहे हैं। इसलिये इसको भी मंत्री जी देखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) —

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस दल के माननीय सदस्य ने कटौती के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कांग्रेस के सदस्य ने यदि वह अनुपस्थित रहें और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जिससे प्रस्ताव सम्बन्धित हो वह भी अनुपस्थित रहें तो इस पर कहाँ तक विचार करना उचित है ?

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव विरोध पक्ष की ओर से पेश किया गया है उस प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करने के लिये मैं बैठा हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उनके दल से संबंधित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

डाक्टर कौशल जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने भाषण दे दिया है वह रहते तो अच्छा होता लेकिन वह नहीं हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कटौती के प्रस्ताव पर विचार न हो। यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है। कुछ मर्यादा की बात होती है। अच्छा होता कि वह रहते लेकिन नहीं हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जिस समय मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस समय उनकी तरफ केवल यहां दो सदस्य थे।

श्री राधे श्याम शर्मा—

मान्यवर, तीन पद्धतियां चिकित्सा की होती हैं एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक। यदि इसके साथ ही साथ इस प्रदेश के अन्दर प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करें तो वह भी आपके लिये बहुत कारगर हो सकती है। जब मैं बीमार था तो सारी पैथी फेल हो गयी थी। उस समय गोरखपुर में बिट्ठल दास मोदी के अस्पताल में गया था। वहां प्राकृतिक चिकित्सा होती है। मैंने वहां जाकर प्राकृतिक चिकित्सा की, जो कि मिट्टी पानी से होती है, और मैं स्वस्थय हो गया। इसलिये उसको लागू करें तो अच्छा होगा। अभी प्रदेश के अन्दर आप जिस विभाग के मंत्री हैं, मैं तो सारे मंत्रियों से कहता हूं, अगर कोई चमत्कार का काम करें तो प्रदेश की जनता सिर पर उठा लेती। प्रदेश के अन्दर इतने अस्पताल हैं वहां का अचानक निरीक्षण करवा दें। संविद की सरकार में हुआ था तो एक हड़बंग सा मच गया था। अगर ऐसा आप करें तो चार चांद आपके विभाग में लग जायेंगे और अपने दायित्व का पालन करेंगे। मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि अगर नहीं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अपने जिले की बात नहीं कही। हमारे यहां जो जिला अस्पताल है उसकी बिल्डिंग ब्रिटिश काल की बनी हुई है और जर्जर अवस्था में है। वहां पर उपकरण भी नहीं है। बगल में जो जनाना अस्पताल है उसकी हालत और भी खराब है। कृपया उधर भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अगर आप इस महकमें में सुधार कर सकेंगे तो अच्छा काम करेंगे और अपने दायित्व का पालन करेंगे। हम आपके हर अच्छे कार्य का समर्थन करेंगे।

*श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग का जो आय-व्ययक रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह समर्थन के हकदार इसलिये और भी बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने बजट में यह कोशिश की है कि जनता पार्टी की सरकार का जो लक्ष्य है कि ग्रामीण जनता की ओर बढ़ा जाय तो उस ओर इन्होंने कदम उठाये हैं। अब तक स्वास्थ्य केन्द्रों की 80 हजार या एक लाख की आबादी पर व्यवस्था है। इन्होंने 200 उप केन्द्रों की योजना बनाकर जहां सुविधा उपलब्ध नहीं है, पहुंचाने की कोशिश की है। यह जरूर है कि आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कदम उठा सकेंगे। लेकिन अगर दिशा ठीक हो तो जो भी थोड़ा बहुत किया जाय वह उचित ही होगा। एक बात मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी-छोटी सी बातों के लिये भी लोगों को मुख्यालय के अस्पतालों पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमा शंकर कौशिक]

जाना पड़ता है इसलिये कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम रोग का निदान तो हो सके । यह निश्चित् बात है कि एक ही जगह सब लोगों का इलाज नहीं हो सकता। कहीं न कहीं दूसरे अस्पताल में इलाज के लिये जाना ही पड़ेगा। लेकिन रोग का निदान या जो मामूली जांच की प्रक्रिया है उसके लिये 80–80 मील, 100–00 मील लोगों को जाना पड़ता है तो यह 30 साल के जनतंत्र में कलंक की बात है। कोई भी जनतंत्रीय सरकार अपना यह प्रथम कर्त्तव्य मानकर चलती है कि उसको प्रत्येक व्यक्ति के लिये स्वास्थय की सेवाओं को पहुंचाना है और उसके स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। मैं यह मांग करूंगा कि कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि रोग के निदान के लिये जो मामूली जांच की आवश्यकता पड़ती है वह स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हो जाय । मोटी सी एक बात कहना चाहता हूं। कुत्ते के इलाज के लिये इंजेक्शन लगवाने के लिये आज भी मुख्यालय के अस्पताल में जाना पड़ता है

(इस समय 1 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए)

उसमें लोगों को कितनी परेशानी होती है। भर्ती होती नहीं क्योंकि ऐसे रोगियों की अस्पतालों में भर्ती नहीं होती। 14 इंजेक्शन लगाते हैं। तो इन्जेक्शन लगवाने के लिए 80/100 मील जाने में बड़ी परेशानी पड़ती है। अतः मेरा निवेदन है कि कुत्ते के काटे के इन्जेक्शन हर स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध हों।

इसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण लोगों की बहुत मौतें होती हैं जैसे कि टिटनस है। मान्यवर, टिटेनस के इन्जेक्शन मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं होते। इसकी दवा वहां नहीं मिलती। अतः ऐसी दवायें अवश्य ही मुख्यालय पर उपलब्ध रहें। उनको बाजार से मोल लेने की बात नहीं होनी चाहिये। टिटनस जैसे रोगियों के इलाज के लिये दवायें मुख्यालय पर ही उपलब्ध रहें और उनको रोगियों को बाजार से न मंगाना पड़े।

एक बात, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसका स्वास्थ्य सेवाओं से बहुत सम्बन्ध है और वह है रिश्तों के सम्बन्ध में। बात–सरकार और डाक्टर के रिश्ते, डाक्टर और फोर्थ क्लास कर्मचारियों के रिश्ते, डाक्टर और जनता के रिश्ते। मान्यवर. इन रिश्तों के ठीक न होने का कारण भी बहुत गड़बड़ी होती है। अगर इन रिश्तों में सुधार नहीं होता, तो चाहे कितनी भी रकम स्वास्थ्य विभाग के बजट में रख दें, चाहे कितनी भी कोशिश करें, प्रदेश की जनता को वह स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा जिसकी कि हम कल्पना करते हैं। हम जनता को वह खुशी देने में असमर्थ पायेंगे, जब तक कि इन रिश्तों को ठीक नहीं किया जायेगा ।

मान्यवर, पिछले सालों में कांग्रेस पार्टी ने यह नीति बनायी थी सरकार तो व्यवस्था करती है, लेकिन डाक्टर चोर हैं। सरकार दवा दे रही है, लेकिन डाक्टर दवा नहीं देते। यह बहुत ही भयानक और चिन्ताजनक स्थिति है। माननीय मंत्री जी कृपया इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। स्वास्थ्य केन्द्रों में, जहां एक लाख की आबादी मरीजों की है, उनके लिये 28 हजार की दवाओं का प्राविधान किया गया है। इसके पहले और भी कम होता था। कांग्रेस पार्टी के जमाने में तो यह बहुत ही कम होता था। लेकिन फिर भी एक ऐसी दरार पड़ी है कि डाक्टर कह देता है कि सरकार नहीं देती और सरकार कह देती है कि हम तो देते हैं लेकिन डाक्टर चोर हैं। इसी तरह से डाक्टर और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों का संतुलन बिगड़ गया है। मैं बताना चाहता हूं कि डाक्टर से चाहे रोगी को उतनी परेशानी न हो, लेकिन

फोर्थ क्लास के कर्मचारी से तो हर अस्पताल में हर रोगी को परेशानी रहती है। डाक्टर से एक दो को शिकायत हो सकती है, लेकिन फोर्थ क्लास के कर्मचारी से तो हर रोगी को सामना करना पड़ता है और शिकायत रहती है। तो इसके बारे में समुचित सुधार करना सरकार का काम है। इन बीच के रिश्तों को सरकार को ठीक करना चाहिये। जैसा कि मैंने बताया है ये चार रिश्ते हैं—डाक्टर और सरकार का रिश्ता, डाक्टर और रोगी के बीच रिश्ता, डाक्टर और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों से रिश्ता और फोर्थ क्लास कर्मचारियों और रोगियों के बीच का रिश्ता। इन रिश्तों को ठीक करना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है। अगर सरकार इसको अपना कर्त्तव्य मानकर नहीं चलेगी तो चाहे जितना प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिये सरकार करे, उससे जनता को उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलने वाला।

श्रीमन् मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। इसी विभाग में दूध का मामला, खाद्य पदार्थों का मामला और सेनेटरी इंसपेक्टर का मामला आता है। इसको अगर बिल्कुल खत्म कर दिया जाय तो प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पर रत्ती भर असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि कोई इंसपेक्टर जो दूध आदि का मुआयना करता है, खाद्य पदार्थों की देखभाल करता है, वह अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है। पैसा बनाते हैं। आप जांच करा लें कि उनकी हैसियत क्या थी क्या हो गयी है और जनता को दूध अच्छा नहीं मिलता है न खाद्य पदार्थ ही, जिन के लिए उन को रखने का उद्देश्य है, अच्छे मिल पाते हैं।

श्रीमन, मेरे क्षेत्र मुरादाबाद में एक क्षेत्र है भनोरा। मैंने खादी कमीशन की एक शानदार बिल्डिंग सरकार को आफर की है खरीदने के लिए। सरकार उस को खरीदने की सोच रही है। उसमें 30 बेडेड हास्पिटल चल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्राथमिक हास्पिटल वहां पर चल रहा है। मेरा निवेदन है कि वहां पर भवन मौजूद है, तीस शय्यायें मौजूद हैं जो सरकार प्राथमिक केन्द्रों को खोल रही है, उन को उन्नत कर रही है, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस सत्र से उस हास्पिटल को भी उन्नत करने के लिए सरकार ले।

एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और वह यह कि मुरादाबाद एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो अपने प्राकृतिक रूप में कई जिलों को समेटता है स्वास्थ्य की दृष्टि से जैसा कि नैनीताल। जिला नैनीताल में जो तराई का इलाका है वहां के लोग नैनीताल में इलाज कराने के लिए नहीं जाते। सारे के सारे मुरादाबाद में इलाज कराने आते हैं। बिजनौर और बदायूं के इलाके के लोग भी वहीं इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन शैय्याओं की बहुत कमी वहां पर है। एक योजना आज से 12–15 साल पहले बनी थी जिस के तहत अस्पतालों का कुछ थोड़ा सा ढांचा खड़ा भी हुआ। मेरा निवेदन है कि मुरादाबाद की जनसंख्या जो 28 लाख है उसको देखते हुए वहां पर अस्पतालों के शैय्याओं की ठीक व्यवस्था की जाय।

*श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने स्वास्थ्य बजट पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का मौका दिया। मान्यवर, मैं जिला अल्मोड़ा के बागेश्वर क्षेत्र का सदस्य होने के नाते अपने क्षेत्र की समस्त समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकूं यही मेरा प्रथम कर्त्तव्य है। मान्यवर, मेरा क्षेत्र एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो कि तिब्बत चीन के बार्डर से मिला हुआ क्षेत्र है। मेरी तहसील बागेश्वर है और वहां पर जो स्टेट डिस्पेंसनरी है उसको पिछली सरकार ने अपग्रेड करने का प्राविधान किया था लेकिन अभी तक उसे अपग्रेड करने की कोई भी कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गयी है। साथ ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पूरन चन्द्र]

जो बैजनाथ डिस्पेंसरी है जिला अल्मोड़ा में है उसको देखते हुए पिछली सरकार ने प्राविधान किया था कि उसे भी अपग्रेड किया जायगा लेकिन अभी तक इस तरफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

मान्यवर, मैंने 24 अक्तूबर, को माननीय मुख्य मंत्री जी के अल्मोड़े आगमन पर एक पत्र दिया था जिसकी एकप्रतिलिपि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी दी थी, जिस में अल्मोड़ा जिला अस्पताल की सभी शिकायतें थीं जैसे कि वहां पर दवाइयां घटिया फार्म, घटिया कम्पनियों से आयात होती हैं और वहां पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको अपने स्टाफ में किसी भी प्रकार का कमान्ड नहीं है । वहां पर जो बड़े बाबू हैं, कम्पाउन्डर असगर हुसैन हैं, अधीक्षक वर्मा हैं, उन्हीं लोगों का बोल बाला है । वहां पर जनता को किसी भी प्रकार की अच्छी दवायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं । मैं अपने जिले अल्मोड़ा के अस्पताल की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां की समस्याओं का समाधान शीघ्रातिशीघ्र किया जाय । एक डाक्टर उपाध्याय के खिलाफ शिकायती पत्र सरकार के सम्मुख भेजा गया । ऐसे डाक्टर जो निर्मम हत्या करते हैं उनके खिलाफ भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती । ऐसी घटनाओं पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच नहीं होनी चाहिये बल्कि मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जाय ताकि सरकार को सही दिशा मिल सके । जिला अल्मोड़ा में यातायात की सुविधा नहीं है इसलिये वहां के आई हास्पिटल तथा जिला अस्पताल के लिये एक,–एक एम्बुलेंस का होना जरूरी है । गरुण बैजनाथ चिकित्सालय तथा बागेश्वर चिकित्सालय को अपग्रेड करने के लिये कहा गया था लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी, उसे शीघ्रातिशीघ्र किया जाय । जो अन्य अस्पताल खोले गये हैं उनके लिये भवन निर्माण नहीं किया गया है, उनके लिये भवन निर्माण भी शीघ्र किया जाय । इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 50 रुपया माहवार की जो स्कीम है इससे कोई फायदा न हो कर नुकसान ही हो रहा है । जो इसके अन्तर्गत प्रशिक्षक होते हैं वे अच्छी दवा नहीं दे सकते । अगर सरकार का इरादा है कि परिवार कल्याण हो सके तो जो प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं वहां हर सप्ताह स्वास्थ्य सम्बन्धी, शिक्षा दी जाय तो कुछ लाभ हो सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस स्वास्थ्य सम्बन्धी बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जब एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और होम्योपैथी छात्रों का सवाल आया तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका आन्दोलन रामआसरे वर्मा चलवा रहे हैं । रामआसरे वर्मा उनका आन्दोलन नहीं चलवा रहे हैं बल्कि मंत्री जी स्वयं चलवा रहे हैं । 27 जुलाई, 1977 को गोलमेज सम्मेलन किया गया था जिसमें सभी लोग सम्मिलित हुए थे । उसमें होम्योपैथी छात्रों की मांगों को बड़े ध्यान से सुना गया और उनको पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया था । लेकिन अफसोस यह है कि ऐसी समस्याओं के बारे में आप नौकरशाही के विचारों के आधार पर फैसला करते हैं, अगर आप अपने विवेक से औचित्य के आधार पर यह निर्णय लेते तो न होम्योपैथी छात्रों का आन्दोलन होता न आयुर्वेदिक छात्रों का और न ही फार्मेसिस्टों का होता ।

श्री अधिष्ठाता––

उन्होंने तो यह मजाक में कहा था । आप सीरियसली ले रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा––

अगर मैंने होम्योपैथिक छात्रों का आन्दोलन चलवाया है तो फिर आयुर्वेदिक छात्रों तथा फार्मेसिस्टों का आन्दोलन कौन चलवा रहा है ?

(श्री कल्याण सिंह) स्वास्थ्य मंत्री--

मैंने तो केवल मजाक में कह दिया था।

श्री रामआसरे वर्मा--

हमारे सामने तीन पद्धतियां हैं चिकित्सा की। एलोपैथी, आयुर्वेदिक तथा यूनानी और होम्योपैथी इन तीनों के साथ अगर मंत्री जी का व्यवहार देखा जाय तो माननीय मंत्री जी ने आयुर्वेदिक छात्रों के साथ और होम्योपैथिक छात्रों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया है। आयुर्वेद हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है और माननीय मंत्री जी भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। उसको विकसित करने के लिये अगर छात्रों ने मांग की थी, तो उन पर गौर करके उन्हें पूरा करना चाहिये था। जहां तक होमियोपैथिक छात्रों का सवाल है, उनके 15 गैर सरकारी कालेजों के प्रान्तीयकरण की बात उठ रही है और उन्हें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की मांग की जा रही है लेकिन उनकी जायज बातों को सिद्धांत रूप में मानते हुए भी व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा रहा है। इस लिये आन्दोलन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, दूसरे की नहीं है।

मान्यवर, जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना आप चला रहे हैं उसके अन्तर्गत डिस्पेंसरियों में डाक्टर नहीं हैं और कहीं कम्पाउन्डर बैठे हुये हैं तो वहां दवायें नहीं हैं। वहां कौवे जैसे बोल रहे हैं। मरीज जाता है और लौटकर चला आता है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर देहातों में जो डिस्पेंसरियां हैं उनमें आप दवाइयां नहीं देखेंगे, स्टाफ नहीं देखेंगे। इस लिये मेरा निवेदन है कि जहां उत्तर प्रदेश में आप इसकी व्यवस्था करें, वहां इस क्षेत्र के लिये भी दवाइयां, स्टाफ सुलभ करायें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें। 5 मिनट में समाप्त करना है।

*डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, लगता है कि स्वास्थ्य के बजट पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। 5-5 मिनट ही बोलने दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

वह तो परिस्थिति ऐसी आ गई है। आप कमेन्ट न करें अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करें।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जो सीमित संसाधन स्वास्थ्य के बजट में है और जिसको ज्यादा होना चाहिये था, हमेशा ही स्वास्थ्य का बजट काटा गया है। उसमें भी माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण अंचलों में 100 अस्पताल खोलने की व्यवस्था की है। कुछ और काम इस विभाग द्वारा किये गये हैं जिन्हें समयाभाव के कारण नहीं कह सकूंगा। एक तकलीफ जो स्वास्थ्य विभाग के एक छोटे से कर्मचारी से लेकर अफसर को है, जो कि अन्य विभागों में भी है वह है तदर्थ नियुक्तियां। उसमें मैंने देखा है कि इस विभाग में 2,573 राजपत्रित कर्मचारी हैं जो कि स्थायी हैं और 4,779 कर्मचारी अस्थायी हैं। इसी प्रकार 26,740 अराजपत्रित कर्मचारी स्थायी हैं और 30,284 अस्थायी हैं। मैंने यह निवेदन पहले भी किया था कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल]

जिन लोगों की सेवायें 2 वर्ष से अधिक हो गयीं हैं उनको स्थायी किया जाय लेकिन इसपर कोई विशेष गौर नहीं किया गया और आज जो प्रान्तीय चिकित्सा अधिकारियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया उसमें उसने 10 वष की सेवा वाले लगभग 1 हजार डाक्टरों को अस्वीकार किया है। उसमें एक डाक्टर ऐसा भी है जिसकी 30 वर्ष की सेवा है। लगभग हर विभाग की ओर से कोई निश्चित निर्देश आयोग को नहीं दिये गये। उनकी सेवा की अवधि, चरित्र पंजिका की प्रविष्टि, एम0 बी0 बी0 एस0, एम0 डी0 और एम0 एस0 में प्राप्त अंकों के आधार पर यह होना चाहिये। दूसरे विभागों में जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग आदि में इस प्रकार के निर्देश आयोग को दिये गये थे। अन्डर सेक्रेटरीज का एक बार सेलेक्शन हुआ था तो उसमें भी आयोग ने इसका ध्यान रखा था। इसी प्रकार हरिजन और समाज कल्याण विभाग के 8–8 और 9–9 साल की सेवाओं को शासन ने ध्यान में रखा था और आदेश दिये थे। तो शासन ने स्वयं उसके ऊपर विचार किया। आज जो एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है उसमें शासन का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि 8, 10 वर्षों से सेवा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के साथ अन्याय न होने पाये। उनकी नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता कायम रहे।

दूसरा एक अहम फैसला स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिया है चिकित्सकों की नान-प्रैक्टिसिंग के संबंध में। सिद्धांततः मैं इससे सहमत हूं। लेकिन इसमें कुछ जल्दी की गई। इसे फेजेज में करना चाहिए था। इसके लिये ग्राउन्ड वर्क तैयार करना चाहिये था। आज अस्पतालों के अंदर सामान्यजन के लिये कोई सुविधा नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। नान-प्रैक्टिसिंग के बाद अगर इस बात का आश्वासन शासन देने को तैयार हो कि कोई भी वी0 आई0 पी0 चाहे वह मंत्री हो या ब्यूरोक्रेट हो या विधायक हो या डाक्टर के कामों के घंटों में सेवा नहीं लेंगे तो इसका प्रदेश की जनता स्वागत करेगी। लेकिन वी0 आई0 पी0 को डाक्टर सेवा देने के लिये मजबूर होंगे। वह लोग जो अस्पतालों में सेवाओं की कमी के कारण प्राइवेट इलाज कराना चाहते हैं उनको सुविधा नहीं मिल पायेगी। इसके साथ–साथ पेयिंग क्वीनिक्स और पेइंग प्राइवेट वार्ड्स का प्राविधान सरकार को करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखी मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनका घोर विरोध करता हूं।

मान्यवर, सवाल इस बात का है कि स्वास्थ्य के संबंध में जो गांवों की ओर चलने की बात कही गयी है उसका विरोध, विरोध पक्ष की ओर से तथा कुछ अपने लोगों द्वारा भी किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों की बदौलत आज हम यहां बैठे हुए हैं। अगर गांव के लोग अन्न पैदा नहीं करेंगे तो जो शहरों में लोग बैठे हुए हैं क्या खायेंगे। गांवों में तो ऐसी–ऐसी दवायें हैं जब तक यह अस्पताल नहीं खुले थे वह लोग स्वयं सारे मर्ज का इलाज कर लेते थे।

अब मैं स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। सरकार ने जो योजना चलाई है गांव वालों को सुविधा देने के लिये उससे कुछ बेरोजगारी भत्ता सरकार देना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि जिला लखनऊ के जो डिप्टी सी0 एम0 ओ0 हैं, वह गांव–गांव में पार्टी बाजी करवा रहे हैं और उन्हीं लोगों को इसमें रख रहे हैं।

अगर वह रह गये तो स्वास्थ्य केन्द्र क्या जिला परिषद् के अस्पताल भी लखनऊ में नहीं चल पायेंगे। आप गाड़ी पर चल कर गांवों में जीप में जाते हैं और दावत खाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जिला लखनऊ में, राजधानी में नहीं रहना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि जो 5–5 और 10–10 साल से अस्पतालों में डाक्टर हैं उनका तबादला हो जाना चाहिये क्योंकि यह जरूरी है कि उनकी आदतें बिगड़ गई हैं। पहले की सरकार ने उनकी आदत बिगाड़ी है वह राजनीति में पड़े हैं इसलिये अशांति प्रदेश में मचा रखी है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे डाक्टरों को हटाया जाय।

एक और निवेदन मैं जो जिला परिषद् के अस्पताल बने हैं उनके बारे में कहूंगा कि उनको कम पैसा दिया जाता है।

जब जनता सरकार ने कहा है कि हम गांवों की ओर चलेंगे तो उन अस्पतालों को दवाओं व साज सज्जा के लिए पूरा पैसा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें, वायदे से मुकरें नहीं।

श्री मानसिंह आजाद—

हमारे मलिहाबाद में जो अस्पताल है, उस में जच्चा-बच्चा के लिए कोई बेड्स नहीं हैं, अतः यह वहां और हमारे माल में भी लगाई जाएं। मंत्री जी से निवेदन है कि वह हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल खुलवा दें। क्योंकि हमारे गांव बहुत पिछड़े हुए हैं। इन शब्दों के साथ जो हमारा स्वास्थ्य बजट आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, आपने मुझे जो इस पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वह एलोपैथी की ओर बहुत कम ध्यान दे और एक ऐसा चरणबद्ध कार्यक्रम बनाए, जिसके द्वारा एक दिन देश में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की दासी बनकर रह जाए। एलोपैथी ने पिछले 50–60 वर्षों से इस देश का शोषण किया है और उसने हमारे देश की गरीबी का कोई ख्याल नहीं किया है। हमारे देश की धरती, प्रकृति और जलवायु —सभी दृष्टियों से भारत देश के लिए यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां ही अनुकूल और लाभकर हैं। अतः हमें उनका चतुर्मुखी विकास करना चाहिए और उन्हें उच्चतम शिखर पर पहुंचा देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश में सरकार एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करे। इसके लिए मैंने सुझाव दिया था, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, हरिद्वार में जो ऋषिकुल आश्रम संस्थान है। जिसकी दुर्व्यवस्था के कारण उसकी आज 2 करोड़ रुपये की संपति बर्बाद हो रही है, जिसे सन् 1906 ई0 में मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया था, उसको और उसके बगल में जो ऋषिकुल आयुर्वेद संस्था हैं, इन दोनों को मिलाकर एक विशाल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की वहां पर शीघ्र स्थापना की जाए। इस कार्य में कुछ प्रगति भी हुई थी, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उस प्रगति को और आगे बढ़ावे। तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और महिला अस्पताल खोलने की सरकार ने जो योजना बनाई है, वह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके लिए सावधानी की जरूरत है। हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े मगरमच्छ रहते हैं, जिसको वी0 आई0 पी0 कहते हैं, वे अनाप-

[श्री राज कुमार शर्मा]

शनाप स्थानों पर ऐसी आवश्यक सुविधाओं को जुटा लेने का प्रयास करते हैं, अतः इस प्रवृत्ति से बचा जाए। इन्हें ऐसे स्थानों पर खोला जाए जिन इलाकों में पहले से कोई अस्पताल नहीं है ।

मेरे इलाके में खादर का क्षेत्र ऐसा ही स्थान है जो वाणगंगा का क्षेत्र है और जो 48 गांवों का बड़ा इलाका है, वहां पर एक भी अस्पताल नहीं है। वाणगंगा के चढ़ जाने से वहां का जनजीवन 5 महीने के लिए अस्त व्यस्त हो जाता है, 5–5 महीनों तक न निकल पाने के कारण इन निवासियों का कोई इलाज नहीं हो पाता है। अतः ऐसे ही इलाकों म इनकी स्थापना करने की आवश्यकता है। एक बात यह है कि आयुर्वेद के नाम पर यहां पर बहुत दुकानदारी चल रही है। वह लोग झगड़ा खड़ा करते हैं। अतः आयुर्वेद की तथा-कथित परीक्षाओं की सरकार द्वारा मान्यता समाप्त होनी चाहिए और हमारे हरिद्वार में जो उत्तराखण्ड का द्वार है जड़ी–बूटियां बहुतायत से पाई जाती हैं, अतः स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह कृपया वहां पर एक विशाल हरबेरियम की व्यवस्था की जाए और शोध संस्थान बनाया जाए। इस तरह मैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बजट का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों की इच्छा को देखते हुए, यदि माननीय सदस्य चाहें, तो सबके लिए दो–दो मिनट का समय दे सकता हूं।

(नहीं, नहीं के स्वर होने पर) यदि नहीं, तो जैसा चल रहा है, वैसा ही चले।

एक सदस्य—

दो मिनट में क्या होगा, यही है तो अच्छा है कि आप सबका नाम नोट कर रेडियो पर दे दें, जिससे सबके नाम आ जाएं और कोई कुछ कह तो पाएगा नहीं।

एक सदस्य—

समय बढ़ा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

3 बजे तक समय माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, बड़ी दिक्कत हो जाती है, सही मानों में, कोई विधायक पांच मिनट या दो मिनट में बोल सकें। लेकिन दिक्कत की बात है हमारे और आपके लिए भी।

और कुछ कहने के पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी पंतनगर में जो कांड हुआ है, उसके चोटइल लोग बरेली और रामपुर अस्पतालों में हैं। कुछ सम्मानित सदस्य गये हैं। बरेली और रामपुर अस्पतालों में खासतौर से बहुत कम दवाएं हैं। तत्काल वहां जानी चाहिए। वहां तत्काल दवाएं पहुंचायी जायं। यह वहां की शिकायत है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि दवाएं सरकारी अस्पतालों में दी जा रही हैं, वह बहुत अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त पहले थीं, अब भी हैं। कौशल जी ने बताया कि 25 या 28 पैसे पड़ता है जो बिल्कुल अपर्याप्त है। उसके लिए अधिक से अधिक धन होना चाहिए। इसके अलावा अस्पतालों में ऐपरेटस पड़े हैं। मेरी जानकारी है। आप जांच करा लें। मेरी निजी जानकारी है। अस्तालों में ऐम्बुलेंस पड़े हैं, एक्सरे के ऐपेरेटस पड़े हैं और ऐपेरेटस

खराब हैं। उनको बनवाया नहीं जाता। नये खरीदने का आदेश दे दिया जाता है। उसमें पैसा लगता है और देर भी होती है।

तीसरी बात यह कहूंगा कि कम से कम तहसील स्तर पर हर अस्पताल में तीन-चार चीजें अवश्य करें। हरी सिंह जी सुनने दें माननीय मंत्री जी को। एक साल में करें, तीन साल में करें, 5 साल में करें, लेकिन करें––इयर, नोज, थ्रोट (तहसील की बात कर रहा हूं) उसी तरह से ब्लड बैंक, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और पैथालाजिकल सेंटर हो जी0 टी0 रोड पर मेरा मकान है। छोटा सा अस्पताल है। कहीं कुछ नहीं। यह होना चाहिए।

चौथी बात यह कहूंगा कि जो आपने अस्पतालों के डाक्टरों की प्रैक्टिस के बारे में रोक लगायी हैं, ठीक है। सिद्धांततः वह स्वीकार है। लेकिन इसको आप कैसे व्यावहारिक करें, आप यह देखें, किस तरह से डाक्टर लोग कुछ मिलें। जो परेशान हैं, इनको परेशानी क्या है। मुझे परेशानी मालूम है। (लाल बत्ती जलने पर) लाल बत्ती हो गयी इस लिए उधर नहीं जाता हूं। कृपया माननीय मंत्री जी एक बात नोट कर लें। वह यह है कि जितने तबादले होते हैं, उस में एक माप दंड होना चाहिए। आपके निजी विवेक से नहीं होना चाहिए। आपकी खुशी और नाराजगी से नहीं होना चाहिए, यह जो हो रहा है इसको आप बन्द करें। आप कोई एक मापदण्ड बनावे। इससे एक नई फिजा आवेगी और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य बजट पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं केवल 3–4 व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए एक व्यवस्था तो जरूर करने की कृपा करें कि कार्तिक और क्वार तथा इधर चैत्र और बैशाख, इन 4 महीनों के लिए एक डाक्टरों का उड़न दस्ता बनावे क्योंकि इन्हीं चार महीनों में देहात में बीमारियां अधिक आती हैं जिससे कृषि के उत्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देहातों में प्रसव पीड़ा से कराह–कराह कर औरतें मर जाती हैं, लेकिन उसके लिए ट्रेन्ड दाई की व्यवस्था नहीं है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि देहातों में ट्रेन्ड दाइयों को भेजने की व्यवस्था करें, जिससे वहां की औरतों को जो प्रसव सम्बन्धी कठिनाइयां होती है उनसे वह बच सकें। अगर आप ऐसा कर दें तो वह भी अनुभव करने लगेगी कि जनता पार्टी की सरकार ने इस ओर कदम उठाया है। अस्पतालों में मरीजों और डाक्टरों में कोई विश्वास नहीं है। मरीज को विश्वास है कि वह अस्पताल में जाकर ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी स्थिति लावें जिससे उनका विश्वास अस्पतालों के प्रति बढ़े। डाक्टरों को भी अपने अन्दर इस प्रकार की भावना जागृत करनी चाहिए कि वे अस्पताल में रहकर अधिक जन सेवा कर सकते हैं और इससे देश का बहुत हित होगा।

एक बात की ओर और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाढ़ आने के बाद नीची जगहों में पानी भर जाने से तमाम प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उन इलाकों में तमाम प्रकार की बीमारियों फैल जाती हैं। ऐसे इलाकों में डाक्टरों और दवाइयों का प्रबन्ध होना चाहिये। इसी के साथ–साथ एक चीज और है कि जब देहातों में मेले लगते हैं, आज कल गंगा स्नान का बहुत बड़ा मेला लगता है, वहां पर डाक्टरों की सेवा उपलब्ध की जानी चाहिये। एक चीज और है कि मरीजों को जो बाहर से पट्टी और प्लास्टर आदि चीजे मंगानी पड़ती है, तो इस

[श्री रघुबर दयाल वर्मा--]

ओर विशेष प्रबन्ध करना चाहिये । इस ओर जो डाक्टर मरीजों को बाध्य करें तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये ।

अंत में मैं एक बात और कह कर समाप्त करता हूं । अस्पतालों में जो दूध और खाना उपलब्ध किया जाता है उसके कारण डाक्टरों और कर्मचारियों में आपसी मनमुटाव पैदा हो जाता है । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । सरकार को सस्ती दवायें और अच्छे इलाज की व्यवस्था करनी चाहिये । इससे 67 प्रतिशत लोगों को लाभ होगा । हमारे क्षेत्र में भी यही हालत है इसलिये वहां पर पी0एच0सी0 खुलवाने की व्यवस्था करें ।

डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया, आयुर्वेद हमेशा जनता पार्टी का ऋणी रहेगा । लेकिन आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, अगर उनके ऊपर रोक लगायी जायगी तो उचित नहीं होगा । मृत संजीवनी सुरा के नाम पर ज्यादा एतराज है लेकिन ये मृत्यु में जीवन डालने वाली चीज है । साक्षात संजीवनी बूटी जो स्वास्थ्य, खांसी, नरवस सिस्टम को ठीक करने वाली है । द्राक्षासव और आसव जितने पुराने होते हैं, उतने ही रोगियों को फायदा करते हैं । कहीं इस मद्य निषेध के झगड़े में पड़ कर हमारे जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं, उनको ही आप खत्म न कर दें । मान्यवर, मैं झांसी जनपद में बबीना क्षेत्र से आता हूं । बुन्देलखण्ड एक सभी तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां पर आप सर्वे करायें । 10-10 गांवों के बीच एक आयुर्वेदिक और 20-20 गांवों के बीच में एक पब्लिक हेल्थ सेन्टर खुलवा दें । वहां पर बरवासागर में एक ऐसा इलाका है उसमें कम से कम 40-50 गांवों के बीच में एक स्त्रियों का नर्सिंग होम अस्पताल खुलवाया जाय जिससे वहां की स्त्रियां बेमौत न मारी जायं । इसी प्रकार से जो वहां के हर इन्टीरियर रक्शा बघेरा ग्रामीण क्षेत्र है उसकी देखभाल की जाय । मेरी यह भी प्रार्थना है कि मेडिकल कालेजो में, जो अच्छा काम करते हैं उनको तरक्की मिलनी चाहिये । आपने लेडी डाक्टर संतोष सक्सेना का नाम मैडीसन में रीडर के बारे में जो सोचा है, वह अच्छा काम किया है । मुझे आशा है हमारे मंत्री जी और अच्छे काम करते जायेंगे ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

जब माननीय मंत्री जी अपना भाषण दे लेंगे तो आप यदि चाहें स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं अब बहुत कम समय है । 25 मिनट शेष हैं । माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण देने के लिये आधा घंटा मांगा है । यदि मंत्री जी अपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर दें तो मैं आप लोगों को बोलने की इजाजत दे सकता हूं । मैंने उनसे पुछवाया था उन्होंने कहा है कि वे आधा घंटे का समय लेगें ?

*डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव रखते हुये मैंने बातें रखीं, कमोबेश विपक्ष के और इधर के सभी माननीय सदस्यों ने मेरी बात से सहमति प्रकट की है लेकिन औपचारिकता के नाते जो अनुदानों की मांग रखी गयी है, उनका समर्थन किया है । चाहे वह ग्रामीण स्वास्थ्य की योजना की बात हो सभी लोगों ने कहा है कि यह एक सफेद हाथी है । जहां तक प्राइवेट प्रैक्टिस की बात है जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिये, वे उनको अवश्य दी जानी चाहिये । यदि ऐसा नहीं होगा तो साधारण आदमियों को इसका लाभ नहीं होने वाला है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे माननीय सदस्यों ने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक छात्रों की समस्या पर प्रकाश डाला है । एक वर्ष से ज्यादा हो गया है उनके आन्दोलन को, कुछ वायदे भी किये हैं सरकार ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन वायदों को अमली जामा पहनाना चाहिये । ताकि उनका संघर्ष शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाय ।

एक हजार डाक्टरों को लोक सेवा आयोग द्वारा एप्रूवल न मिलने की भी एक गम्भीर समस्या है, सरकार को उसको भी सुलझाना चाहिये। दवाओं के बारे में भी माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि की व्यवस्था की जाय ।

डाक्टरों के स्थानान्तरण के बारे में भी खास तौर से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव रखे हैं कि समान नीति का पालन किया जाय । एक निश्चित अवधि के बाद ही उनका स्थानातरण किया जाय ।

(श्रीमती रामरति देवी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें ।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आपने एक भी महिला को बोलने का अवसर नहीं दिया है ।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर और कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप इस प्रकार से बीच में न खड़े हुआ करें । हमें मालूम है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, स्थानान्तरण के विषय में माननीय सदस्यों ने, सभी ने अपनी राय प्रकट की कि समान नीति के आधार पर जो 5 वर्ष से ऐसे किसी विशेष स्थान पर रह चुके हैं उनको हटाया जाय, उसमें भेद-भाव न रखा जाय । गतवर्ष का सभी को पता है जुलाई, अगस्त, सितम्बर तक सैकड़ों डाक्टर डायरेक्टोरेट और सेक्रेटेरियट के चक्कर लगाते रहे, बड़ा असंतोष रहा उनमें बड़ी कुन्ठा रही और उनके यहां रहने की वजह से जहां वे पोस्टेड थे वहां की जनता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा । जो मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव में सुझाव रखे हैं, माननीय सदस्यों ने इधर के और उधर के दोनों ने उनका समर्थन किया है--परोक्ष और अपरोक्ष रूप से । मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि मेरे कटौती के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया जाय ।

(श्री माधव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माधव जी, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ?

केवल सुझाव दे सकते हैं ।

*श्री माधव (जिला एटा)--

अधिष्ठाता जी, मैं मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक स्वीडन ने एक्सरे मशीन तैयार की है कसर को स्पाट आउट करती है । 6 लाख रुपये की है । मेडिकल कालेज में इसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव--]

एक्सपर्ट डाक्टर भी हैं और हिन्दुस्तान में वह मशीन कहीं नहीं है । उस मशीन को माननीय मंत्री जी मेडिकल कालेज, लखनऊ को जरूर खरीदवा दें ।

दूसरा यह है कि मैंने आयुर्वेद के एक्सपेंशन के लिये कुछ प्रयास किया था । मंत्री जी का उसकी तरक्की पर बहुत ध्यान है । तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहांगीराबाद (बुलन्दशहर) की तरफ से 5 लाख रुपया और 80 बीघा जमीन आयुर्वेद के कालेज को देने के लिये लोग तैयार हैं । कृपया उस पर भी मंत्री जी गौर करें और उसको प्राथमिकता देकर उस कार्य को प्रारम्भ करायें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी के बोलने के बाद समय होगा तो एक एक सेकेंड में सुझाव दे दीजियेगा ।

श्री कल्याण सिंह--

अधिष्ठाता जी, मुझे पता लगे कि कितना समय है तो उसी हिसाब से अपनी बात रख दूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कम से कम समय में प्रभावशाली ढंग से जो बात कह सकें, वह कह डालें । 3 बजे अनुदानों पर मत लेना है । 20 मिनट शेष हैं ।

श्री कल्याण सिंह--

अधिष्ठाता जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं । मैं संक्षेप में कुछ बात रखने का प्रयास करूंगा । वर्तमान शासन की नीति है 'गांव की ओर चलो' और विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया है कि जो निर्धन हैं, उजड़े हैं, जिनके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, साधन भी नहीं है ऐसे लोगों को चिकित्सा की सेवायें उपलब्ध करायी जायं । आप देखेंगे कि 1976-77 के अन्दर जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों पर 42 प्रतिशत खर्च किया जाता था चिकित्सा के ऊपर, वहां हमने उसको बढ़ा करके 1977-78 में गत वर्ष 46 प्रतिशत कर दिया और 1978-79 में उसको 54.6 प्रतिशत करने का प्राविधान है । इसी प्रकार से जो सेन्ट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स थीं उनमें 1976-77 में 77 प्रतिशत की व्यवस्था थी, उसको हमने बढ़ाकर 1977-78 में 84.3 प्रतिशत कर दिया और इस वर्ष का हमारा प्रोपोजल 88 प्रतिशत का है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ।

मान्यवर, इसी प्रकार जो हमारी बहुधंधी योजनायें चल रही हैं 7 जिलों में, इस वर्ष हम 9 जिले और लेने वाले हैं, आगामी 1981 तक पूरे प्रदेश को सैंचुरेटेड कर देंगे । जिनमें कि मल्टी परपज स्कीम चालू होंगी और उसके बाद एक कार्यकर्ता का क्षेत्रफल भी कम हो जायगा और जनसंख्या भी कम हो जायगी । उसको विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अमुक क्षेत्रफल में अमुक जनसंख्या में कार्य करेगा । वह मल्टी परपज वर्कर कहलायेगा । हमारी योजना है कि 1981 तक हम प्रत्येक 10 हजार के ऊपर एक महिला कार्यकर्त्री की नियुक्ति करेंगे और उसका उद्देश्य तो यह है कि 8 हजार के ऊपर एक पुरुष कार्यकर्ता हमारा तैनात किया जा सके ।

इसी प्रकार मान्यवर, जो सी0 एच0 डब्ल्यू0 की स्कीम पर चर्चा हुई । पहले फेज में 3,682 की, दूसरे फेज में 3,784 की ट्रेनिंग हो चुकी है और तीसरे फेज में 4,000 की ट्रेनिंग की योजना है । इसी प्रकार से दाई प्रशिक्षण की बात है । 1977-78 में 11,000 दाइयों को प्रशिक्षित किया गया । 1978-79 में 20,000 दाइयों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रपोजल है । हमारा लक्ष्य यह है कि प्रदेश में निकट भविष्य में एक गांव

में एक ट्रेंड दाई रहे। एक भी गांव में अनट्रेंड दाई न रहें। मैं तो कहूंगा कि ग्रामीण सुविधा एवं रक्षा की दृष्टि से यह मल्टीपरपज स्कीम, सी0 एच0 डब्ल्यू0 और दाई प्रशिक्षण एक प्रकार से त्रिवेणी का काम करेगी। हमारे देहातों के अन्दर रोगियों के रोग आसानी से दूर हो सकेंगे। 1978–79 के लिए 50 मुख्य ग्रामीण कल्याण भवन का प्रोपोजल है। 30 पी0 एच0 सी0 पर ऐसे आपरेशन थियेटर बनाने का प्राविधान है, जहां पर 10 हजार की लागत में आपरेशन थियेटर का भवन बन सकेगा। अभी तक 43 चल रहे हैं। हम 15 सेन्टर ए0 एन0 एम0 एस0 की ट्रेनिंग के खोलने जा रहे हैं। इस समय 43 हैं। आज उपकेन्द्र 7,310 ह और 1978–79 के अन्दर 287 खोलने जा रहे हैं।

माननीय कृष्ण वीर सिंह कौशल ने कुछ बातों की ओर मेरा ध्यान दिलाया। जहां तक अस्पतालों में गंदगी का प्रश्न है, अब तक लाटरी फण्ड के 65 लाख रुपए को जिसकी बहुत पहुंच हुआ करती थी, 4–6 जगहों के लोग ले जाया करते थे, यह पहला अवसर है कि 56 जिले में इस 65 लाख रुपए का वितरण कर दिया गया ह। कहीं पर सड़क नहीं है कहीं खड़ंजे नहीं, कहीं पर गंदगी आदि है इन सब कमियों को दूर करने का हमारा पूरा–पूरा प्रयास है। इस प्रकार से जहां गाज पट्टी की बात कह रहे थे माननीय सदस्य, वर्तमान शासन ने यहां फैसला किया है कि जो भी हमारे पास सीमित साधन हैं, हम यह मान कर चलते हैं कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की निःशुल्क चिकित्सा हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, विश्व में कोई भी नहीं कर सकता, किसी न किसी रूप में उससे पैसा लिया जाता है। आज हमारा जैसा जो सीमित संशोधन है, उनके बंटवारे का फैसला लेना है। हमने विभाग को आदेश दिया है कि उन औषधियों का वितरण ऊपर से नीचे नहीं होगा, बल्कि नीचे से ऊपर होगा। गरीबों को पहले दिया जायगा। अमीर आदमी जो हैं, वह तो जिस समय तिजोरी के अन्दर चाभी डालेगा, वह सब सुख–सुविधा प्राप्त कर सकेगा। गरीबों को निःशुल्क सुविधा कैसे प्रदान की जाय, इसके लिए मैं तो कहूंगा कि सम्पन्न लोग स्वेच्छा से यह कहें कि मैं अस्पताल में एक भी टैब्लेट, एक भी इंच गाज पट्टी नहीं लेंगे, मैं समझता हूं कि उनकी ओर से गरीबों के लिए योगदान होगा। इस प्रकार से हम पी0 एच0 सी0 पर, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल पर औषधियों का वितरण कराने का प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, हम जानते हैं कि औषधियों के लिए पैसा जितना होना चाहिए था उतना पैसा आज बजट में नहीं प्राविधान किया जा सका है, परन्तु फिर भी मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। वर्तमान शासन इस ओर भी सक्रिय है, सजग है। 1974–75 में जहां पर आपका 30 वर्षों का शासन चल रहा था 1974–75 में दवाओं के ऊपर 3.77 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 1975–76 में यह 5.8 करोड़ रुपए हुआ। 1976–77 में 7.34 करोड़ रुपए हुआ। 1977–78 में यह बढ़कर 10.67 करोड़ रुपए हुआ है और इस 1978–79 में यह धनराशि 11.48 करोड़ रुपए कर दी गई है।

मान्यवर, इसी प्रकार से जो बहुत से डाक्टर समय से चिकित्सालय नहीं पहुंचते थे। अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि चिकित्सक दिन में 4 बार अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में हस्ताक्षर करेंगे और टाइम भी लिखेंगे। प्रातः काल पहुंचेंगे तो हस्ताक्षर और टाइम, फिर जायेंगे तो फिर हस्ताक्षर और टाइम, सायंकाल अस्पताल जायेंगे तो हस्ताक्षर और टाइम डालेंगे अस्पताल छोड़ते समय भी टाइम डालेंगे। इससे मनोवैज्ञानिक रीति से उनके समय पर अस्पताल पहुंचने की दिशा में सुधार आयेगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न आया था। जो माननीय मिश्रा जी ने आज नहीं बल्कि पहले कहा था। मैं कहे दे रहा हूं कि वह यह था कि पिछले बजट सत्र में प्रदेश के अन्दर यूनिवर्सिटी आफ मेडिकल

[श्रीकल्याण सिंह—]

साइन्सेज की बात कही थी उसका क्या हुआ ? पिछले सत्र में कहा था कि हम एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे तो इसका क्या हुआ ? इससे तो आप सहमत होंगे कि यह प्रोजेक्ट्स बड़े है यह स्कीम बड़ी हैं । परन्तु सदन की जानकारी के लिए इतना अवश्य बताए दे रहा हूं कि भले ही वित्तीय कठिनाइयां हैं परन्तु यह दोनों प्रोजेक्ट्स हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होने पायेंगे । एक समिति बनी है वह हमारे लिए डिटेल्स वर्क आउट करके देगी कि किस प्रकार से इस इंस्टीट्यूट की रूप-रेखा होनी चाहिए । हमने कहा है कि वह समिति रिपोर्ट जल्दी दे । हम शासन के स्तर पर अनावश्यक विलम्ब नहीं करना चाहते हैं । इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स का प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन है । मैं कहना चाहता हूं कि वह पत्रावली बहुत आगे जा चुकी है । स्थिति यह है कि उसके निर्णय में अधिक समय नहीं लगेगा ।

मान्यवर, हम जानते हैं कि शैय्याओं की कमी है । 1978-79 के बजट में पांच सौ से अधिक अतिरिक्त शैय्याओं की व्यवस्था करने जा रहे हैं । मान्यवर, जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं उस पर भी शासन निश्चित रूप से विचार करेगा । मैं दो बातें और कहना चाहता हूं । यहां पर कहा गया कि जो लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत से लोग रह गए हैं जिनकी सेवायें 10-10 साल की हो गई हैं उनके नाम सूची में नीचे आ गए हैं और कम सेवा वाले वरिष्ठ हो गए हैं । मैंने उस सूची का अवलोकन किया है । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न विचाराधीन है और इसी आने वाली 20 तारीख को मैंने मुख्य सचिव से कहा है कि वह स्वयं बैठें, मेडिकल सचिव बैठें, कार्मिक विभाग के सचिव बैठें मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी भी समय निकाल कर बैठें । मैं स्वयं उसमें बैठूंगा । अगर कोई नीति विषयक मामला होगा तो कोई ऐसा फैसला होगा ताकि उनके साथ हकतलफी न हो । इसी आने वाली 24 तारीख को नियम 51 के अन्तर्गत इसी सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी मेरी ओर से आने वाला है । तो अब कोई बहुत लम्बा समय इसमें नहीं रह गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप संक्षिप्त करें । समय बहुत कम है ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, भविष्य के लिए व्यवस्था कर दी है कि इस प्रकार की जब नियुक्तियां की जायं तो लोक सेवा आयोग को नाम प्रतिवर्ष भेजे जाने चाहिए । यह जो कुछ भी हुआ है, केवल इसलिए कि बीच में लोक सेवा आयोग को समय से अभियाचन के सम्बन्ध में नाम नहीं भेजे जा सके हैं । 1973 के पश्चात् लोक सेवा आयोग ने कोई बैठक नहीं की । इस लिए यह सारा घपला हो गया है किन्तु भविष्य में न होने पाए इसके लिए हमारी सारी योजनायें चल रही हैं ।

मान्यवर, एक बात प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में कहना चाहता हूं । प्रसन्नता मुझे इसलिए है कि सदन के किसी माननीय सदस्य ने सिद्धान्त: इस प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी का विरोध नहीं किया है । मैं इसके लिए सभी का आभारी हूं । मान्यवर, 1945-46 में खेर कमेटी बनी । उसने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दें । 1961 में मुदोलियर कमेटी ने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दें । 1965 में उत्तर प्रदेश वेतन अभीनवीकरण समिति ने कहा इस प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द किया जाना चाहिए जनहित में । मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया का 24 मार्च, 1976 का रिजोलूशन है जिसमें स्पष्ट कहा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की जानी चाहिए । मेडिकल हेल्थ काउन्सिल आफ इंडिया की दिनांक 29 और 31 जनवरी, 1978 की जो बैठकें हुई थी, कान्फेरेन्स हुई दिल्ली में, जिसमें भारत वर्ष से स्वास्थ्य मन्त्री, निदेशक और स्वास्थ्य प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने एक बड़ा फोरम बनाकर सब ने एक मत से प्रस्ताव

पारित किया कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश शासन ने उसको बन्द कर दिया। जहां तक इस बन्दी से कोई नई कठिनाई उत्पन्न होगी शासन उस पर खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार है। प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करके मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी रोगी को असुविधा हो। इससे मेडिकल कालेज का स्तर ऊंचा होगा और रीडर्स तथा डाक्टर्स शिक्षा और चिकित्सा में अपना पूरा–पूरा ध्यान दे सकेंगे। वह रोगियों की पूरी–पूरी देख–रेख कर सकेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि रोगियों को इससे असुविधा हो। इसलिए यह विचाराधीन है कि इसको कैसे इमर्जेन्सी सर्विसेज और एम्बूलेन्स सर्विसेज को स्ट्रेन्गथेन करें। टेलीफोन की बात भी विचाराधीन है। इसके लिए शासन विचार करेगा। इसमें जिद का सवाल नहीं है।

मान्यवर, हाई कोर्ट में इस बार मामला है इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। 1973 में भी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द हुई थी किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर चालू कर दिया था। ऐसा एक सज्जन ने मुझसे पूछा और कहा कि इसमें अब आपका क्या मत है? तो मैंने कहा कि इसमें सरकार का निर्णय अपरिवर्तनीय है, दृढ़ है इसमें झुकने का प्रश्न नहीं है। इसमें अधिकांश अपने प्रदेश के डाक्टर्स का यही मत है। उन्होंने इसका स्वागत किया है। पी0 एम0 एच0 एस0 एसोशिएशन ने प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के पक्ष में एक रिजोलूशन भी पास किया है। यह समस्या केवल मेडिकल कालेज के थोड़े लोगों की है। वह यदि चेयर से बाहर निकल जाय तो ऐसी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पायेंगे। वह केवल चेयर प्रैक्टिस है। इस बन्दी के विरोध में यदि किसी ने त्यागपत्र दे दिया तो, मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले प्रत्येक बन्धु के परिवार का एक सदस्य हूं, मैं उसके मार्ग में असुविधा नहीं बनूंगा और त्याग–पत्र की स्वीकृति और उसके स्थान पर पोस्टिंग के आदेश एक ही पत्रावली पर एक ही दिन में कर दिया जायेगा ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। इस प्रकार से हम प्रयास यह कर रहे हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य, चिकित्सा परिवार–कल्याण और दूसरे कार्य क्रम ठीक प्रकार से चलें और ग्रामीण क्षेत्र में सुविधायें अधिक से अधिक पहुंचे।

मान्यवर, परिवार कल्याण–कार्यक्रम के बारे में कहा गया कि कैसे लक्ष्य पूरा करेंगे तो ठीक है कि लक्ष्य शब्द ऐसा हो गया है कि कहते कहते इस लक्ष्य के कारण इस राष्ट्रीय महत्व को जितनी क्षति पहुंची है। उस क्षति को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। हां, आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जो वातावरण है उसमें जगह–जगह पर जो गोष्ठियों का आयोजन हुआ और उनमें विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियों ने जो विचार रखे उनमें किसी से सुनने को नहीं मिला कि उन्होंने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का विरोध किया हो। बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या हमारी ही नहीं विश्व की है। हम इस परिवार कल्याण के कार्यक्रम की स्वेच्छा से, प्रशिक्षण के आधार पर, प्रचार और प्रसार के आधार पर चलाना चाहते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लग जाय लेकिन हमें आशा है कि छोटे परिवार के कंसेन्ट को लोग अपनायें और स्वेच्छा से अपनायेंगे। जब कि हमने परिवार कल्याण–कार्यक्रम को अपनाया है तो उसके मूल धुरी के रूप में मातृ एवं शिशु की देखभाल की भी व्यवस्था करनी है। जब तक हम डेथ रेट को कम न कर सकें तो लोगों को छोटे परिवार के प्रति विश्वास दिलाने में कठिनाई होगी इसलिये इस ओर भी हमारा ध्यान है कि जो भी दो या तीन बच्चे हों वह स्वस्थ और दीर्घायु रहें। इस दृष्टि से हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है। प्रसूति केन्द्र खोले जा रहे हैं जिससे कि डेथ रेट कम हो सके। अभी तो यह है कि एक हजार में 164 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी दूसरी वर्षगांठ नहीं देख पाते। इसलिये छोटा परिवार हो और उसमें जो दो या तीन बच्चे हों वह जीवित रहें और स्वस्थ रहें यह हमारा प्रयास है।

[श्री कल्याण सिंह—]

छोटे परिवार का कन्सेप्ट स्वीकार करके व्यक्ति न केवल अपना लाभ करेगा वरन् एक प्रकार से राष्ट्र की भी महती सेवा करेगा। कहने को बहुत था लेकिन समय की कमी है।

एक बात कहने की और इजाजत दें। जहां तक औषधियों का प्रश्न है तो औषधियों के मामले में हम पैसों से प्राणों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। इसीलिये शासन ने निर्णय लिया है कि घटिया फर्मों से औषधियां न खरीदी जायं। डी0 जी0 एस0 एन्ड डी0 के द्वारा जो एप्रूव्ड फर्मस् हैं उनसे ही औषधियां खरीदी जायं। हमारा प्रयास होगा कि स्टैंडर्ड औषधियां ही खरीदी जायं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य डाक्टर कौशल से निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि उनके अनुसार यदि एक रुपया कर दिया जाय तो परिवार कल्याण और चिकित्सा विभाग का इतना बड़ा काम कैसे हो पायेगा ? इसलिये कृपा कर वह इसको वापस ले लें।

डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल—

मैंने जो भी अपने कटौती के प्रस्ताव पर मुद्दे उठाये थे उनका मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया जैसे कि आयोग के बारे में नहीं कहा.....

श्री अधिष्ठाता—

आप अब बैठ जायं। आप वापस नहीं ले रहे हैं अपना कटौती का प्रस्ताव ?

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

हमारे दल से कोई नहीं बोला। दो प्रश्न पूछने की इजाजत दे दें।

श्रीमती रामरति देवी—

मैं एक जानकारी करना चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय नहीं है।

श्रीमती रामरति देवी—

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहती थी कि पिछले सप्ताह लखनऊ में मेमोरियल हाल में महिला कर्मचारी संघ की एक बैठक हुई थी जिसमें लगभग डेढ़ हजार महिला कर्मचारियों ने भाग लिया था। उस मीटिंग में हमारे वित्त मंत्री जी भी उपस्थित रहे हैं। महिला कर्मचारियों की लगभग 15/16 मांगे हैं। अधिष्ठाता महोदय, उस मीटिंग में मैं भी उपस्थित थी। मैंने उनकी मांगों को देखा तो मांगे तो काफी थी लेकिन 2–3 मांगे ऐसी हैं कि जिन पर माननीय मंत्री जी को सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करना चाहिये क्योंकि उनकी मांगे उचित हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपने तो प्रश्न पूछने के लिये कहा था लेकिन भाषण् दे रही हैं।

श्रीमती राम रति देवी—

मान्यवर, ये महिलायें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं। दिन भर इधर–उधर घूमने के बाद शाम को लौटती हैं, तो उनके लिये रहने के लिये मकान इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं है इससे उनको काफी परेशानी होती है तो क्या माननीय मन्त्री जी उनकी इस प्रमुख मांग को पूरा करने की कृपा करेंगे ?

मान्यवर, उनकी दूसरी मांग चपरासी की। उनकी एक मांग थी कि ज्येष्ठता के आधार पर उनकी सूची बनायी जाय। क्या माननीय मंत्री जी उनकी इन मांगों को मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य डिटेल्स मांगों का दे देंगी तो बिचार कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है। माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी से उनके कक्ष में इन मांगों के संबंध में मिल लें।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि होम्योपैथिक छात्रों के संबध में एक समिति बनी थी तो उसमें क्या प्रगति ह ?

दूसरा प्रश्न यह है कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जो बात है कि प्राइवेट प्रैक्टिस न करें, तो उसमें क्या इस सुविधा से अफसरों, मंत्री को बरी किया गया है कि नहीं ? क्या उनके लिये प्राइवेट प्रैक्टिस खुली है ?

मान्यवर, एक प्रश्न और है --क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनता पार्टी और देश के बुजुर्ग नेताओं के लिये (जिनकी कि देश को बड़ी जरुरत है अभी) देश के प्रधान मंत्री जी ने कोई तीसरी दवा इंजाद · · · · ·

श्री अधिष्ठाता--

आपने केवल एक प्रश्न किया था और अब कई प्रश्न करते जा रहे हैं। मैं अब आगे प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मेरे पास समय नहीं था अन्यथा मैंने नोट कर रखा है।

मान्यवर, 27 जुलाई, 1977 की बैठक हुई थी और उसमें विचार विमर्श हुआ था। उसमें जो छात्रों की मांगे थीं, उनमें उनकी महत्वपूर्ण मांगों को शासन ने स्वीकार कर लिया है। अब हो सकता है कि उसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी न हो। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के होम्योपैथी के इतिहास में, जो 1963-64 में स्थापित हुआ, यह पहला अवसर है कि उसके लिये जो अलग से निदेशालय का जो फैसला लिया गया था, उसको स्वीकार कर लिया है और उसके आदेश कर दिये गये हैं।

नम्बर 2--प्रान्तीयकरण का प्रश्न-- मान्यवर, छठीं पंचवर्षीय योजना में प्रान्तीय करण करने की बात थी। इस संबंध में सात सदस्यीय एक समिति बनायी गयी है, जिसने 15 में से 8 जगह निरीक्षण कर लिया है। उसकी रिपोर्ट आने पर प्रान्तीयकरण के बारे में बिचार किया जायेगा।

इसी प्रकार एक मांग थी कि हमारी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल के बजाय इन्टर (बायोलाजी) है। इसको स्वीकार कर लिया गया है और आदेश कर दिये गये हैं।

एक मांग थी कि डबल शिफ्ट चल रही है उसके स्थान पर एक शिफ्ट किया जाय इस एक शिफ्ट की मांग को स्वीकार कर लिया गया है और आदेश जारी कर दिये हैं।

इसी प्रकार से एक मांग थी कि कालेज के अन्दर एक शैय्या पर बहुत से छात्र दाखिल कर देते थे और इसको एक शैय्या पर दो से अधिक न किया जाय। मान्यवर, इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया है और आदेश जारी कर दिये गये हैं।

[श्री कल्याणसिंह]

एक मांग थी कि बोर्ड में बड़ी अनियमिततायें होती हैं। मान्यवर, बोर्ड भंग किया जा चुका है। एक मांग थी कि बोर्ड की अनियमितताओं की जांच की जाय। इसके लिये, मान्यवर एक तीन सदस्य समिति बन गयी है जिसके स्पेशल सेक्रेटरी कनवीनर हैं जांच के लिये। जो मांग थी कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षायें करायी जाय तो होम्योपैथी के बोर्ड के ऐक्ट में संशोधन करना पड़ा, यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन करना पड़ा और उनकी परीक्षाओं का प्रबन्ध कानपुर यूनिवर्सिटी में करने के लिये कर दिया गया है। शोध-संस्थान के लिये उपसमिति बनी हुई है जो अपनी रिपोर्ट देगी और उस पर विचार किया जायगा। इसी प्रकार से होम्योपैथिक कालेजों के अन्दर काम करने वाले जितने भी अध्यापक, प्रोफेसर, प्रिन्सिपल हैं उनकी कोई भी नियमावली नहीं है सन् 1963 से लेकर आज तक। जो समिति प्रान्तीयकरण के लिये सात सदस्यीय बनी हुई है वह उनकी सारी नियमावली तैयार करने के लिये हमें अपनी रिपोर्ट देगी और शासन इस पर शीघ्र विचार करेगा। आज जो आन्दोलन चल रहा है कि सारे मैनेजमेंट को भंग करिये शासन के लिये यह संभव नहीं है। ऐसा वे कह रहे हैं कि हमारे डिप्लोमा को कन्डेन्स कोर्स कराके...

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें।

श्री कल्याण सिंह --

डिग्री दे दी जाय। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है रिपोर्ट पर शासन विचार करेगा। गवर्नमेंट ने होम्योपैथिक छात्रों के लिये हर विकास के लिये वह काम किया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। हमारे सामने जो मसला है वह आपके सहयोग का है। छात्र आन्दोलन कर रहे हैं, परीक्षाएं दो-दो बार स्थगित की गयी हैं। इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर और समय मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और इसके बाद जो झड़ी लग जाएगी उसका क्या होगा? माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के कक्ष में जाकर बात कर लें।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने अभी कहा कि फलां आदमी ने फलां मांग को उसकी व्यवस्था कर दी गई। मेरी मांग यह है अगर वह भी माननीय मंत्री जी मान लें कि फेमिली प्लानिंग के जो कर्मचारी हैं उनको 17 साल से लेकर आज तक न रेगुलर किया और न कनफर्म किया गया। क्या उस बारे में कोई शासन ने निर्णय लिया?

श्री अधिष्ठाता--

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछ लिया। आपने प्रश्न पूछ लिया मंत्री जी से स्पष्ट करा लें। अब मुझे अपना काम करने दें।

(कई सदस्यों के फिर खड़े होने पर शोर)

श्री मुकीमुर्रहमान --

जो हमारा प्रदेश है इसके बारे में पूछना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता--

आप सुनिये। नाराज मत होइये। आप व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हुए। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मंत्री जी से समय ले लीजिए..

श्री मुकीमुर्रहमान--

दस महीने हो गये, लेकिन ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

गुस्सा मत होइए। आप आखिर क्या पूछना चाहते हैं।

श्री मुकीमुर्रहमान--

मैं यह पूछना चाहता हूं कि दस महीने के दौरान के अन्दर जो चीफ मेडिकल आफीसर वहां बरेली में तैनात हैं वायरलेस और टेलीग्राम और मैंने लिखित भी सचिव को दिया था, मंत्री जी को भेजा उन आदिमयों को ड्यूटी पर नहीं लिया गया और न 17, 18 साल से उनको पर्मानेन्ट किया गया। सारे केसेज 17 साल से लटके हुए हैं तो क्या मंत्री जी ने पिछले 10 महीनों के अन्दर इस पर कोई ध्यान दिया ?

श्री कल्याण सिंह--

कदाचित माननीय सदस्य परिवार कल्याण के स्टाफ के सम्बन्ध में कह रहे हैं।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आपने कई माननीय सदस्यों को प्रश्न करने दिये। मेरी भी सुन लीजिये। [××] अगर आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो लोग खड़े होंगे लेकिन बोल नहीं पायेंगे। क्या हर सत्र बजट के लिये ही बुलाया जाता है ? पिछला सत्र भी बजट के लिये था इस बार भी बजट आया है जनता से हम चुन कर आये हैं तो वापस जाकर जनता को क्या जवाब देंगे ? अगर इस तरह से होता रहेगा तो जनता पार्टी का भी पता नहीं चलेगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

यह तो आप पर आरोप है,

श्री अधिष्ठता--

कोई आरोप नहीं है। सामान्य नियम यह है कि जब इस तरह से बोलने के लिये कोई सदस्य खड़ा होता है तो जरूर समय मिलेगा। मैंने माननीय मन्त्री जी को स्पष्टीकरण के लिये बुला लिया है वह जल्दी जवाब दें। जिन माननीय सदस्यों को रोक दिया था मेरा नैतिक दायित्व है कि अब उनको भी अवसर दिया जाय, वह उनको मिलेगा।

श्री कल्याणसिंह--

माननीय सदस्य परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में कह रहे थे। काफी लम्बे अर्से से वह काम कर रहे हैं और उनको स्थायी नहीं किया गया है, यह बात सच है। परिवार कल्याण विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी विभिन्न संवर्ग से आये हैं। उनकी सीनियारिटी फिक्स करने का काम शुरू कर दिया है। सीनियारिटी पहले फिक्स होने पर उनका स्थायीकरण का मामला तय हो जायगा, लिहाजा यह मामला सरकार के विचाराधीन है और सरकार का उस पर पूरा ध्यान है।

नोट--[××] यह अंश श्री अधिष्ठाता की आज्ञानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

असेम्बली हाउस के सामने 7 दिन से कुछ आयुर्वेदिक छात्र अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वे राजनारायण जी की एक चिट्ठी भी लाये हैं और उन्होंने जो आन्दोलन वे कर रहे हैं उसके बारे में लिख कर दिया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है क्या माननीय मंत्री उनसे बातचीत करके समस्या का समाधान करने को तैयार हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि मैं इस विषय पर तीन पृष्ठ का लम्बा वक्तव्य दे चुका हूं। विद्यापीठ के विद्यार्थियों की परीक्षा किसी विधि द्वारा नियमित नहीं है और न उनकी शिक्षा किसी विश्वविद्यालय के माध्यम से चलाई जा रही है। इसलिये हमारे लिये उनकी परीक्षा का कराना किसी तरह से संभव नहीं है, यह मैं पहले भी विस्तार से बतला चुका हूं। मैंने पिछले दिनों 9 तारीख को दिल्ली में श्री राजनारायण जी से इस संबंध में बातचीत की थी। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमारे ऊपर उनकी परीक्षा का बोझ नहीं डाला जा सकता क्योंकि तकनीकी दृष्टि से और विधिक दृष्टि से विद्यापीठ को कोई मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की परिधि में नहीं आती।

इस नाते से उसको करना हमारे लिये सभव नहीं है। मैं 5 दफे बात कर चुका हूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जो फार्मासिस्ट हैं उनकी भी कुछ मांगें थीं, उनको मानने के लिये सरकार ने क्या विचार किया है और उसमें क्या प्रगति है ? कितनी मांगें आप मान चुके हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बाबा राम अधार यादव जी ने अभी कुछ आक्षेप किया था वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय . . . . . (व्यवधान)। (कई सदस्यों के पुनः एक साथ खड़े होने पर) इस तरह तो हर माननीय सदस्य कहेगा कि बड़ा जरूरी सवाल है। इसलिये अब आप कृपया बैठें।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, प्रदेश में फार्मासिस्टों की मांगों के बारे में शासन ने विचार किया है। और उस पर सरकार शीघ्र ही निर्णय लेने जा रही है। वित्त विभाग से भी उस पर बातचीत चल रही है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31--चिकित्सा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31--चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,87,20,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–32–– परिवार कल्याण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,56,00,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14, 75, 26, 600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,29,31,600 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, अनुदान तो पास हो ही गया ।

होम्योपैथी छात्र अपने आन्दोलन की पहली वर्ष गांठ मना रहे हैं उसका उद्घाटन शायद मुख्य मंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी के हाथ से होगा ?

श्री कल्याण सिंह--

आमंत्रण शायद आपको भी होगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब आइटम नम्बर 15 लेते हैं। चूंकि स्वायत्त शासन एवं आवास मंत्री नहीं हैं। मजबूरी है (व्यवधान) आप लोग भी समझ रहे हैं। अतः खाद्य तथा रसद मंत्री जी आप अपना विधेयक प्रस्तुत करें।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978†

खाद्य मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह संशोधन विधेयक बहुत ही साधारण है। जो संशोधन मान्यवर, रियासत साहब ने और माननीय मित्र सेन यादव द्वारा आया है मैं समझता हूं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह इतना अहम प्रश्न नहीं है कि जिसके लिए इतनी लम्बी दौड़ लगाई जाय। यह साधारण सी बात है कि अभी इसमें जो व्यवस्था है उसमें चावल मिलों से लेवी ली जाती है वह लेने का आधार है कि कितना चावल उन्होंने बनाया है। इसमें संशोधन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त हो जाय कि उस मिल की चावल बनाने की क्षमता कितनी है। उस क्षमता के आधार पर लेवी ली जा सके। अभी वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का उद्देश्य नहीं है। पश्चिमी जिलों में 60% और पूर्वी जिलों में 40% जो चावल मिलें चावल बनाती हैं उस हिसाब से लेवी ली जाती है। लेकिन कभी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार उनकी मिलिंग क्षमता के आधार पर लेवी ले सके इतना मात्र इसमें व्यवस्था करना हम चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह मोटी सी बात है जिसे करने से जनता का हित हो यह हम करना चाहते हैं। व्यापारियों की तरफ से कोई गड़बड़ी करना भी संभव नहीं हो सकेगा। यही व्यवस्था हम करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

क्षमता और मिलिंग क्षमता में क्या फर्क है, इसे जरा मंत्री जी स्पष्ट कर दें?

श्री हरिशचन्द्र--

ऐसा है कि 100 टन किसी मिल ने चावल बनाया तो 100 टन पर 60 परसेन्ट या 40 परसेन्ट लेवी ड्यू होगी, लेकिन 1 टन की मिल है, दो टन की मिल है तो उनकी क्षमता जो चावल बनाया है, उससे ज्यादा की भी है। जैसे किसान पर लेवी लगाते थे। तो देखा जाता था कि किसान का कितना क्षेत्र है, कितना बोया है, उसी आधार पर लगाते थे। उसी आधार पर मिल की चावल बनाने की कैपिसिटी कितनी है, उस आधार पर लेवी लगाने की सरकार शक्ति लेना चाहती है। यह हमारा उद्देश्य है, जिसको हमने स्पष्ट किया। मुझे आशा है, जिस रूप में विधेयक पेश है, उसको मानकर माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

---

†13 अप्रैल, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट 'म' छपा है।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, यह विधेयक बहुत छोटा है और उसका आधार भी सही है, लेकिन इसमें अधिकारियों के द्वारा बड़ी गड़बड़ी और घूसखोरी होने की पूरी सम्भावना है। मंत्री जी ने कहा है कि किसानों पर लेवी खेतों–जोतों के आधार पर बंधती है, उसी आधार पर यह किया गया है। लेकिन उनकी जोत का रिकार्ड है, जबकि चावल मिलों पर क्षमता के आधार पर लगाने की जो बात है, तो क्षमता का तो कोई रिकार्ड है नहीं, वह लिखित नहीं है। उसमें देखने की बात यह है कि जो क्षमता है उनको वह सप्लाई होता है या नहीं। अत: यह कैसे हो सकेगा ? इसके अलावा इस कार्य के लिए जब तक जन प्रतिनिधियों की कोई समिति नहीं होगी जो सही सुझाव दे सके। अफसर तो देखेगा कि 500 कुन्तल की क्षमता है तो वह 500 पर लेवी बांध देगा भले ही उसने कूटा 200 कुन्तल ही हो। तो इसको देखने की जरूरत है।

(इस समय 3 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

इसलिए मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे उनके साथ अन्याय न हो। यह जो सुविधा मिलों को मिली है, वह अफसरों पर निर्भर होकर न रह जाए, इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा वह इसको स्पष्ट करें और प्रवर समिति के सिपुर्द करें ;

श्री अध्यक्ष—

यादव जी ने बहुत ही ठीक बात कही, कोई भी ऐसा संशोधन या विधेयक, जिसमें भ्रष्टाचार पनपता दिखाई देता हो, उचित नहीं होगा। इसी बात की सावधानी रखते हुए यह संशोधन पेश किया गया है। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि मिलों की जो क्षमता है, वह निश्चित है, एक बार उसने जितना चावल कूटा है यह निश्चित नहीं है। हो सकता है 100 टन कूटा हो, लेकिन रजिस्टर पर किसी अधिकारी से मिलकर 60 टन ही लिखा हो। किन्तु मिलों की क्षमता को न अधिकारी कमोवेश कर सकता है और न मिलमालिक ही कर सकता है। एक टन–दो टन की जो मिलें हैं, उनकी क्षमता निश्चित है। इसलिए यह संदेह कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, मिथ्या है।

श्री हरिश्चन्द्र—

आज जितना कूटेंगे, उस पर देंगे, उसमें कितना कूटा है यह मिल या मिला कर कमोवेश किया जा सकता है। इसमें भ्रष्टाचार की गुंजायश ज्यादा है। परन्तु मिल की क्षमता पर लेवी आधारित करने से न अधिकारियों और न व्यापारियों के यह हाथ लगेगा, अधिक सत्यता पर लेवी आधारित होगी। इस लिए जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह वापस लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मित्रसेन, आप संशोधन वापस लेते हैं ?

श्री मित्रसेन—

मैं संशोधन वापस नहीं लेता हूं। मैंने जो कहा था कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कोई सुझाव नहीं दिया है। इसलिए मैं संशोधन वापस नहीं लेता।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 5 तक

अधिनियम संख्या 10, सन् 1955 की धारा 2 का संशोधन

2--आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975, जिसे आगे उत्तर प्रदेश संशोधन कहा गया है, द्वारा बढ़ाया गया खण्ड (कक), दिनांक 2 सितम्बर, 1976 से, जो कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1976 के, जिसे आगे केन्द्रीय संशोधन कहा गया है, प्रारम्भ का दिनांक है, निकाल दिया जायगा ।

धारा 3 का संशोधन

3--(1) मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) में, आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1975 के साथ पठित उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (च) निकाल दिया जायगा और केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से निकाल दिया गया समझा जायगा ।

(2) उक्त उपधारा में, केन्द्रीय संशोधन द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (च) में, स्पष्टीकरण-1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण 1-क--चावल के सम्बन्ध में इस खण्ड के अधीन दिये गये आदेश में चावल मिल की कूटन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञप्त मिल वालों द्वारा विक्रय, किया जाने वाला परिमाण नियत किया जा सकेगा और श्रेणी के आधार पर भी ऐसा परिमाण नियत किया जा सकेगा या नियत किये जाने का उपबन्ध किया जा सकेगा ।"

(3) उक्त धारा 3 में, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित उपधारा (3-ख) निकाल दी जायगी और केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से निकाल दी गयी समझी जायगी ।

धारा 6-क और 6-ग का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम में, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6-क और 6-ग के स्थान पर क्रमशः केन्द्रीय संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6-क और 6-ग रख दी जायगी और केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से रखी गयी समझी जायगी ।

निरसन और अपवाद

5--(1) आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 7 सन् 1978) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4 और 5 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) इसे 23 फरवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, जरा सी बात कह दूं । माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि जो माननीय सदन के अन्दर सवा छः एकड़ तक लगान माफी के लिये सारे किसान लड़ते रहे और अलाभकर जोतों पर उस लिमिट तक लगान माफ नहीं किया । लेकिन माननीय मंत्री ने पहले सत्र में व्यापारियों के इन्टरेस्ट में जमीन से जोड़ कर यह उनके हित में काम करा दिया ।

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, मैं इस तरह की आशा माननीय रियासत हुसैन से नहीं कर रहा था जो उलट कर बात बोलेंगे । वह बहुत पुराने सदस्य हैं । मैं उन्हें जानता हूं । वह कल कमरे में, एकान्त में बैठ कर सोचेंगे तो उन्हें पछतावा होगा । जो विधेयक लागू हो रहा है इसमें व्यापारी और अधिकारी गड़बड़ी कर पाते थे, कदापि नहीं कर पायेंगे । सत्यता पर लैबी ली जायगी । प्रतिपक्ष में वह बैठे हैं । कुछ भी कहने का उनका अधिकार है । लेकिन एकान्त में बैठेंगे तो अपने कथन पर उनको पश्चाताप अवश्य होगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजस्व संहिता विधेयक, 1977 को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के निश्चयानुसार जनमत

[श्री शारदा भक्त सिंह--]

संग्रह के लिये परिचालित किया गया था और जिस पर प्राप्त मतों का सारांश दिनांक 18 मार्च, 1978 को सदन के पटल पर रखा गया है, को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के निश्चयानुसार जनमत संग्रह के लिये परिचालित किया गया था और जिस पर प्राप्त मतों का सारांश दिनांक 18 मार्च, 1978 को सदन के पटल पर रखा गया है, को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 की प्रवर समिति में कार्य करने के लिये निम्नलिखित सदस्य रखे जायं :--

1--श्री अवधेश कुमार सिंह, गोरखपुर
2--श्री हरी सिंह, मेरठ
3--श्री उदित नारायण शर्मा, हमीरपुर
4--श्री कल्पनाथ सिंह, गोरखपुर
5--श्री हिम्मत सिंह, बुलन्दशहर
6--श्री देव राम, गाजीपुर
7--श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री, देहरादून
8--श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव, आजमगढ़
9--श्री प्रभु दयाल यादव, कानपुर
10--श्री राज बली तिवारी, वाराणसी
11--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सीतापुर
12--श्री देव बहादुर सिंह, नैनीताल
13--श्री गोविन्द सिंह नेगी, टिहरी-गढ़वाल
14--श्री सोहनवीर सिंह तोमर, गाजियाबाद
15--श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल), हरदोई
16--श्री राम रतन सिंह, सीतापुर
17--श्री खान मोहम्मद आतिफ खां, बहराइच
18--श्री राजनाथ सिंह, मिर्जापुर ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के लिये जिन 18 नामों को माननीय राजस्व मंत्री ने प्रस्तावित किया है, क्या सदन इससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

राजस्व मंत्री जी इस समिति के पदेन सभापति तथा सदस्य होंगे ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978

आवास उप-मंत्री (श्री भगौती सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, इस अधिनियम की धारा 59 की उपधारा 13 के अधीन विकास प्राधिकरण को नगर महापालिकाओं से सुधार की योजना दी गयी थी, लेकिन भूमि अर्जन में मान्यवर, अनेकों मुकदमेबाजी होने के कारण इसमें काफी समय लगा जिसके कारण कानपुर और वाराणसी की सुधार योजना थी उनकी जो कार्यवाही थी उसे एक निश्चित समय के अन्तर्गत 31 दिसम्बर तक पूरी हो जानी थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी । मान्यवर, इन योजनाओं में तमाम पैसा लग चुका है । इसलिये आवश्यक है कि इन सुधार योजनाओं को पूरा करने के लिये इस अधिनियम की धारा 59 की उपधारा 14 को संशोधित करके उपर्युक्त समय को 2 वर्ष बढ़ा देना आवश्यक हो गया है । अनुरोध है कि माननीय सदस्य इसको पारित करेंगे ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, जो मंत्री जी ने रखा है कि 2 वर्ष का समय बढ़ा दिया जाये, तो वह जरूरी है जिससे कानपुर और वाराणसी में सुधार हो सके। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें कि यह समय के अन्तर्गत काम क्यों नहीं हो सका ? यह इसीलिये नहीं हो सका क्योंकि जो बहुत से अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं उनके निजी और व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से नहीं हो सका ।

माननीय मंत्री जी आज सदन से 2 साल का समय और ले रहे हैं, इस संशोधन विधेयक के द्वारा, पर कहीं ऐसी नौबत न आ जाय कि उन अधिकारियों के द्वारा जिनकी सुस्ती से सारी कारगुजारी हुई है, 2 साल के बाद भी समय न लेना पड़े । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान रखेंगे ?

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, माननीय रियासत साहब की महत्वपूर्ण राय है और मैं उसका आदर करता हूं उन्होंने जो शंका व्यक्त की है मैं उसको जरूर देखूंगा और यदि कहीं ऐसी गल्ती पायी गयी तो दोषी अधिकारियों को दंडित किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खंड 2 व 3

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 59 का संशोधन

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 में उपधारा 8 (14) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977" के स्थानपर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1979" रख दिये जायेंगे ।

निरसन

1–(3)–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 22, 1977

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम 30 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हो गया था ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरप्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

आज जो सूचनायें मिली हैं, उनमें से एक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री रवीन्द्र सिंह की है और दूसरी सूचना श्री हरिकेवल प्रसाद की है । वह भी इसमें शामिल करते हुये स्वीकृत की है । वह दिनांक 15 अप्रैल, 1978 को फतेहपुर में पुलिस द्वारा छात्रों पर गोली चलाये जाने से 7 छात्रों का गम्भीर रूप से घायल होने के विषय पर है । इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी आप कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, 3–4 दिन बाद किसी तारीख को दे दूंगा ।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में श्रमिक आन्दोलन में हुए गोली कांड के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के वक्तव्य पर चर्चा

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कर्मचारियों ने पन्तनगर कर्मचारी संगठन के नाम से अक्तूबर, 1977 में एक संस्था को ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन कराया । सचिव, पन्तनगर कर्मचारी संगठन द्वारा कुलपति को सम्बोधित एक नोटिस संख्या टी0यू0/21–पी0, दिनांक 27, 28 नवम्बर, 1977 दिया गया जिसमें दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के प्रातः 6 बजे से हड़ताल करने की सचना दी गयी थी, किन्तु विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं पन्तनगर कर्मचारी संगठन के बीच समझौता होने के फलस्वरूप हड़ताल का मूल नोटिस वापस ले लिया गया । इसके पश्चात् संगठन द्वारा बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये दिनांक 22, 23 दिसम्बर, 1977 को हड़ताल की गयी 25 जनवरी, 1978 को पन्तनगर के कर्मचारियों/श्रमिकों की मांगों पर कर्मचारी संगठन एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श के उपरान्त लिये गये निर्णयों के आधार पर समझौता हुआ ।

विश्वविद्यालय के कुलपति ने शासन से यह अनुरोध किया था कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसके अन्तर्गत भविष्य में संभावित हड़ताल को जनहित में निषिद्ध कर दिया जाये तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवाओं को आवश्यक सेवायें घोषित कर दिया जाये । इस पर अधिसूचना संख्या 435/12–8–400(146)177–दिनांक 27 जनवरी, 1978 द्वारा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के अधीन किसी सेवा में हड़ताल को तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध कर दिया गया ।

इसके पश्चात् बिना कोई पूर्व नोटिस के 2, 3 एवं 4 फरवरी, 1978 को पन्तनगर कर्मचारी संगठन द्वारा हड़ताल की गयी और पुलिस द्वारा आवश्यक सेवायें घोषित करने की अधिसूचना के उल्लंघन में लगभग 1000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया किन्तु 4 फरवरी, 1978 को समझौता होने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई और गिरफ्तार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश यादव—]
व्यक्तियों को रिहा करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई तथा समस्त गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछ ही दिनों के अन्दर छोड़ दिया गया।

विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुसार जिला प्रशासन के अधिकारियों की मध्यस्थता से दो समझौते होने के बावजूद स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ और उनका विचार है कि इसमें कुछ समाज विरोधी एवं राजनैतिक तत्वों का हाथ है जिसके फलस्वरूप छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। दिनांक 1 मार्च, 1978 को कृषि मन्त्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, कुलपति, गृह सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में उठाए गए बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय में वर्तमान कठिनाइयों और समस्याओं का अध्ययन करने और इस बात का अनुमान लगाने कि शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और विश्वविद्यालय को फिर से खोलने के लिए क्या कदम उठाए जायें, दिनांक 2 मार्च, 1978 को कृषि उत्पादन आयुक्त, गृह सचिव और कृषि सचिव, पन्तनगर विश्वविद्यालय गए। विश्वविद्यालय पहुंच कर पहले विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श किया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के श्रमिकों के मुख्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उसके उपरान्त फिर कुलपति तथा जिले के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। इस भ्रमण एवं अध्ययन के उपरान्त तात्कालिक आधार पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय लिए गए।

तत्पश्चात् पन्तनगर कर्मचारी संगठन ने दिनांक 26 मार्च, 1978 को एक मांग-पत्र प्रस्तुत कर यह नोटिस दिया कि यदि दिनांक 11 अप्रैल, 1978 तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गयीं तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल दिनांक 11 अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ कर देंगे। इस मांग-पत्र में 14 मांगें दी हुई थीं। उन मांगों पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार होकर हर मांग पर निर्णय लिया गया। लिए गए निर्णयों की सूचना पत्र संख्या वी0 सी0।/आर/78, दिनांक 3 अप्रल, 1978 द्वारा सभी श्रमिकों को भी दी गई। फिर भी सहायक श्रमायुक्त के साथ में कुलपति ने शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से श्रमिकों से वार्ता जारी रखी। दिनांक 7 अप्रैल, 1978 को कर्मचारियों के नेतागण श्री रामदत्त जोशी, सदस्य, विधान सभा के साथ आए। उक्त अवसर पर यह कहा गया कि श्री रामदत्त जोशी जो भी निर्णय कर देंगे वह शासन को मान्य होगा। श्री जोशी ने उन नेताओं से कहा कि 11 अप्रैल से होने वाली हड़ताल दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाय और वे 16 अप्रैल को पन्तनगर पहुंच कर दोनों पक्षों से बात कर समस्या का हल निकालेंगे। कर्मचारियों के नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया था। किन्तु इसके बावजूद 11 तारीख से हड़ताल कर दी गई।

दिनांक 13 अप्रैल को लगभग 10-30 बजे पूर्वान्ह में 400-500 आदमियों का एक जलूस 'एफ' ब्लाक से लाठी, बल्लम, कांते, फर्से व ईंट-पत्थर लिए हुए छात्रावास नं0 456, झा कालोनी के सामने आया और वहां पहले से जमा 500-600 मजदूरों से मिलकर उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुए ऐडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। होस्टल नं0 456 के बराबर वाले होस्टल की छतों पर 700-800 छात्र जमा हो गए और हड़ताली मजदूरों के समर्थन में उत्तेजनात्मक नारे लगाने लगे। इससे मजदूरों में और उत्तेजना हो गई और शान्ति और व्यवस्था भंग होने की पूर्ण सम्भावना उत्पन्न हो गई। इस पर भीड़ को लाउडस्पीकर से तितर-बितर हो जाने के लिए चेतावनी दी गई लेकिन उस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पुलिस पार्टी जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से नगला तक व्यवस्था के लिए नियुक्त थी उसके ऊपर ईंट-पत्थर फेंके जाने लगे। मजिस्ट्रेट ने टियर गैस प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करने का आदेश दिया। एक-एक करके आठ टियर गैस फायर किए गये लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और पथराव और भी बढ़ गया। स्थिति बिगड़ते

देखकर मजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया लेकिन तब भी भीड़ तितर बितर न हुई बल्कि भीड़ और अधिक आक्रामक हो गई। अन्त में कोई और उपाय न देखते हुए विवश होकर मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस ने गोली चलाई। कुल 164 राउन्ड गोलियां चलीं जिसके फलस्वरूप 6 व्यक्ति उसी स्थान पर मर गए और 31 घायल हुए। बाद में 4 व्यक्ति अस्पताल में मर गए। इस प्रकार इस स्थान पर गोली चलाने से कुल 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। भीड़ के पथराव से 14 पुलिस जनों को चोटें आयीं।

"मटकोट ब्लाक" जो विश्वविद्यालय से लगभग 12 किलोमीटर पर स्थित है में उसी दिन श्रमिकों/कर्मचारियों के एक अवैध समूह (1,000) द्वारा जो लाठी, बल्लम, भाले, हंसिया तथा लोहे की राड से लैस था, द्वारा डिप्टी डायरेक्टर फार्म एवं एक अन्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी को चोटें पहुंचाई गयीं तथा विश्वविद्यालय बस एवं पी0 ए0 सी0 की बस को क्षति पहुंचाई और 21 पुलिस के सदस्यों को घायल किया। उक्त भीड़ के उग्र रूप धारण करने पर तथा उनके द्वारा पथराव करने पर यहां भी पुलिस ने अश्रु गैस का प्रयोग एव लाठी चार्ज किया। किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। परिणामस्वरूप एस0 डी0 एम0, रुद्रपुर के आदेश से गोली चलाई गई जिसके फलस्वरूप दो प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई तथा 6 घायल हुए। हड़ताली श्रमिकों द्वारा फसल में आग लगाने की घटना भी जानकारी में आई।

दिनांक 13 अप्रैल, 1978 को छात्रावास नं0 456 के समीप हुए गोली कांड से छात्र उत्तेजित हो गए। दिनांक 14 अप्रैल को सर्वश्री राज नारायण शर्मा, सरदार मनोहर सिंह, एम0 एच0 हाशिम तथा आर0 के0 सक्सेना, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, ने 'नेशनल गेस्ट हाउस' के सामने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल, न्याय की मांग करते हुए, प्रारम्भ की है। दिनांक 14 अप्रैल को विद्यार्थियों ने लगभग 1,500 का एक जलूस निकाला जिसमें उन्होंने उप कुलपति का पुतला जलाया था तथा उनके खिलाफ नारे बाजी की और उन्होंने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, नैनीताल का घेराव भी किया प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में अब तक दो मुकदमें भी लाल कुआं थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा 147, 148, 149, 332, 307/128 के अन्तर्गत कायम हो चुके हैं। प्रथम मुकदमा श्री जवाहर लाल तथा अन्य और दूसरा मुकदमा श्री ए0 सी0 कुलश्रेष्ठ तथा अन्य के विरुद्ध है।

मैंने गृह सचिव के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और हड़ताली श्रमिकों तथा कर्मचारियों की बात भी सुनी। मैंने विद्यार्थियों, श्रमिकों तथा कर्मचारियों को सम्बोधित किया तथा उन से यह अनुरोध किया कि वे शान्ति कायम रखें।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 33 व्यक्ति घायल हैं। इसके अतिरिक्त 7 व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद मुक्त कर दिया गया। इस घटना के सम्बन्ध में 34 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।

मैंने यह भी आदेश दिए हैं कि प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच हजार तथा घायल व्यक्ति के परिवार को ढाई हजार रुपए तक दिए जायं। घटना की पूरी विस्तार में जांच करने के लिए मैंने न्यायिक जांच का भी आदेश दे दिया है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन् तरीका अपना लिया जाय। केवल प्रश्नों से होगा कि लोग अपनी-अपनी बात पहले कह दें .....

श्री अध्यक्ष--

आप लोग सब बैठें।

न्यायिक जांच के आदेश भी हो चुके हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस परिधि के अन्दर ही अपने विचार रखें या प्रश्न करें, ताकि जांच पर

[श्री अध्यक्ष]
इसका प्रभाव न पड़े। मैं सीमित नहीं करना चाहता हूं, केवल स्पष्टीकरण पर जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं, वह संक्षेप के अन्दर इस सम्बन्ध में जानकारी दे सकते हैं।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मुझे आप से यह निवेदन करना है कि आपने जो न्यायिक जांच की बात कही है, मेरा एक निवेदन है श्रीमन्, न्यायिक जांच अभी जारी नहीं है, न यह मामला सामने है, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने केवल यह घोषणा की है कि यह मामला न्यायिक जांच द्वारा देखा जायगा, इसकी न्यायिक जांच कराई जायगी। इसके बारे में पूरी जानकारी जो भी माननीय सदस्य दे सकते हैं या जो बात कह सकते हैं, मेरा निवेदन है कि आप पूरी बात लोगों को कह लेने दें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

यह माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और इसकी पृष्टिभूमि भी बताई है कि कब-कब समझौता हुआ है और कर्मचारियों की मांगें क्या-क्या थीं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि समझौता क्या हुआ और उन समझौतों को तोड़ा किसने। मैं मान्यवर, बताऊंगा कि क्या-क्या समझौता हुआ, उस समझौते को किसने तोड़ा। 20 नवम्बर, 1977 को हड़ताल हुई, वह सहायक श्रम आयुक्त के हस्तक्षेप से समाप्त हुई। और उसमें यह तय हुआ कि जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं उनका उत्पीड़न भविष्य में नहीं होगा। इसके बाद तुरन्त ही घटना घटी और एक कर्मचारी को गोली मार दी गई। एक को देशी तमंचे से मारा गया और एक को चाकू मारा गया। मान्यवर, इसकी रिपोर्ट भी लाल कुंआ थाने पर की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---

मैं पूछ रहा हूं कि यह घटना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। कब घटी?

श्री देव बहादुर सिंह---

यह घटना दिसम्बर, 1977 की है। तो जब इसके बाद जब कोई सहायता नहीं मिली मजदूरों को कहीं से तो उन्होंने हड़ताल की धमकी दी। इसके बारे में एक समझौता 25 जनवरी, 1977 को हल्द्वानी में हुआ। उसमें तय हुआ कि जो मजदूर हटाए जायेंगे, मजदूरों ने कहा कि हमसे पूछकर हटायें, तो तय हुआ कि जो मजदूर बाद में आए हैं उनको पहले हटाया जायगा और जो मजदूर पहले से काम कर रहे हैं उनको बाद में हटाया जायगा। अगर हटाने की जरूरत होगी। तो फिर यह समझौता तोड़ दिया जाता है और 26 तारीख को 91 मजदूरों को बिना सोचे समझे कि कौन कब आया है, पहले या बाद में, तो 91 मजदूरों को हटा दिया जाता है। 27 जनवरी, 1978 को अभिसूचना जारी होती है कि जो कृषि में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी सेवा अनिवार्य सेवा घोषित की जाती है।

मान्यवर, देखिए कभी नहीं सुना होगा कि इनकी सेवा अनिवार्य सेवा घोषित हुई हो। मैं तो स्वागत करूंगा कि इनकी सेवा अनिवार्य आप बना दें? लेकिन पहले इनकी सेवा शर्तें बना दें। स्थायी कर दें, तब तो मान्यवर, इस तरह से काला कानून जारी किया गया। न तो जिलाधिकारी से पूछा गया कि अभिसूचना की आवश्यकता है या नहीं और न लीगल रिमेम्बरेंसर की राय ली गई लेकिन उनकी सेवा को आर्डिनेन्स के जरिए अनिवार्य कर दिया गया। वाइस चांसलर यहां आए, कान में बातें कीं और अभिसूचना जारी हो गई। कर्मचारियों की सेवा को आवश्यक सेवा लागू कर दिया गया। इसके बाद हड़ताल शुरू हो जाती है और जो मजदूर शान्तिमय थे उनमें से 11 सौ आदमियों को जेल भेजा गया। और इस तरह से इस काले कानून के विरोध में 11 सौ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी जेल गये। उसके बाद फिर स्थिति बिगड़ी और सारा काम ठप्प हो गया। इसके बाद 4 फरवरी, 1977 को फिर पंत नगर में समझौता हुआ, कुलपति महोदय थे, मैं भी था। उसमें तय हुआ कि जो 91 आदमी निकाले गये थे उनको फिर रख लिया जायगा। दूसरी बात यह कही गयी कि यह आर्डिनेन्स वापस कर दिया जायगा। लेकिनउसके बाद अधिसूचना आज तक वापस नहीं हुई। मतलब यह है कि जितने समझौते हुए उनको तोड़ देने की नीयत कुलपति महोदय की थी। मजदूर परेशान हों, उनको निकाला जाय, यह कुलपति महोदय की नीयत थी। तो इसके बाद आगे चल कर फिर 17 आदमियों को निकाला गया तब फिर यह 11 अप्रैल को होने वाली हड़ताल की बात सामने आयी।

मान्यवर, इसके पहले 8 अप्रैल, 1978 को इस्माइल खां की झोपड़ी को आग लगा दी गयी। उसमें उनकी 3 भैंसें जल गयीं। वह पुलिस में रिपोर्ट करने गये लेकिन कोई भी पूछने नहीं आया कि कितना नुकसान हुआ है। मान्यवर, मैं पहली अप्रैल को वाइसचांसलर महोदय के यहां गया। मैंने निवेदन किया कि कर्मचारियों से बात करें जिससे समझौता हो जाय, क्योंकि फसल पक चुकी है, करोड़ों रुपयों के नुकसान यूनिवर्सिटी का होगा। उन्होंने कहा मैं कोई बात करने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो उनसे निपटूंगा। मैंने कहा ऐसा मत करिये। क्योंकि निपटने का मतलब होता लाठी गोली चलना और फसल बरबाद होना। यदि समझौते से कोई बात निकल आये तो अच्छी बात होगी। उन्होंने हमसे कहा कि हम 3 अप्रैल को बात करेंगे। लेकिन यह भी कहा कि वे 2 अप्रैल को 4 बजे तक सूचित कर देंगे कि बात होगी या नहीं लेकिन दूसरे दिन हमको 4 बजे तक कोई सूचना नहीं मिली तो हमने 5 बजे टेलीफोन करके पूछा तो हमसे कहा कि कोई बात नहीं करनी है। मैं यहां फिर चला आया। वहां के नेता सारे मंत्रियों से मिले और शायद मुख्य मंत्री से भी मिले होंगे। मैंने मुख्य मंत्री को लिखकर दिया कि इसमें आप हस्तक्षेप करें। मैंने खुद मुख्य मंत्री जीको विश्वास दिलाया कि आप इसमें हस्तक्षेप करें शायद कोई हल निकल आये। लेकिनउसके बाद मुख्य मंत्री जी ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। 13 अप्रैल फिर आ जाता है नरसंहार का दिन। जो बहुत दिनों का कुलपति महोदय का संकल्प था गोलियों से भून डालने का तो 13 अप्रैल को वहां जलियांवाला बाग का दृश्य हो गया और वह कालादिन इस इतिहास में आया। वहां 7 अप्रैल से 144 धारा लागू की गयी थी। इस अधिसूचना के अन्तर्गत अधिकार था कि कोई जुलूस हो तो उनको जेल भेज सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि चित्तरंजन जो छात्रावास से दो किलोमीटर दूर है कुलपति का निवास और डेढ़ किलोमीटर कुलपति का प्रशासकीय कार्यालय है तो वहां 1500 आदमी कैसे इकट्ठा हो गये जब कि धारा 144 लागू थी। यदि इकट्ठा हुए थे तो उनको गिरफ्तार क्यों वहां कर लिया गया? मैं वहां गया था और मुझे सूचना है कि कुछ लोग जुलूस में आगे थे तो पुलिस ने जुलूस को आगे आने दिया। फिर एक ट्रक पी0 ए0 सी0 की आयी। उन्होंने कोई टियर गैस और लाठी चार्ज नहीं किया बल्कि बन्दूक और टामी गन से तथा दो पुलिस अधिकारी रिवाल्वर लेकर टूट पड़े। मुख्य मंत्री गये होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि 7 पंक्तियों में मकान हैं। वहां अभी तक बुलेट के निशान हैं, खून के निशान बने हैं।

मान्यवर, इतना ही नहीं, एक व्यक्ति पानी पीनेके लिये मांग रहा था तो एक महिला ने उसको पानी देने का प्रयास किया। लेकिन आवाज आयी कि घर में घुस जाओ नहीं तो गोली चलादेंगे। वह घर में घुस गयी। तो सिपाहियों ने गोली चलायी जिसके निशान उसके दरवाजे में बने हैं। वहां एक मंदिर है। उसके इर्द गिर्द गोली के निशान हैं। संगीन से घायल होकर जो लोग गिरे थे उनको पुलिस ने पत्थरों से मारा है। जितना नरसंहार हुआ उतना कभी नहीं हुआ। जो मृतक थे उनको ट्रकों पर लादा गया और जंगल

तथा गन्ने के खेत में ले जाया गया। फिर गन्ने के खेत में आग लगा दी गयी जिससे पता न चल सके कि कितने लोग मरे हैं। जो घायल हुए वह रुद्रपुर अस्पताल ले जाये गये लेकिन वहां भी उनका उपचार नहीं किया गया। उसके बाद वह लोग बरेली और रामपुर 40—40 किलोमीटर दूर उपचार कराने हेतु गये। प्राथमिक चिकित्सा तक उनकी नहीं हुई। इतना नरसंहार कभी भी नहीं हुआ होगा। वहां मैंने देखा कि लोगों की खोपड़ी उड़ी हुई है। मरे लोगों को नाले में फेंका गया है। वहां दीवारों और नालों में खून के निशान बने हैं।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने अपनी व्यवस्था दी थी कि माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दे सकते हैं लेकिन उसके नाम पर भाषण चल रहा है। तो यह क्या आप करा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि स्पष्टीकरण और अपनी सूचना भी संक्षेप में दे सकते हैं।

श्री विजय राज सिंह—

सूचना, कहां भाषण दे रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह दो फोटो में दिखला रहा हूं। यह इस बात का सबूत है कि पी० ए० सी० के जवानों ने किस निर्दयतापूर्वक लोगों को घसीट घसीट कर मारा जिस प्रकार एक शिकारी अपने शिकार को घसीटता है। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार पी० ए० सी० के जवान लोगों को घसीट कर ले जा रहे हैं। दूसरा स्थान मटकोट है। वहां कोई फार्म हाउस बताया जाता है जिसको लोगों ने जलाने का प्रयास किया। यह अच्छा हुआ कि मुख्य मंत्री जी ने न्यायिक जांच की बात कही है तो उसमें सत्यता का पता चलेगा। लेकिन मान्यवर, मैं कहता हूं कि जो नर संहार हुआ इसमें किसी का स्थानान्तरण कर देने से न्याय का पेट नहीं भरने वाला है। हमारी मांग है कि जिन्होंने कत्लेआम किया है कुलपति ने, उन पर हत्या का अभियोग चलाया जाय। मैं यह भी मांग करता हूं कि यह सरकार जिसके जमाने में इस तरह का नर संहार हुआ, इस्तीफा दे।

*श्री रामआधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंतनगर की घटना के बारे में मैं, शर्मा जी, शतरुद्र जी और कई लोग साथ-साथ गये थे। वहां जो कुछ भी हुआ जलियां वाले बाग के कांड के बाद उतना बड़ा अमानुषिक गोली कांड मैंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा और न सुना। कहा जाता है कि चितरंजन चौराहे पर पुलिस खड़ी थी। जुलूस मंदिर की तरफ से आ रहा था। जिस बिल्डिंग की बात कही जाती है वह बिल्डिंग एक किलोमीटर की दूरी पर थी। जुलूस आता है। तमाम अधिकारियों ने बतलाया कि वहां पर मजदूरों को लाठी और बल्ल में रखने की अनुमति नहीं थी। छोटे छोटे बच्चों ने बतलाया कि कुछ मजदूर इक्विलिप्टस पेड़ की टहनियों को लिये हुए थे। एस० डी० एम० चतुर्वेदी जो स्टेशन पर मिले थे उन्होंने बतलाया कि अभी डिस्कशन हो ही रहा था कि अगर स्थिति बिगड़ि जाय तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फायरिंग की जरूरत पड़ेगी । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वहां औरत, बच्चे, पुरुष रो रहे थे वह दृश्य याद आते ही हृदय कांप जाता है । वहां पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । मैं चुनौती देता हूं जनता पार्टी की सरकार को । मैंने अस्पताल में देखा, बरेली के अस्पताल में देखा । पंतनगर के अस्पताल में डाक्टर ने बतलाया कि 25 आदमी आये थे । एक आदमी जो अश्रुगैस से जला हुआ था उसका मुआयना किया बाकी गोली लगे हुए थे । दो गोले आंसू गैस के छोड़े गये । कोई लाठी चार्ज नहीं, भयंकर गोलीकांड हुआ । उन गरीबों मजदूरों को जो बिहार, गोरखपुर से आए हुए थे गोलियों से भून दिया गया । उन गरीबो को भूखे भेड़ियों की तरह होकर मारा गया । एक रो, दो रो तीन रो, चार रो कतारें बनी हुई हैं वहां घुस घुस कर मारा गया । चौराहे को घटना स्थल बताया गया है । घरों में घुस घुस कर गोलियां मारी गयीं..... गोलियों के निशान हैं । मकानों के नम्बर मेरे पास हैं जिन मकानों पर 3/3–4/4 गोलियों के निशान हैं । मान्यवर, एक लड़का हाई स्कूल का चितरंजन चौराहे पर दूर खड़ा था । वह अपनी भैंस बांधने गया । एक पी0 ए0 सी0 के जवान ने उसे गोली मार दी । भैंस उसके हाथ से छूट गयी । वह हाई स्कूल का लड़का तड़प कर गिर गया ।

मान्यवर, वहां की अध्यापिकाओं ने बताया, जिनके घर पर 3/4 घायल छिपे हुए थे । श्री डी0 डी0 जोशी, ए–4, 685 क्वार्टर नम्बर है । उनकी औरत ने बताया कि तीन घायल मेरे कमरे में भागकर घुस आये । पी0 ए0सी0 के लोग आये और खींच ले गये । भेजे पर गोली मारी और उनका सर फट गया । मान्यवर, मेरे पास बीसों लोगों के नम्बर नोट हैं । इन्क्वायरी घोषित हुई है । उसमें जो नतीजा होगा, होगा । लेकिन वहां जो कुछ हुआ, लगता है कि वहां के कुछ लोगों की इसमें उनको जान से मारने की साजिश थी । वहां के फार्म के असिस्टेन्ट डायरेक्टर, डी0 वाई0 एस0 पी0, वाइस चांसलर, थाना इन्चार्ज और एस0 डी0 एम0, नैनीताल, मान्यवर, इन सभी की साजिश थी इन लोगों को जान से मारने की । मान्यवर, गोली चलाने के पहले वहां जमकर शराब पी गयी, । नेशनल गेस्ट हाउस के अन्दर पचासों शराब की खाली बोतलें मिलीं, मान्यवर, जो छात्रों ने अपने कब्जे में ले लिया है । बिना पिये, ऐसे ही कोई आदमी उस तरह से गोली नहीं चला सकता, मान्यवर, कुछ बच्चे तमाशा देख रहे थे । मालूम तब हुआ जब दरवाजा खोला । जो भी इसकी जांच जल्द हो । मुझे शर्म है,....मान्यवर, हम विरोधी दल में होते, तो आज न जाने क्या होता । आज हम जनता पार्टी में बैठे हुए हैं । पता नहीं क्या तय होता है, मैं नहीं जानता । वहां पर कोई मकान नहीं है....बीसों मकानों के नम्बर नोट हैं । वहां के एक बालिका विद्यालय में एक अध्यापिका एक घायल को पानी पिला रही थी । कोई तिवारी थे । कंधे में गोली लगी थी । पी0 ए0 सी0 के लोग उसको खींच कर बाहर ले गये और गोली मार दी । जब उसने दरवाजा बन्द किया तो घर पर गोली मार दी । उसके दरवाजे को चीरती हुई उसके वेड में गोली लगी थी । भैंस बांधते हुये गोली मारी । चारों तरफ दूर तक गोली चलायी गयी । मान्यवर, यह पंतनगर को कब्जा करने की साजिश थी । एक तरह के लोगों की, एक किस्म के लोगों की, जाने माने लोगों की, पूरे पंतनगर में कब्जा करने की साजिश थी । जहां कि हिन्दुस्तान भर के खेतिहर मजदूर जा जाकर काम करते हैं । ऐसे लोगों पर हमला बोलने की इन लोगों की साजिश थी ।

मान्यवर, जांच तो होगी ही, लेकिन मेरा निवेदन है कि इसमें पूरी कैबिनेट जांच करे । कबिनेट की कमेटी बनायें जो इसकी जांच करे अगर मेरी बात, मान्यवर, सही नहीं है तो मैं विधान सभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं और अगर मेरी बात सही हैं, तो पूरी कैबिनेट के साथ मुख्य मंत्री इस्तीफा दें । ऐसे काम नहीं चलेगा ।

[श्री रामअधार—]

मान्यवर, सरकार की ओर से यह तय किया गया है कि जिस आदमी की जान गयी है, उसके परिवार को पांच हजार दिया जायेगा। लेकिन मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उन सारे परिवार वालों को जिनकी जाने गयी हैं, पंतनगर फार्म में फी परिवार पांच एकड़ जमीन और पांच हजार रुपये दिया जाय और उस फार्म में उस परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार जगह भी दी जाय।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, अभी आपने भाई रामअधार की बात सुना। श्रीमन्, सच्चाई यह है कि अगर माननीय सदस्यगण वहां जाकर देखे होते, तो उन्हें वास्तविक सच्चाई पता लगती। यही सच्चाई है। म यह समझता हूं कि न मेरे पास ऐसे शब्द हैं कि उस घटना को व्यक्त कर सकूं और न कहने की खुशी है क्योंकि कहने में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि लगता है कि आंसू न निकल आवें..। सच्चाई यह है श्रीमन्। फिर भी मैं सारे माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि इस घटना को आप जरा ठीक ढंग से देखें। मैं यह नहीं कहता कि किन कारणों से उसके पूर्व यूनियन के बीच और बी0 सी0 के बीच झगड़ा रहा लेकिन एक बात साफ है कि किस प्रकार यह सर्विस आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आ गयी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। फार्म मजदूर जिनको परमेनेन्ट नहीं माना जाता आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत कैसे आ सकती हैं इसकी जानकारी हो जायगी मुझे यह उम्मीद है कि जिन लोगों ने इसका फैसला लिया वे लोग इसकी जानकारी दें देंगे लेकिन श्रीमन्, यह जो वक्तव्य आया है उस वक्तव्य से एक सवाल खड़ा होता है कि जब 11 तारीख को हड़ताल हो जाती है, 11 तारीख की हड़ताल का नोटिस मिला हुआ था, तो वहां के लोगों ने बताया कि 11, 12 और 13 तारीख की रात को कुछ मजदूरों को एक डिप्टी फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट हरबीर सिंह पुलिस के साथ ले गये। अगर पुलिस के साथ फार्म—सुपरिन्टेन्डेन्ट ले गये तो स्वाभाविक है कुछ उत्तेजना बढ़ी होगी। यह घटना मटकोट की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि मटकोट अपने साथियों का पता करने के लिये या उसके विरोध स्वरूप जो भी हो मान लीजिये वहां पर प्रदर्शनकारी इकठ्ठे हुए और वहां जब हम सभी लोग मिल कर बात कर रहे थे, वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, तो जिन कारणों से गोली चलाने के लिये कहा गया था उनमें से एक कारण यह बताया गया कि एक रामअवतार गुप्ता ब्लाक सुपरवाइजर ब्लाक "एफ" उसका सर फट पड़ा। केवल दो आदमियों की मरने की बात इस वक्तव्य में कही गयी है। एक तो हरबीर सिंह की बात इसमें कही गयी है और दूसरा आदमी यह राम अवतार गुप्ता ब्लाक सुपरवाइजर एफ ब्लाक। उसने किसी को लिखकर दिया— यह जाहिदी साहब के पास है— कि न उसको चोट आई और न उसको किसी प्रकार का उत्पीड़न या पीड़ित किया। जब यह बात मालूम हो गयी कि दो आदमियों के कारण वहां गोली की बात आई उसमें एक बात यह है मटकोटा की बात और जहां तक चितरंजन भवन चौराहे की बात है अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि न जोश की बात करना चाहता हूं और न किसी के सैन्टीमेन्ट को प्रभावित करना चाहता हूं लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आदमी की निगाह से उसको देखा गया होता कि इस गोली से आदमी मर रहे हैं तो शायद यह गोली कान्ड न हुआ होता। एक मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, जहां देखों वहीं गोली के निशान मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी कर्मचारी थे उनकी श्रीमती ने बताया कि उनके घर में दो आदमी चोट लगे हुए भाग कर चले आये और किस बेरहमी से एक आदमी को घर से निकालने के बाद वहीं उस घर के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाहर बन्दूक के किरचों से काल कोड़ डाला। बड़ी मुश्किल है। उस भाव को वही व्यक्त कर सकते हैं मैं यहां व्यक्त नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी ज्यादती की गयी है.... सवाल यह है कि ज्यादती करने की बात क्यों, क्या उनका इरादा था? ज्यादती करने वालों क नाम लिये जाते है डी0 एस0 पी0, पी0 ए0 सी0 के कमान्डेन्ट श्री शिव राज सिंह सरोही। दूसरे नम्बर पर हैं लाल कुवें के थानाध्यक्ष, शराब की बोतलों का जिक्र किया गया जिसकी फोटो कुछ लोगों ने ली थी। वह खुद भी इस बात की द्योतक हैं और उसके इन्तजाम में जो उस गेस्ट हाउस के इंचार्ज हैं उनका नाम लिया जाता है। इसी तरह हरबीर सिंह के बारे में कहा जाता है लोगों की बातें सुनी, लिखी और सारी जानकारी की। क्या वजह है बाकी लोगो के बारे में कोई बात नहीं कही जाती। यह कहना गलत है, झूठ है कि गोलीकान्ड के पहले लड़कों ने उस जलूस में हिस्सा लिया था। जब छात्रावास के सामने गोलीकान्ड हो रहा था और लड़के छत पर तमाशा देख रहे थे तब लड़कों का सेन्टीमेन्ट उभड़ा उस गोलीकान्ड और अत्याचार को देख कर। मैं नहीं जानता कि ये सारी घटनायें किस मामले को लेकर हुई और उनकी क्या वजह थी? लेकिन जिन लोगों पर यह गोली कान्ड बरपा हुआ उन बेचारों का क्या कसूर था, कसूर यह था बी0 सी0 साहब की शान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अगर इस तरह के नारे लगाना और जलूस निकालना कसूर में शुमार किया जाता है तो अन बेंचेज पर बैठे हुये अधिकांश लोग इस गुनाह में रत निकलेंगे। जो हुआ उसका होश से कोई वास्ता नहीं था। कहा जाता है कि गन्ने का खेत जलाया गया। यह अफसरों का वर्शन होगा। अगर मान लिया जाय कि मजदूरों ने गन्ने के खेत को जलाया तो फिर ट्रैक्टर क्यों चलाया गया बीच में न इधर और न उधर। आखिर यह हैरो चलाने की बात कैसे पैदा हुई? जो हड्डियां थीं वे जानवरों की नहीं आदमियों की हड्डियां थीं। यह कंट्रोवर्सी क्यों पैदा होने दी गयी। यह जबाब किसने दिया कि यह हड्डी जानवरों की थीं या आदमियों की थीं?

आज अखबार में श्रीमन्, सबने पढ़ा होगा कि बी0 सी0 साहब वहां अब जाने वाले नहीं हैं। मैं मानता हूं कि बी0 सी0 साहब अब वहां नहीं जायेंगे क्योंकि अब वह अपना काम पूरा कर चुके हैं, अब किस मुंह से जायेंगे? लेकिन मेरा निश्चित मत है कि बी0 सी0 साहब इस मामले के पीछे रहे हैं। जितनी भी घटनायें हुई हैं सबको अगर जोड़ दिया जाय तो मेरा निश्चित मत है, भले ही जुडीशियल इंक्वायरी की कुछ भी फाइंडिंग हो, उन अधिकारियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिये जिनके खिलाफ वहां के लोग यह कहते हैं कि उन्होंने फायरिंग करवाने में हिस्सा लिया है। जुडीशियल फाइंडिंग आ जायेगी और वह छूट जायेंगे। लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो जांय। जिस प्रकार मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और धारायें उन पर लगा दी गई उसी तरह से उनके खिलाफ भी दर्ज हो जाय। जुडीशियल फाइंडिंग आ जायेगी कि मजदूर गलती में थे या यें लोग गलती में थे इसके लिए कौन दोषी था? मुकदमा अवश्य दर्ज होना चाहिये यह मेरा निश्चित मत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें कह कर खत्म करूंगा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वह है मानवता का। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार की जो घटना वहां हो गई है उसको राजनीतिक न बनाया जाय। मैं आप सारे लोगों से कहना चाहता हूं इधर और उधर के बैठने वालों से मेहरबानी करके वहां जो घटना घटीहै उसके लिए वहां के लोगों को सांत्वना देनी चाहिये, समझा बुझाकर उनको शांत करना चाहिये। जो वहां उत्तेजना है उसको खत्म करना चाहिये। एक आदमी का नाम मेरे पास है उसने मुझको बताया श्री बनवारी लाल ने कि अभी भी पुलिस वाले रात में मजदूरों के छप्परों में जाते हैं और आतंक फैलाते हैं। जिस दिन हम गये थे यह बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर भी ध्यान दिया जाय। यह भी कहा गया कि लालकुवां का दरोगा भी उसमें था, इसकी जांच करा ली जाय। मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैंने तो उसे देखा नहीं। आज भी यह शिकायत है कि वहां जिंदगी सुरक्षित नहीं

[श्री कल्पनाथ सिंह—]

है। इसलिए निश्चित रूप से वहां के लोगों में आत्मविश्वास प्रकट करने का प्रयास करना हम सब लोगों का कर्त्तव्य है।

श्रीमन्, दो एक नाम हमें बताए गये जो कि मिसिंग हैं। मैं शासन से कहना चाहता हूं, अपने मित्र देव बहादुर सिंह जी से कहना चाहता हूं क्योंकि वह उनकी कांस्टीटुवेन्सी है आप मेहरबानी करके मिसिंग लोगों की सूची सरकार को दीजिये कि कितने लोग मिसिंग हैं। मिसिंग लोगों के बारे में वहां विभिन्न अफवाहें फैली हैं, कोई अखबार कहता है कि 160 मिसिंग हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यह बात सही है एक व्यक्ति अदालत नाम का है जिसका 12 वर्ष का लड़का मिसिंग है। वह लड़का कहां है ? एक दूसरा आदमी है जिसका नाम सियाराम स्वीपर है उसके बारे में कहा जाता है कि मिसिंग है। इसलिए आवश्यक है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके बारे में बताया जाय। एक आदमी देवरिया जिले का था जिसके बारे में हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिले थे, बताया कि वह मिसिंग है वह पडरौना तहसील का रहने वाला है। एक पत्रकार श्री अशोक कुमार अग्रवाल थे उन्होंने बताया कि 13 आदमियों की लिस्ट उनके पास है जो मिसिंग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो 13 आदमी या जितने भी हैं इनकी जांच कराई जाय। सी0 आई0 डी0 लगाई जाय और इस प्रकार की जो भ्रांति पैदा हो रही है इसकी गुंजायश नहीं रहनी चाहिये।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की वहां हालत है, जिस प्रकार का आतंक है, जिस प्रकार का रोश है उसको समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पन्त नगर में हुई, उससे सभी के दिलों में दर्द है, दुःख है। मानवता का प्रश्न है जहां मनुष्य का खून गिरता है, उसको देखकर मन पसीजता है। लेकिन इस बात से आवेश में आने से काम नहीं चलेगा।, हम सब लोगों को दोनों तरफ के बैठे लोगों को शांति से बैठ कर इस बात को सोचना है, उसके कारणों की खोज करनी है कि ऐसी घटना क्यों हुई कि जिससे आगे ऐसी दुखद घटनाएं घटित न हों। 7 अप्रैल को वहा की मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी श्री ए0 सी0 कुलश्रेष्ठ मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बताया कि फार्म पर 11 तारीख से हड़ताल का नोटिस हम लोगों का है, लेकिन स्थिति भयावह है, चूंकि वहां पर स्थिति ने साम्प्रदायिक रूप ले लिया है। यह उन्होंने मुझे बताया और 10 तारीख को मैंने इसकी सूचना सदन में दी है। 6–7 हजार मजदूर वहां पर पूर्वी जिलों के हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रशासन में डेढ़–दो सौ व्यक्ति सबके सब पश्चिमी जिलों के हैं। तो वहां पर क्षेत्रवाद का तनाव पूर्ण वातावरण पैदा हो गया है और मजदूरों में बड़ी उत्तेजना है। उन्होंने बताया कि 6 हजार मजदूरों की हड़ताल होगी, तो यह मेरे नियंत्रण में नहीं रह सकेगा कि कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। कोई कहीं आग लगा दे या हिंसा पर उतारू हो जाए। यह उन्होंने मुझसे कहा। ठीक इन्हीं शब्दों में मैंने सदन में 10 तारीख को आपके समक्ष नियम 3 01 के अन्तर्गत दी है। यह सूचना उन्हीं लोगों से मिली थी, जो हड़ताल कराने वाले थे। लेकिन जो व्यक्ति उस समय आए थे वह चाहते थे कि हड़ताल टल जाए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलिये और हमारा नेतृत्व कीजिये, कृषि मंत्री जी से हम लोगों को मिलवाइये और कोई रास्ता निकलवाइये, जिससे समझौता हो जाय, क्योंकि स्थिति काफी उत्तेजनात्मक हो गई है। मैं उनको अपने साथ लेकर माननीय कृषि मंत्री जी से मिला। इत्तिफाक से उस वक्त वहां भूतपूर्व एम0एल0ए0, बलवान सिंह जी अपने किसी काम के सिलसिले में बैठे हुए थे। उस समय मंत्री जी के साथ वार्ता बड़े सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई। मंत्री जी

ने कहा कि आपका मांग–पत्र आया है और मैंने पुराना समझौता भी देख लिया है। इसमें ऐसी कोई भाग नहीं है, सिवाय मजदूरों का वीकली रेस्ट एक ही दिन होना चाहिए, इसे छोड़कर, जिन पर सोच समझकर कोई रास्ता न निकाला जा सके। वीकली रेस्ट एक दिन हो, यह सम्भव नहीं है, ऐसा किसी फैक्टरी में नहीं होता है। सब जगह टर्न बाई टर्न वीकली रेस्ट होता है।

जहां तक बोनस का सवाल है, यह हमने माना है और हम इनिशियेटिव के रूप में इसे दे रहे हैं और हम इसे आगे भी देंगे, यह भी मांग स्वीकार है। उन्होंने कहा यह भी मांग स्वीकार है, जो मजदूरों की झोपड़ियों के किराये को लेकर है। पहले यह था कि यदि एक क्वार्टर या झोपड़ी में 4 मजदूर रहते थे, तो उन चारों, सभी से उतना ही किराया ले लेते थे यानी चौगुना, तो यह मांग मंजूर कर ली गई कि अब भविष्य में 4 मजदूर रहते हैं तो किराया एक ही लिया जायगा और चारों या सभी आदमी आपस में उस किराये की राशि को बांट लेंगे। आखिर में मंत्री जी ने हड़ताली नेताओं से यह बात कही कि आप लोग जोशी जी जो पुराने ट्रेड यूनियन नेता हैं, उनके साथ आए हैं, उनके द्वारा आए हैं, इसलिए मैं उन्हीं को पंच माने लेता हूं। वह प्रो-लेबर व्यक्ति हैं, जो फैसला कर देंगे वह हमें मंजूर होगा। तो मैंने मंत्री जी के सामने निवेदन किया कि इस वक्त तो असेम्बली चल रही है, मैं 15 तारीख को चलकर 16 तारीख को वहां पहुंच सकता हूं। आप कृपा करके दो हफ्ते तक हड़ताल को टलवा दीजिए। उन्होंने कहा दो हफ्ते ज्यादा होंगे, लोग समझेंगे कि हारवेस्टिंग को खत्म कराने के लिए वह समय मांग रहे हैं। एक हफ्ते हम टालना मान लेते हैं पहले हड़ताल 11 को होने वाली, 11 के बजाय 18 कहा कि 16 को आप आ जाइये। 10 तारीख को कोई घटना नहीं हुई और जितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई, वह 11 के बाद हुई। 10 को 301 में मैंने सूचना पढ़ी है। वह रेकार्ड में मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है कि अब स्ट्राइक 18 तारीख से होने वाली है 11 के बजाय, इसके माने यह हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गयी थी कि एक हफ्ते के लिए हड़ताल टाल दी जायगी। 16 को जाकर मैं उनके बीच में बैठूंगा, वाइसचांसलर भी होंगे और कर्मचारी भी होंगे फैसला हो जायगा।

जो हमारे नेता मजदूरों के थे उन्होंने कहा कि मजदूर बहुत गरमी में हैं। केवल मेरे कहने से शायद उनको इतमीनान न हो। आप अपने पैड पर अनुरोधपत्र लिख कर दीजिये। माननीय मंत्री ने जो आश्वासन दिया है, वह भी लिख दीजिये और अपने पहुंचने का जिक्र भी कर दीजिये कि 16 तारीख को आ रहा हूं। इसलिए अनुरोध करता हूं कि एक हफ्ते के लिए हड़ताल स्थगित कर दीजिये। यह मेरे पैड पर लिखा कर ले गये। वहां पर पहुंचने पर क्या हुआ होगा, कल्पना कर सकता हूं। वहां पर जो लीडर्स थे, जो राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती की। इतना बड़ा आन्दोलन चल रहा है। हमारा राइवल आदमी, जोशी पंच बने, क्रेडिट ले जाये यह क्या बेवकूफी की ? हड़ताल करा दी गयी। इस तरह से जो स्थिति टल सकती थी नहीं टली। चूंकि क्षेत्रवाद के आधार पर उत्तेजनात्मक बातावरण था, वह अपना गुड सेंस खो बैठे थे, उन्होंने कह दिया कि हमारा प्रोग्राम नहीं रुकेगा लेकिन दुर्भाग्य हुआ 11 तारीख से हड़ताल हो गयी। बाद को पता चला। 16 तारीख को मेरा जाना पूर्व निश्चित था। हमारे साथ अन्य लोग चले। मुझे जाना ही था। युनिवर्सिटी में प्रवेश करते ही मैंने देखा कि कहीं कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। पी0 ए0 सी0 है न पुलिस। 8–9 मील की दूरी में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। स्टूडेन्टर्स से मिले। उनके होस्टल में गये। उनसे बातें कीं और आगे बढ़ कर क्वाटर्स जिनमें गोलियों के निशान थे, 20–25 निशान थे क्वार्टरों की दीवारों पर लगी थीं। वह सारा जब देख आये, जहां मरे थे वहां खून गिरा था। लेकिन उन स्थानों पर तीन लाठियां पड़ी थीं, दिखायी दीं। फरसा, बल्लम वगैरह यह मैंने नहीं देखा। लाठियां जरूर वहां थीं। जो खेत जला है, डेढ़ एकड़ गन्ने का खेत जला है

[श्री रामदत्त जोशी--]

बताया कि यह पी0ए0सी0 वालों ने जलाया है, लोगों को मारते गये, जलाते गये । मेरे मुंह से निकल पड़ा "यह अतिरंजना है', जिस बात की पहले मुझे आशंका थी, वहां पर सीक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है, सारे लोग थे, पश्चिम की एक चिड़िया तक नहीं मिली । मेरा कहना है कि आप लोग और हम हिन्दू हैं, पश्चिम के हों या पूर्वी जिलों के हों, एक लाश को जलाने में कितनी लकड़ी लगती है ? 10 मन । डेढ़ एकड़ खेत गन्ने का जलाया गया, तो उसकी पत्ती जलेगी, जलता हुआ गन्ना अपनी आग से अपने को नहीं जला पाता, उसको काटने के बाद फिर फैक्टरी में भेजा जाता है । सिर्फ उसकी पत्ती और छिलका जलता है । यह हो सकता है कि गन्ने की आग में जिन्दा आदमी को डाला जाय तो वह झुलस जाय, मर जाय लेकिन यह नहीं हो सकता कि वह राख हो कर गायब हो जाय, हड्डियां वगैरह शेष रह जांय । यह जब मैंने कहा, तो कहा पकड़ लो, मारो, पीटो । चूंकि मेरे पास अलग से गाड़ी थी मैं भाग आया ।

मटकोटा पंहुचा तो मालूम हुआ कि वहां पर 2 अधिकारियों को पीटा गया था । रूद्र पुर में देखा कि जितने भी वेस्टर्न यू0पी0 के लोग थे, वहां पर मुझे 4 फैमिलीज मिलीं, वे इस प्रकार से थे जिस प्रकार से बंगला देश के शरणार्थी हों, इस तरह से आये थे । लाल कुआं के जंगलों से भाग कर लोग आये थे और किच्छा के थाने में बैठे थे । हम सब को इस घटना पर दुख है । ऐडमिनिस्ट्रेशन की उदारता कहिये या उसकी गलती कहिये । ठीक 9 तारीख को जब धारा 144 लागू हुई थी, तो श्रमिकों के नेताओं को इजाजत दी गयी कि वह मीटिंग करें और परमीशन लेकर मीटिंग की गयी । ऐसी स्पीच दी गयी कि धारा 144 तोड़ दी गयी कुछ नहीं हुआ । इस प्रकार की स्पीचें दी गयी । इस प्रकार गलत फहमी से हौसला बढ़ा । कुछ बाहर के तत्व भी इम्पोर्ट किये गये थे जो डकैत थे और पहलवान थे, वह भी उसमें शामिल थे । दूसरा वर्जन यह आया कि 2-2 1/2 सौ मजदूर ऐसे थे जो अगली पंक्ति में चल रहे थे और वह चेहरे पर चूना या सफेद पाउडर लगाये हुये थे जिससे कि आंसूगैस का उन पर कोई प्रभाव न पड़े । वहां पर जो हड्डियां पाई गयीं उनको जिलाधिकारी अपने साथ ले गये । वहां पर बेटरनरी साइन्स में कुत्ते, बिल्ली आदि के शरीर को चीरा जाता है और उसकी शिक्षा दी जाती है, तो जो उनका मलवा होता है उसको गड्ढों में फेंक दिया जाता है ।

(व्यवधान)

आपका मैंने सुना, तो आप भी मुझे सुनिये । तो जो मलवा होता है उसे चील कौवे ले जाते हैं । यह मैनीपुलेट किया गया कि हड्डियां उस खेत में पाई गयीं । उनका मेडिकल एक्जामिनेशन होगा । यह असंभव है कि गन्ने के खेत में बीसों आदमी जल कर राख हो जायें, गन्ना में आग लगने पर केवल उसकी पात जल पाती है, आदमी की लाश को जलाने के लिये 10 मन लकड़ी की आवश्यकता होती है । इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता । मैं कह रहा हूं कि यह स्थिति है वहां पर, लोग कहते हैं कि वहां पर आतंक है । सारी जीपें और पेट्रोल उन हड़ताली मजदूरों के हाथ में है । वहां पर न तो वाइस चान्सलर है और न कोई अधिकारी है, एक छत्र राज्य उन हड़ताली मजदूरों का है । वहां पर एक पैरलल स्टेट बन गयी है अगर मैं वहां से भाग न गया होता तो मेरी भी हत्या हो गयी होती । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में और भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई हैं जहां पर संकीर्णतावादी तनाव हो जाता है तो वहां पर यही होता है कि पी0ए0सी0 की ओर जो फायरिंग होती है वह पहले हवाई की जाती है और फिर पैरों के नीचे की जाती है । सीधे फायरिंग नहीं होना चाहिये । बताया गया कि 208, सरकारी रिपोर्ट है, राउन्ड चलाये गये । 303 राइफिल के, 208 राउन्ड सीधे के सीधे अगर चलाये जाते हैं तो एक एक राउन्ड में कम से कम 3-4 आदमी मारे जाते हैं । इस प्रकार से हजारों की तादाद में लोग मर सकते हैं (व्यवधान) । उत्तेजना और जजबात से काम नहीं चलेगा । यह अवश्य है कि वहां पर पी0ए0सी0 और पुलिस की गल्ती है जिन्होंने

डायरेक्ट फाइरिंग की, लोगों के पैरों पर गोली मारनी चाहिये थी । किन्तु जो भी डायरेक्ट फायरिंग की गयी है, वह गलत है, मैं इसके लिये पी0ए0सी0 और पुलिस की निन्दा करता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिना उत्तेजना फैलाये इस समस्या को मानवी समस्या समझते हुये और यह समझते हुये कि कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर हिन्दुस्तान की अनोखी अपनी संस्था है, पवित्र मंदिर है, उसका संचालन आगे किस प्रकार से किया जाय, इस विष को, जो वहां पर फैल गया है, कैसे मिटाया जाय, एतदर्थ, हम लोगों को आपका सहयोग मिलना चाहिये ।

*खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, अभी हमारे साथी राम दत्त जोशी जी ने जो शायद कल पंतनगर गये थे, वहां जाने पर उनके साथ क्या बीती उसकी सूचना सदन को दी । जो हकीकत होती है वह छुपाने से नहीं छुपती चाहे उस पर मुलम्मा चढ़ाया जाये । हमने वहां पर 485 निशान तो गोली के मकानों पर देखे और एक एक पेड़ पर 10–10 गोली के निशान देखे । आप यकीन करें कि एक पेड़ से यह गोली मिली जो मैं सदन के सामने पेश करता हूं । अगर इन सब निशानों को जो मकानों पर देखे गये और पेड़ों पर लगे सब को जोड़ा जाय तो आज सोचिये . . . (शोर) । 208 राउन्ड गोली की बात मुकम्मिल तौर पर सही मालूम नहीं पड़ती है । हर बात को यहां पर सच्चाई के साथ नहीं कहा गया है । सच तो यह है कि हमारे देश और प्रदेश की पुलिस बार-बार इस बात को कहती है कि हमें खेद है और जब इस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्री जी अपना खेद व्यक्त करते हुये यह बात भी कहते हैं कि हम सजग हैं, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, । यह पुलिस फौरन समझती है । कि हमारे मुख्य मंत्री की क्या भाषा है और हमे क्या करना चाहिये । खुद आप सोचिये कि पी0ए0सी0 को रबर की गोलियां क्यों सप्लाई नहीं की गयी । एक कमान्डेन्ट ने मुझे बताया कि हमें रबर की गोलियां सप्लाई नहीं होती हैं ।

आपने 3–4 लकड़बग्घों को मारने के लिये शिकारियों को बुलाया, आदमखोर जानवरों को मारने के लिये सी0आर0पी0 के लोगों को बुलाया लेकिन लोगों के सीने को चाक करने के लिये उनकी गोली बड़ी तेजी से चली । यह जोश की बात नहीं है, होश की बात करता हूं । जम्हूरियत का इस प्रकार से तकाजा पूरा नहीं किया जा सकता है । लड़कों, लड़कियों, मजदूरों औरखेतिहर मजदूरों के मामले में जब एक ऐसी स्थिति हो जाय, तशदुद की स्थिति हो जाय तब भी हमारी आंखे न खुले, बड़े अफसोस की बात है । अधिकारियों की तो टेक्नीकल नीति है, वे तकनीकी से काम करते हैं । लेकिन हमारे मंत्रिपरिषद् के जो लोग हैं उनको शुरू से देखना चाहिये जहां पर तशदुद की फिजा हो कि कबूल इसके कि हंगामा हो ।

मैं आपके सामने राम औतार गुप्ता का पत्र सदन के सामने पेश करना चाहता हूं । जिसके बारे में मटकोटा में कहा गया कि सर फट गया था और गोली चलाई । हरबीर सिंह वहां नहीं हैं, पता चला कि बरेली में हैं तो वहां मालूम किया । वह अस्पताल बरेली में मौजूद नहीं थे । उनका घर बन्द था, उनके बच्चे नहीं थे । मुझे अफसोस से साथ कहना पड़ता है कि हमारे रामदत्त जोशी जी ने कहा कि क्षेत्रीयवाद पैदा हो गया था। मैं आपसे सच कहता हूं कि उस जगह पर जिन–जिन लोगों ने जो जो बातें कहीं हैं उनको किस तरह से बयान किया जाय । वहां यह कहा गया कि जाट और गैर-जाट का कोई झगड़ा हो रहा है । यह स्थिति अफसोसनाक है और हम मुख्य मंत्री जी से कहेंगे कि ऐसी हवा पुलिस में न फैलने दें । उसके लिये सख्त से सख्त कदम उठायें और पता लगायें कि यह बात कैसे पैदा हुई । इस लिये कि पुलिस के जो अध्यक्ष थे, डी0 एस0 पी0 और लालकुएं के इंचार्ज सिरोही और डी0 पी0 सिंह इन लोगों की आपस में मीटिंग होती थी और मजदूरों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खान गुफरान जाहिदी]

की अलग दूसरी तरफ होती थी। अधिकारियों की अलग होती थी। चितरंजन एवेन्यू की बात है वह दो किलोमीटर दूर है ऐडिमिनिस्ट्रेटिव आफिस से। मटकोटे में तो पी0 ए0 सी0 का कैम्प आज भी लगा है। इसलिये जो यह कहा वह सही नहीं है कि पी0 ए0 सी0 नहीं है। मैं तारीफ करूंगा कि विश्वविद्यालय का एक-एक तालिब इल्म बधाई के काबिल है। आज इतने आतंक के बावजूद भी वह डेरी फार्म चला रहे हैं, बिजली की सप्लाई को मेन्टेन कर रहे हैं और एक-एक घर में जा कर राशन-पानी की बात पूछ रहे हैं। हां, मजदूरों में डर और खौफ बना हुआ है। 50 फीसदी मजदूर भाग रहे हैं।

एक बात और है कि जिस सख्स ने गोली पेड़ में से निकाल कर मुझे दी उसका नाम भी हमारे मुख्य मंत्री की तरह "राम नरेश यादव" है। वह माली हैं नेहरू होस्टल का। मैंने कहा कि यादव जी क्या आप गोली निकाल कर मुझे देंगे तो उन्होंने कहा, अभी लीजिए और 3 घंटे मेहनत करके गोली निकाल कर मुझे दी। सियाराम जो वार्डेन के घर पर पड़ा हुआ था। जब वह गिरा तो वार्डेन ने कहा यह तो मेरा चपरासी है। तो उनकी बात नहीं सुनी गयी और कहा कि आप चले जाइए। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि स्टूडेंट्स उत्तेजित थे, मैं कहता हूं कि अगर 7-8 सौ स्टूडेंट्स उत्तेजित वहां मौजूद रहते और वह भी मैदान में कूद गये होते तो दो-चार, दस स्टूडेंटस भी जरूर मरते, लेकिन एक भी स्टूडेंट बाहर नहीं निकला और होस्टल के ऊपर मौजूद रहा और सब यही कहते रहे कि गोलियां मत चलाओ, मना करते रहे।

एक वहां मेनहाल है, हम और जोशी जी वहां गये थे उसको देखा था। वहां 3 मजदूर छिप गये। उनकी चप्पलें वहां पड़ी हैं। वह कहां गये? उनको उसमें से निकाल कर तब तक मारा गया जब तक उनकी जान नहीं निकल गयी। ये दर्दनाक हकीकतें हैं। बड़ी अफसोसनाक हकीकतें हैं। हकीकतों में कुछ न कुछ अफसाना हो सकता है, लेकिन हकीकत अपनी जगह पर हकीकत है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो आतंक की फिजा चल रही है, कल वहां फायरिंग हो रही है, आज वहां हो सकती है। मुमकिन है कहीं आज भी हो गयी हो। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें कोई राजनैतिक सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ यह है कि हमारा सूबा इस मुसीबत से कैसे नजात पाये और इस रोज-रोज के गोली-कांड से कैसे बचे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जम्हूरी तकाजों को पूरा किया जाय। आफिसर्स की राय पर डिपेंड मत कीजिए। यहां जो स्वतंत्र जनता के नुमाइंदे हैं उनको अपने कानफिडेंस में लीजिए, उनकी बात को वजन दीजिए और आफिसर्स के सामने उनकी राय की तरदीद मत कीजिए। जिस तरह का सिलसिला चल रहा है तो एक कमेटी ऐसी बनाइये जो 56 जिलों के 56 नुमाइंदों की कमेटी हो। हंगामी मीटिंग तलब कीजिए सब की, उनके साथ जाइए कैबिनेट की मीटिंग जगह-जगह बुलाइये। जूडीशियल इंक्वायरी से कुछ नहीं होना है। सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि 13 आदमी जो हलाक हुए उनमें से सिर्फ 3 ही आइडेंटिफाई हो पाये हैं, 10 अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए। उनके नाम मैं लाया हूं। कलेक्टर साहब के पास वह नाम नहीं थे। और वह 13 नाम जिनका जिक्र अभी साथी कल्पनाथ सिंह जी ने किया है, वह नाम यहां पर मौजूद हैं, 26 आदमियों के नाम ये मौजूद हैं। मैं जोशी साहब से पूछना चाहता हूं, वह लेबर लीडर हैं, दो साल से कैजुअल लेबर का कोई तो रजिस्टर होगा। मैंने जब यह कहा कि यह नाम चेक करके बताइये, तो उन्होंने कहा कि चेक करेंगे कहां से, कैजुअल लेबर का रजिस्टर ही नहीं है। मुख्य मंत्री जी कैसे बतायेंगे या वह ऐडमिनिस्ट्रेशन से कैसे कहेंगे कि यह बतायें कि यह नाम कहां हैं, नाम नहीं बता सकते, नतीजा यह कि अगर कहा जाय कि 152 मरे हैं, 300 आदमी मिसिंग हैं, तो वह भी नहीं बता सकते, किस तरह से कोई निजाम बनाया जाय कि यह हमारी पुलिस इंसान के

साथ इंसान जैसा सुलूक कर सके, बिहेव कर सके । तो क्या आप निहत्थे अवाम को पुलिस की गोली के सामने रखना चाहेंगे ? अगर इसी प्रकार का पुलिस का बर्त्ताव रहा तो प्रदेश बरबाद हो जायगा । आप एक कमेटी बनाइये, उसमें बैठकर मशविरा कीजिए कि किस तरह के कदम उठाये जायं ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो सदन में एक बड़ा गंभीर मसला उपस्थित है, मैंने वहां की सारी घटना के बारे में जो हिन्दुस्तान के समाचार पत्र हैं, उनको पढ़ा है। उन सब के पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस नर संहार के बारे में जिन शब्दों में निंदा की जाय उन शब्दों में थोड़ी हैं। मान्यवर, मैं तो उस जमात में रहा हूं कि एक बार केरल में गोली चल गयी थी, वहां पर समाजवादी सरकार थी और पट्टम थानु पिल्लई उस सदन के नेता थे, सन् 1954 में हम जेलखाने में बरेली सेंट्रल जेल में बन्द थे । मेरे साथ डाक्टर लोहिया भी बन्द थे। हम तनहाई में थे । उस समय निहत्थे लोगों पर केरल में गोली चलाई गई थी, तो डाक्टर लोहिया ने जो भारतवर्ष की सोशलिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री थे, खुद इस्तीफा दे दिया। डाक्टर लोहिया कहते थे कि निहत्थी भीड़ पर कभी गोली न चलायी जाय ।

मान्यवर, मैं चाहे सत्ता पक्ष में हूं, मैं विरोधी पक्ष में भी रहा हूं, किसी भी निहत्थी भीड़ पर, जो भीड़ बिल्कुल सशस्त्र न हो, उस पर कभी भी गोली नहीं चलानी चाहिये। जब तक एकाध अधिकारी की उस भीड़ ने जान न ले ली हो, क्योंकि वह भीड़ जो होती हैं अवाम की होती है, शस्त्र के जो चलाने वाले होते हैं, अगर उसमें एकाध की जान चली जाय, तब अवाम के ऊपर फायरिंग करनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं हुआ था, तो मैं इस गोली कान्ड की घोर निन्दा करता हूं, इससे ज्यादा और नहीं कर सकता। मैंने हिन्दुस्तान भर के अखबार पढ़े। कल मेरे साथ बीरेन्द्र पति जी इलाहाबाद से आ रहे थे सब जगह चर्चा थी कि 10 तारीख को पंत नगर मजदूरों का एक शिष्ट मंडल हमारे यहां के एक मंत्री जी से मिला था और मंत्री जी से कहा था कि आप बीच बचाव करके इस मामले का फैसला करवा दीजिए। मंत्री जी अगर उनकी बात सुन लिये होते तो बीच-बचाव करके फैसला हो गया होता। मान्यवर, किधर को कहूं, मेरी समझ में नहीं आता, बहुत ही धीरज के साथ अपनी बात को कहता हूं। डी0 पी0 सिंह साहब उपकुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय एक बहुत बदनाम आदमी हैं, हरियाणा के श्री बंशीलाल के खास आदमी हैं, उनका सम्बन्धी है।

कैसे उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी पदोन्नति करके कुलपति बना दिया। उन्होंने उस सरकार का सत्यानाश कराया अगर ऐसे ही अधिकारी हो गये तो इस सरकार का भी सत्यानाश वह कर देंगे। यहां पर अपनी बात मजबूती और दिलेरी के साथ कहें। पी0 ए0 सी0 के कमांडेंट सिरोही, सुरेन्द्र सिंह सिरोही यह सारे के सारे पी0 ए0 सी0 के जितने लोग थे वह सब के सब डी0 पी0 सिंह से संबंधित थे। उन्होंने निहत्थे लोगों पर जबरदस्त आक्रमण किया। मैं तो घटना स्थल पर नहीं गया। पर जितनी बातें माननीय सदस्य कह रहे हैं वह करीब-करीब मैंने अखबारों में पढ़ी हैं। मान्यवर, इस तरह से गोली कांड होंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने वाले लोग अगर दूसरी बातें कहेंगे तो हम अपनी आत्माओं के साथ गद्दारी करेंगे। लिहाजा यहां पर साफ-साफ बातें कहनी पड़ेंगी। यह जो कांड हुआ यह बहुत गलत है। यह घोर निंदा का काम हुआ है, लज्जास्पद काम हुआ है।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें)

[श्री राधेश्याम शर्मा]

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी वहां चले गये । उनको सूचना मिली वह चले गये लेकिन किसी एक मंत्री को ले नहीं गये। वह इस बात पर नाराज हो गये कि मुख्य मंत्री जी मुझे नहीं ले गये। वह नहीं गये । मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रि–मंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है । मुख्य मंत्री जी हेलीकाप्टर से गये तो इसमें नाराज होने की बात क्या थी वह भी चले जाते। नाराज होने की क्या बात है। मैं साफ–साफ कहना चाहता हूं कि कभी–कभी जब इस तरीके से मेरे मन में बेचैनी पैदा होती है तो मैं कहता हूं। यह कोई तरीका है।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)––

एक बात का प्रतिवाद करना है।

(सदन में भीषण शोर)

श्री राधे श्याम शर्मा––

सारी बातें अखबारों में निकली हैं, नाम लेने की जरुरत नहीं है। मुख्य मंत्री की क्या गलती है कि वह मंत्री जी को साथ नहीं ले गये।

(शोर)

अखबारों की खबर है, मैं नहीं जानता गलत भी हो सकती हैं।

(सदन में भीषण शोर)।

मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप इस तरह से मुझे दबा नहीं सकेंगे। मैं अपनी बात कह कर रहूंगा। जिस मन्त्री का दिमाग बना कि वह मुझे साथ नहीं ले गए हैं और मन्त्रिमण्डल छोड़ने की बात कर रहे हैं, वह नितान्त गलत है ।

(घोर व्यवधान)

श्री गुरु दत्त सोलंकी (जिला आगरा)––

इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गुरुदत्त सोलंकी सदन त्याग कर चले गए)

श्री राधेश्याम शर्मा––

जहां तक मुख्य मन्त्री जी का सवाल है मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष––

अखबार के समाचार पर बेहतर होता कि आप मन्त्री जी से पुष्टि करते तब घटना के बारे में अपनी बात रखते। मन्त्रि परिषद् के बारे में केवल अखबार का कोई वर्जन पढ़ना, यह अत्यन्त अनुचित है ।

(शोर)

श्री राधे श्याम शर्मा––

जरा मेरी बात सुनें। मुख्य मन्त्री जी ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी सदन में बहस होने के पहले ही। मुख्य मन्त्री जी ने दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ पहले ही न्यायिक जांच की घोषणा कर दी तो इसमें मुख्य मन्त्री का कहां पर कसूर आता है। उनके

अधिकार में न्यायिक जांच थी और उन्होंने उसकी घोषणा कर दी तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना दायित्व पूरा किया। मैं उनसे कहूंगा कि अगर सरकार चलानी है तो न्यायिक जांच से जो भी दोषी पाए जायें, चाहे डी0 पी0 सिंह हों, चाहे सुरेन्द्र सिंह सिरोही या सिरोही साहब हों या चाहे कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय वरना उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह से गोली कांड होंगे, जो बर्दाश्त के बाहर की बात होगी। मुख्य मन्त्री ने सदन में चर्चा होने के पहले न्यायिक जांच की घोषणा करके अपने सही कर्तव्यों का पालन किया इससे ज्यादा वह कर ही क्या सकते थे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस बात पर जोर देता हूं कि निष्पक्षता के आधार पर सारी बातों को कहा जाय। चीजों को ढकने से फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष जी, इस तरह की बातें सारे उत्तर प्रदेश के लोग सुनेंगे तो लोग कहेंगे कम से कम सच बात कहने वाले लोग सदन में हैं।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ और भी लोग वहां जो गए थे उनको मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग मौके पर गए हैं उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है उसको दोहराना नहीं चाहिए। यदि कोई नई बात हो जैसे श्री कल्पनाथ सिंह और श्री गुफरान तथा श्री देव बहादुर जी वहां गए तो उन्होंने जो कहा उसको दोहराने का....नियम 51 में मैं मौका नहीं दूंगा। लेकिन नई बात आप कह सकते हैं।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, यह कैसे मालूम हो जायगा कि नई बात कहने वाले हैं या नहीं। आपने कहा था कि हम प्रत्येक को मौका देंगे जो वहां गए थे। यदि मौका नहीं देंगे तो बिला वजह वहां गए।

श्री अध्यक्ष—

यह आपने कैसे समझा? मैंने कहा जो वहां गए ह, उसकी पुनरावृत्ति न करें। आप तो अनावश्यक उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री रामदत्त जोशी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किस खूबसूरती के साथ अधिकारियों की वकालत की है। इसके लिए उनको मैं हजार बार बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात कहें। पक्ष विपक्ष पर बल देना अत्यन्त अनुचित है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो भी बातें माननीय राम दत्त जोशी जी ने कहा यदि उनको सही मान लिया जाय जैसे कि मजदूरों के अन्दर कहना है कि जातिवाद की भावना थी, दफा 144 तोड़ा, उनकी मध्यस्थता पहले स्वीकार किया और उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

तोड़ा, यदि इन सबको सही मान लिया जाय तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उसका एक मात्र हल यह था कि पन्तनगर यूनिवर्सिटी में नरसंहार कर दिया जाय। मैं सबको सही मानते हुए कहता हूं कि एक मात्र उसका हल यह खून करने के अलावा और कोई क्या बात नहीं थी। यह कितनी हास्यास्पद बात थी। कहा जाता है कि मजदूर लाठियों, बल्लमों और फर्सों से लैस होकर आ रहे थे। यह वक्तव्य में मुख्य मन्त्री ने कहा। लेकिन मुख्य मन्त्री ने वक्तव्य में यह कहीं नहीं कहा कि कितनी लाठियां, कितने फर्से और कितने बल्लम मिले। कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। मान्यवर, क्या कहा है कि जब मजदूर लाठियों, बल्लमों और फर्सों से लैस थे तो केवल 14 पुलिस वालों को चोटें आती हैं। कहते हैं कि हजारों मजदूर जुलूस असलहा से लैस होकर आ रहे थे लेकिन चोटें 14 को ही आती हैं। इस प्रकार सिपाही की एक–एक चोट के बदले एक–एक मजदूर को कत्ल कर दिया जाता है इससे मुख्य मन्त्री इंकार नहीं करते हैं।

श्रीमन्, इस बात को छिपाया गया कि 14 पुलिस वालों को किस प्रकार की चोट आई थीं जबकि हजारों मजदूर लाठियों, बल्लमों और फर्सों से लैस होकर आए थे। तो यह छिपाया गया कि किस प्रकार की उनको चोटें हैं।

मान्यवर, 25 जनवरी की समझौता हो जाता ह, इस वक्तव्य के अनुसार। दो दिन बाद 27 जनवरी को एसेन्शियल सर्विसेज घोषित कर दिया जाता है। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक बार समझौता हो गया और सन्तोषजनक, तो कौन सा कारण था कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार मजदूरों को एसेन्शियल सर्विसेज घोषित किया जाय? इसलिए पहले से वाइस चांसलर की साजिश थी। वाइस चांसलर का समझौता हुआ। वाइस चांसलर समझौता नहीं होने देना चाहता था ताकि किसी तरह से मजदूरों की भिड़न्त हो। यही नहीं, कहा जाता है कि मजदूरों ने खेत में आग लगा दी। अखबारों में आया है कि जले हुए कपड़े उस खेत म पकड़े गए। हड्डियों के बारे में जान बूझ कर मुख्य मन्त्री जी गोल कर जाते हैं। मैं बाकी चीज नहीं कहना चाहता। मान्यवर, मेरे लायक दोस्त ने कह दी।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी आप ने जीवन भर हमशा मजदूरों के संघर्ष के लिए लड़ा है, आप ने किसानों के लिए लड़ा, आप डाक्टर लोहिया के चेले हैं अगर आप के अन्दर मजदूरों के लिए कुछ हमदर्दी अब भी बाकी है, किसानों के लिए हमदर्दी बाकी है, उन फार्म मजदूरों के लिए जिनको आप ने कत्ले आम कर दिया उन के बारे में कोई हमदर्दी आप में बाकी है, इतना ही नहीं जिस समाजवाद के लिए आप ने संघर्ष किया उस समाजवाद की लेश मात्र भावना आप के अन्दर बाकी ह तो नतिकता का तकाजा है कि आप स्वयं इस्तीफा दे दें? मान्यवर, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मेरे मित्र ने कहा। नई परम्परायें कायम कीजिए। वह दलील जो आप दे रहे हैं इंदिरा गांधी भी देती थीं, वह दलील अंग्रेज भी देते थे.....

(शोर)

वही दलील आप दे रहे हैं गोलियां चलाई जाती हैं, लाठियां चलाई जाती हैं.....

(शोर)

मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अच्छा है इस समय मुख्य मन्त्री हैं खुदा न करे यदि इमर्जेन्सी की टाइम में मुख्य मन्त्री होते तो मालूम नहीं प्रदेश का क्या होता। आज इमर्जेन्सी नहीं हैं आप के राज्य में मुरादाबाद के अन्दर, गाजियाबाद के अन्दर गोली चली, मजदूरों पर गोली चली, विद्यार्थियों पर गोली चली हैं, लाठी चार्ज हुआ ह। लाठी और गोली का राज्य आप ने कायम किया ह। माननीय मुख्य मन्त्री जी पिछले नौ महीने के इतिहास को देखिए अपने जीवन के नौ महीने देखिए.....

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी, अब आप वाक्यात से बाहर जा रहे हैं....

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं.....। तो नैतिकता का तकाजा है कि आप फौरन इस्तीफा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें। आज नेपाल के प्रधान मन्त्री भी आ रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी को उन को रिसीव करने जाना है। मैंने आज दो घंटे की बहस श्री शतरुद्ध प्रकाश, गुलाब सेहरा और अन्य लोगों के अनुरोध पर स्वीकार की थी। मैं चाहूंगा क्योंकि मुख्य मन्त्री जी को जाना है यदि इस बीच वह कोई उत्तर देना चाहते हैं, तो दे दें। उस के बाद मैं कार्यवाही जारी रखूंगा।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, हमारा सुझाव है कि अगर कल इसे रख दें.....

एक सदस्य—

कल के लिए स्थगित कर दीजिए।

(श्री रवीन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं चर्चा नहीं करूंगा। मजदूरों से सम्बन्धित हूं! दो बातें कहूंगा। मुझे बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है। जिस वक्त आप समझें मुझे टाइम दे द। ऐसा न हो कि मैं रह जाऊं

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

यह सारी बहस मुख्य मन्त्री जी के सदन में मौजूद रह कर ही होनी चाहिए। यह गृह विभाग का मामला है, मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी भी हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप रुकिए। एक घंटा 20 मिनट इस पर बहस चली है.....

आज हम इसको स्थगित कर सकते हैं और कल इस पर 40 मिनट बहस और हो जायगी।

श्री देव बहादुर सिंह—

समय सीमित न रखिये।

श्री अध्यक्ष—

40 मिनट से अधिक समय नहीं मिल सकता।

श्री श्यामधर मिश्र—

1 घंटे का समय रख दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, कल 1 घंटे का समय रख दिया जायगा। अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

17 अप्रैल, 1978

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1050 पर)

क्रमांक	ग्राम का नाम जहां पुलियां निर्माण हुआ	पुलियां पर कुल व्यय	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
	विकास क्षेत्र इटवा		
1	इनरीग्रान्ट	3040.00	पूर्ण
2	संग्रामपुर	2325.00	,,
3	रानीजोत	2335.00	,,
4	इटवा बक्शी	2177.00	,,
5	सहेलवा	2340.00	,,
6	अमोना	2440.00	,,
7	केसार	2320.00	,,
8	सोन नगर	2435.00	,,
9	भोपलाकर	2310.00	,,
10	परसा देवाइजावार	2465.00	,,
11	पतिला	2445.00	,,
12	सेमरी खानकोट	2375.00	,,
13	इमिलिया	2400.00	,,
14	मैलानी	2300.00	,,
15	ककरही	2415.00	,,
	योग ..	36,122.00	
16	गनवरिया	2000.00	अपूर्ण है
17	मुडिला शिवदत्त	2000.00	,,
18	हिंगवा	2000.00	,,
19	मदरहवा	2000.00	,,
20	दुपेड़िया	2000.00	,,
21	तिरलोकपुर	2000.00	,,
22	कोटाखास	2000.00	,,
23	पुरैना	2,000.00	,,
24	मधवापुर	2,000.00	,,
25	कपियालोबटी	2,000.00	,,
26	बबुराहा	1,000.00	,,
27	गौरा	1,000.00	,,
28	जमोहना	1,000.00	,,
29	खमरिया	1,000.00	,,
30	खखड़ी	1,000.00	,,
	कुल अपूर्ण कार्य का योग ..	25,000.00	
	पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का योग ..	61,122.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	ग्राम का नाम जहां पुलिया निर्माण हुआ है	पुलिया पर कुल व्यय	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
	विकास खण्ड खुनियांव		
1	गंगवल	3,000.00	पूर्ण
2	पटियापार	2,490.00	,,
3	बभनीमाफी	2,000.00	,,
4	नागचौरी	2,250.00	,,
5	तिघरी राय	3,000.00	,,
6	खखरा-खखरी	3,000.00	,,
7	फरेन्दा	1,500.00	,,
	योग ..	17,240.00	
8	कनवर	1,500.00	पूर्ण है परन्तु सत्यापन नहीं हुआ है। कार्य प्रगति में है।
9	धोवहा मुस्तहकम	1,000.00	,,
10	सुहेलवा	500.00	,,
11	खड़रिया बुजुर्ग	1,000.00	,,
12	मोहम्मद नगर	1,000.00	,,
13	रुदौलिया धोबहा मार्ग के चौराहे पर ..	1,000.00	,,
14	रुदौलिया धोबहा मार्ग के जू0 हा0 स्कूल के पूर्व	1,000.00	,,
15	धौरहरा	1,000.00	,,
16	धनगड़वा	1,000.00	,,
17	सिरसिया	1,000.00	,,
18	राजपुर	—	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, सीमेन्ट मिलते ही प्रारम्भ होगा।
	अपूर्ण कार्यों का योग : ..	10,000.00	
	कुल योग ..	27,240.00	

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1054 पर)।

बस्ती जिले के डुमरियागंज विकास खण्ड में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974–75, 75–76 एवं 1976–77 में आवंटित धनराशि एवं हुये कार्यों से सम्बन्धित सूचना।

क्रमांक	उपपद	आवंटित धनराशि	कार्य का विवरण	संख्या कार्य	व्यय की गई धनराशि
	1974–75				
1	स्कूल वाटिकाओं की स्थापना	30,000	1—बोरिंग एवं पम्प हाउस भारत भारी	1	3,000.00
			2—बोरिंग एवं पम्प हाउस जू0हा0स्कूल, डुमरियागंज	1	2,900.00
			3—बोरिंग एवं पम्प हाउस पी0आई0सी0 ई0 कालेज, डुमरियागंज।	1	3,000.00
			4—बोरिंग एवं पम्प हाउस रफी मेमोरियल जू0हा0स्कूल, चकचई	1	3,212.30
			(2) रखरखाव		
			1—जू0हा0स्कूल कादिराबाद	1	335.0
			योग ..		12,447.300
2	सहयोगी संगठनों को दी गई व्यक्तिगत सहायता		1—बकरी पालन		..
			2—मुर्गी पालन		..
			(अ) सामूहिक–		
			(1) कफील अहमद अध्यक्ष, युवक मंगल दल, चकचई	1	1,495.00
			(2) श्री अब्दुल रहीम, अध्यक्ष, युवक मंगल दल चैरावन गवां	1	1,500.00
			(ब) व्यक्तिगत–		
			कुक्कुट पालन	39	8,585.00
			योग ..		11,580.00

उदेश्य प्रकाशन

क्रमांक	उपपद	आवंटित धनराशि	कार्य का विवरण	संख्या कार्य	व्यय की गई धनराशि
3	सहयोगी संगठनों के साज सज्जा एवं वातावरण की स्वच्छता		1—महिला मण्डल को बर्तन		2,267.35
			2—महिला मण्डल को दरी श्री गांधी आश्रम से	5	2,100.00
			3—महिला मण्डल को सिलाई मशीन	3	1,317.60
			4—महिला मण्डल को घड़ी	5	275.00
			योग ..		5,959.95
					29,987.25
					या
			योग सम्पूर्ण		30,000.00
5	प्रशिक्षण पर व्यय	2,900.00	1—कुल प्रशिक्षण पर व्यय हुआ तथा 148 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित हुए		2,890.20
6	महिला मण्डलों एवं युवक मंगल दलों को पुरस्कार		1—पुरस्कार दिये जाने का विवरण		..
वर्ष 1974-75 का सम्पूर्ण योग		32,900.00	..		32,877.45

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	उप मद	आवंटित धनराशि	कार्य का विवरण	संख्या कार्य	धनराशि जो व्यय की गई
वर्ष 1975-76					
1	स्कूल वाटिकाओं की स्थापना एवं रख-रखाव	30,000.00	1—बोरिंग एवं पम्प हाउस—		
			(अ) जू0हा0स्कूल श्यामपुर	1	3,000.00
			(ब) राजेन्द्र भारतीय हा0 स्कूल, बढ़नीचाफा	1	3,000.62
			(स) जू0हा0 स्कूल, वासादरगाह	1	3,000.00
			(द) प्र0पा0 कैथोलिया	1	2,951.58
			2—रख-रखाव (फिन्सिंग तार)—		
			1—पी0आई0सी0 डुमरियागंज	1	500.00
			2—जू0हा0स्कूल, डुमरियागंज	1	500.00
			3—प्रा0पा0भारत भारी	1	500.00
			4—रफी मेमोरियल जू0हा0 स्कूल, चकचई	1	500.00
			अन्य व्यय		47.80
			योग ..		14,000.00
2	सहयोगी संगठनों को दी गई व्यक्तिगत सहायता।	,,	1—बकरी पालन		..
			2—मुर्गी पालन		..
			(अ) सामूहिक—		
			1—अध्यक्ष युवक मंगल दल, महुआरा	1	1,500.00
			2—अध्यक्ष युवक मंगल दल, बैदौलागढ़	1	1,500.00
			(ब) व्यक्तिगत इकाइयों को	35	8,740.00
			योग ..		11,740.00

क्रमांक	उपमद	आवंटित धनराशि	कार्य का विवरण	संख्या कार्य	व्यय की गई धनराशि
3	सहयोगी संगठनों की साज-सज्जा		1—महिला मण्डलों को बर्तन दिये गये		2,335.00
			2—बालवाणी के लिये		1,925.00
			योग ..		4,260.00
	कुल योग क्रमांक 1 से 3 तक	30,000.00	कुल योग		30,000.00
5	प्रशिक्षण पर व्यय	4,480.00	1—प्रशिक्षण पर व्यय हुआ तथा 158 सदस्य प्रशिक्षित हुए		4,480.45
6	महिला मंडलों एवं युवक मंगल दलों को पुरस्कार	9,500.00	1—महिला मण्डलों को पुरस्कार		
		एवं 1,200.00	12 महिला मण्डलों को कुल 72 बकरियां दी गईं ।		8,200.00
			2—युवक मंगल दलों को पुरस्कार— कुल 5 युवक मंगल दलों को 20 बकरियां दी गईं ।		2,500.00
	योग	10,700.00	योग — 6		10,700.00
	वर्ष 1975—76 का सम्पूर्ण योग :	45,180.00			45,180.45

क्रमांक	उपमद	आवंटित धनराशि	कार्य का विवरण	संख्या कार्य	व्यय की गई धनराशि
वर्ष 1976-77					
1	स्कूल वाटिकाओं की स्थापना एवं रख-रखाव	30,000.00	1--बोरिंग एवं पम्प हाउस :		
			(अ) राष्ट्रीय इन्टर कालेज, तुरकौलिया	1	4,120.92
			(ब) मौलाना आजाद इन्टर कालेज, कादिराबाद	1	3,400.04
			2--रखरखाव (मेंड़बन्दी):		
			(1) जू0 हा0 स्कूल, श्यामपुर	1	490.00
			(2) राजेन्द्र भारती कालेज, चाफा	1	440.00
			(3) जू0 हा0 स्कूल, वासा	1	490.00
			(4) प्रा0 पा0, केथोलिया	1	480.00
			3--माली कम चौकीदार :	7	2,506.48
			(1) जू0 हा0 स्कूल, वासा		
			(2) प्रा0 पा0 कैथोलिया		
			(3) जू0 हा0 स्कूल, श्यामपुर		
			(4) रफी मेमोरियल, चकचई		
			(5) जू0 हा0 स्कूल, कादिराबाद		
			(6) राजेन्द्र भारती, चाफा		
			(7) जू0 हा0 स्कूल, डुमरियागंज		
			योग ..		12,007.44

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	उपमद	आवंटित धनराशि	कार्य का विवरण	संख्या कार्य	व्यय की गई धनराशि
2	सहयोगी संगगठनों को दी गई सहायता		1—महिला मण्डल के सदस्यों को 22 बकरी दी गईं	22	2,800.00
			2—मुर्गी पालन		
			1—सामूहिक इकाई		
			2—व्यक्तिगत इकाई	21	3,570.00
			योग		3,370.00
3	सहयोगी संगठनों को साज-सज्जा एवं वातावरण की स्वच्छता		1—हरिजन बस्तियों में हाथ नल	20	7,622.50
			2—महिला मण्डल के सदस्यों को बखारी	50	2,000.00
			3—महिला मण्डल के सदस्यों हेतु शौचालय	20	2,000.00
			योग		11,622.60
	कुल योग क्रमांक 1 से 3 तक	30,000.0			29,999.94
5	प्रशिक्षण पर व्यय हेतु	3825.00	1—कुल 180 सदस्य प्रशिक्षित हुए	180	3,825.40
6	महिला मण्डल दलों को	3000,00	1—सम्बन्धित महिला मण्डलों के पासबुक में जमा किया गया है	7	3,000.00
	वर्ष 1976-77 का कुल आबंटन	36,825.00	कुल व्यय		36,825.34

पी0 एस0 यू0 पी0—21 वि0 सभा—21-7-78—843 (हिन्दी)